स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self-Instructional Learning Material

# मास्टर ऑफ आर्ट्स ( शिक्षाशास्त्र )

## एम. ए. ( शिक्षाशास्त्र )

अन्तिम वर्ष

# तुलनात्मक शिक्षा

# (Comparative Education)

(प्रथम प्रश्न पत्र)

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट, सतना (म.प्र.) - 485334

# तुलनात्मक शिक्षा
# (Comparative Education)

**संस्करण–2016–17**

**प्रेरणा एवं मार्गदर्शन :**
**प्रो. नरेश चन्द्र गौतम**
कुलपति
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

**लेखक :**
**प्रो. लक्ष्मीनारायण शुक्ल**
जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय, गंज बासौदा
सेवाश्रम– मिलरोड, गंज बासौदा (म.प्र.)

**सम्पर्क सूत्र :**
**निदेशक, दूरवर्ती शिक्षा**
दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)
दूरभाष– 07670–265460, इ–मेल– distance.gramodaya@gmail.com, website: www.mgcgvchitrakoot.com

**प्रकाशक :**
कुलसचिव
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

**कापीराइट ©** : महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

**आभार** : यह अध्ययन सामग्री संबंधित पाठ्यक्रम और विषय के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। अध्ययन सामग्री को सरल, सुरुचिपूर्ण और बोधगम्य बनाने की दृष्टि से अनेक स्रोतों से प्रेरणा, संदर्भ और सामग्री ली गई है। सभी के प्रति आभार। अध्ययन सामग्री में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं। विश्वविद्यालय का इससे सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

# संदेश

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक पृथक अधिनियम से 1991 में सुप्रसिद्ध समाजसेवी पद्मविभूषण नानाजी देशमुख के प्रेरणा और प्रयासों से चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर हुई। विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक मानव संसाधन तैयार करना है। विगत 25 वर्षों की समर्पित सेवाओं में विश्वविद्यालय ने ज्ञान–विज्ञान के विविध आयामों पर अपने शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और प्रसार कार्यों से छाप छोड़ी है।

ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों के अभाव तथा सामाजिक–पारिवारिक परिस्थितियों के कारण निरंतरता से अध्ययन करने में बाधायें आती हैं। विश्वविद्यालय ने इस समस्या के समाधान के लिए गुणवत्तायुक्त दूरवर्ती शिक्षा को प्रत्येक ग्रामीण के घर–आँगन तक पहुँचाने का संकल्प लिया है। विश्वविद्यालय का दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

मुझे प्रसन्नता है कि दूरवर्ती शिक्षा के विद्यार्थियों को स्वनिर्देशित अध्ययन सामग्री मुद्रित और व्यवस्थित रूप में पहुँचाये जाने का यह प्रयास न सिर्फ दूरवर्ती शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ायेगा बल्कि छात्रों को गहराई से अध्ययन करने की दिशा में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

**प्रो. नरेश चन्द्र गौतम**
**कुलपति**

# तुलनात्मक शिक्षा
## (Comparative Education)


अध्याय–1 : तुलनात्मक शिक्षा

अध्याय–2 : तुलनात्मक शिक्षा के मुख्य घटक

अध्याय–3 : आधुनिक विश्व शिक्षा की प्रवृतियाँ, राष्ट्रीयकरण और भूमण्डलीय

अध्याय–4 : संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन

अध्याय–5 : विकासशील देशों की समस्यायें

# अध्याय – 1

NOTES

## तुलनात्मक शिक्षा
## Comparative Education

परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन के बिना विकास की अवधारणा को कही कोई स्थान नहीं है। वर्तमान विश्व में कोई भी क्षेत्र अपने आप में सम्पूर्णता नहीं रखता। इसका मूल कारण यह है कि हमारी प्रकृति पूर्ण रूप से परिवर्तनकारी तत्वों से निर्मित हुई है। पृथ्वी के सभी घटकों का निर्माण परिवर्तनशील तत्वों से हुआ है प्रकृति एवम् मनुश्य स्वभाव भी परिवर्तनशील है। जब सभी कुछ परिवर्तनशील है तब शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तनशीलता विद्यमान है। समय–समय पर शिक्षा में विभिन्न परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। शिक्षा में इन परिवर्तनों के लिये विभिन्न राश्ट्र, संस्कृतियाँ तथा समसामयिक घटनाचक्र उत्तरदायी होते है। समय–समय पर शिक्षा प्रणाली में सुधार अथवा परिवर्तन के लिये शैक्षिक संस्थाओं को विभिन्न राश्ट्रों की शैक्षिक व्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता होती है।

### तुलनात्मक शिक्षा का अर्थ– Meaning of Comparative Education-

इक्कीसवी शताब्दी मुख्य तत्व यह है कि इसमें सम्पूर्ण पृथ्वी एक वैश्विक ग्राम के रूप में परिवर्तित हो गई है। वर्तमान में अत्यधिक उन्नतिशील संचार एवम् यातायात के साधनों ने क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक विस्तार को लगभग समाप्त कर दिया है। वर्तमान युग में एक राश्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर है। इसकी गतिविधियों का प्रभाव एक दूसरे पर होता है अतीत में विभिन्न राष्ट्र परस्पर इतने समीप नही थे जितने कि आज है। विश्व में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव राष्ट्रों पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पड़ता है। भूकम्प, अकाल, अतिवृश्टि एवम् संक्रामक रोगों का प्रभाव भी दूसरे राष्ट्रों पर अवश्य होता है। इस प्रकार वर्तमान में विश्व के सभी राश्ट्र एक–दूसरे से प्रभावित रहते है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह तत्व देखा जा सकता है। एक राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली अथवा शिक्षा से सम्बन्धित घटना तथा विचारों का दूसरे राष्ट्रों पर भी सकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रभाव होता है। परन्तु किसी देश के कुशल शिक्षक एवम् प्रशासक अपने राष्ट्र में किसी दूसरे राष्ट्र

के नकारात्मक तत्वों को प्रवेश नहीं करने देते। इसके लिये वे विस्तृत अध्ययन करते है तथा अध्ययन के उपरान्त सकारात्मक तत्वों का स्वागत करते है। इसका उदाहरण हमारे देश के संविधान अर्थात् भारतीय संविधान में विभिन्न राश्ट्रों के सकारात्मक तत्वों को स्थान दिया गया है जैसे अमेरिका से प्राप्त मौलिक अधिकार।

NOTES

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तुलनात्मक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन करते हैं तथा उनके सकारात्मक तत्वों को आत्मसात करते है।

तुलनात्मक शिक्षा को कतिपय शिक्षाविदों द्वारा परिभाशित भी किया गया है–

**C. Arnold Anderson के अनुसार**– In its broadoot of sense comparative education might be defined as cross cultural comparison of the structure openeing aims and methods and achievements of barious education system and Donald correlales of educational system and their elements

अर्थात् विस्तृत रूप से विभिन्न शिक्षा पद्धतियों की संरचना अभिमत प्रक्रिया तथा उपब्धियों की सांस्कृतिक तुलना को तथा विभिन्न शिक्षा पद्धतियों एवं सामाजिक तत्वों के सम्बन्धों को तुलनात्मक शिक्षा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

**I.L. Kandel के अनुसार**– "The purpose of comparative education as of comparative law comparative literature and comparative structure is to dis cober use the difference in the forces and causes that producer differences in education system".

अर्थात् तुलनात्मक शिक्षा, तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक साहित्य एवं तुलनात्मक संरचना के स्वरूप में शिक्षा पद्धति में आय परिवर्हनों के कारण एवं दबाब की खोज करती है।

**जार्ज बेरेडे के अनुसार** तुलनात्मक शिक्षा के अन्तर्गत तुलना के कारकों का विश्लेशणात्मक अध्ययन किया जाता है।

**तुलनात्मक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य**– अवधारणा Major concepts of comparative education प्रसिद्ध शैक्षिक प्रशासक अन्तोइन जुलियन के अनुसार तुलनात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राश्ट्रों की शिक्षण पद्धति के अध्ययन से अपनी राश्ट्रीय शिक्षण प्रणाली में सुधार लाना है। सम सामयिक घटनाचक्र में यह उद्देश्य अधिक विकसित हो

गया है। वर्तमान में हम तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन से विभिन्न राश्ट्रों की शिक्षा पद्धति का क्रम से विश्लेशणात्मक अध्ययन इसीलिये करते है कि हमें उनकी शिक्षक समस्या की जानकारी हो। दूसरे राश्ट्रों की शैक्षिक समस्याओं को समझने तथा अपनी शैक्षिक समस्याओं के समाधान प्राप्ति के क्रम में संबंधित राश्ट्र की सामाजिक सांस्कृतिक तथा दार्शनिक पृश्ठभूमि का भी अध्ययन करते है क्योंकि किसी भी राश्ट्र की शिक्षा पद्धति का आधार समान संस्कृति तथा दर्शन ही होता है। शिक्षा का आधार कुछ ऐसे सिद्धांतो पर निर्मित होता है जो कि अपनी सार्वभौमिक पहचान रखते है। जब हम सांस्कृतिक तथा सामाजिक विचारधारा का वर्णन करते है तो इसका यह अर्थ हुआ कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में सांस्कृतिक, सामाजिक विचार धारा के अध्ययन में सही रूप में सकारात्मक तत्व की प्राप्ति होती है।

NOTES

किसी राश्ट्र की शिक्षा पद्धति पर उस राश्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है। अतः तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का उद्देश्य उपरोक्त सभी परिस्थितियों का अध्ययन होता है क्योंकि इस अध्ययन के अभाव में उन सभी तत्वों को समझा नहीं जा सकता जो शिक्षा पद्धति को प्रभावित करते है।

तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य उन सभी विशेशताओं का भी अध्ययन करना है, जिनसे किसी राश्ट्र की शिक्षा पद्धति दूसरे राश्ट्र की शिक्षा पद्धति से भिन्न–भिन्न प्रतीत होती है। उनसे संबंधित राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की भिन्नता का अध्ययन तुलनात्मक शिक्षा का ध्येय है।

भिन्नता के मध्य तुलनात्मक शिक्षा सार्वभौमिक तत्व तथा उद्देश्य की ओर सार्वभौमिक एकता का सूत्र तत्व तथा उद्देश्य की ओर सार्वभौमिक एकता का सूत्र प्रदान करती है।

राश्ट्रों की शिक्षा प्रणाली के अत्याधिक प्रगतिशील एवं मन्द होने के कारणों का पता लगाना और तत्संबंधी अध्ययन करना भी तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है।

सारांशतः तुलनात्मक शिक्षा को निम्नांकित बिन्दुओं में विभक्त किया जा सकता है

**(1)** राश्ट्र की शैक्षिक समस्या का समाधान किसी प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली में खोजना।

NOTES

**(2)** राश्ट्र की शिक्षा प्रणाली को विश्व के प्रगतिशील तथा सकारात्मक तत्वों को पूर्ण बनाना।

**(3)** शिक्षा के माध्यम से दूसरे राश्ट्रों की सभ्यता और संस्कृति को समझना।

**(4)** अपने राश्ट्र में शिक्षा का विकास तथा प्रसार करना।

**(5)** विश्व बन्धुत्व की भावना को प्रसारित करना।

**(6)** दूसरे अन्य राश्ट्रों की शैक्षिक प्रणालियों की सहायता से शिक्षा को मितव्ययी रोजगार परक तथा सर्वसुलभ बनाने का प्रयास करना।

**(7)** शिक्षा के जीवन उपयोगी तथा सार्वजनिक लक्ष्यों को पहिचान कर उसे आत्मसात करना।

## तुलनात्मक शिक्षा का प्रारंभ

### Beginning of comparative education

फ्रांसीसी निवासी ''मार्क अन्तोइन जुलियस पेरिस'' ने सन् 1817 में तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन आरंभ किया। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के लिये मार्क ने विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। उनका ध्येय शिक्षा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना था। इस उद्देश्य के लिये वह चाहते थे कि राज्य प्रशासन इस उद्देश्य के लिये वह चाहते थे कि राज्य प्रशासन की संकुचित विचारधारा शिक्षा के विकास में बाधा न बने। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य प्रशासन का सहयोग अपेक्षित मानते थे। जुलियन ने शिक्षा से संबंधित विभिन्न तथ्यों को तालिका बद्ध किया। इससे शिक्षा के कुछ सिद्धांतों तथा निष्कर्षों का वैज्ञानिक विश्लेशण संभव हुआ जुलियन का यह विश्वास था कि किसी भी देश की शिक्षा से संबंधित तथ्यों के विश्लेशण के आधार पर कुछ सिद्धांत अवश्य ही स्पश्ट हो सते है। इस प्रकार अन्तोइन जुलियन ने ''विश्लेशण'' पर बल दिया।

तुलनात्मक शिक्षा का प्रारंभ शिक्षण के विभिन्न घटकों और तत्वों के विश्लेशण से आरंभ नहीं हुआ। विदेशों में बीसवी के प्रारंभ से जाने वाले यात्रियों ने अपने यात्रा विवरणों में संबंधित देश की शिक्षा व्यवस्था की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्शित किया। प्रायः किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था एवं संगठन ऐसा होता ही है कि यात्रियों का ध्यान उधर सहज रूप से आकर्शित होता। इन विदेशी यात्रियों ने संबंधित देश की सामाजिक प्रगति और आर्थिक समृद्धि की ओर विशेश ध्यान दिया और उनके लिये शिक्षा संबंधी कुछ तत्वों

को विशेश महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अपने इस विश्वास पर बल दिया कि शिक्षा के कुछ तत्व किसी देश की सामाजिक प्रगति और आर्थिक समृद्धि में विशेश योगदान देते है। तुलनात्मक शिक्षा के विकास में इस प्रकार देश में भ्रमण करने वाले शिक्षा संबंधी विवरणों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भारत में भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण है। अलबरूनी, हेनसांग आदि।

NOTES

# तुलनात्मक शिक्षा का विकास

## Development of comparative education in Modern time

NOTES

आधुनिक काल में तुलनात्मक शिक्षा के विकास को तीन चरणों में विभाजित किया गया है।

**(1) प्रथम चरण First Stage**

**(2) द्वितीय चरण Second Stage**

**(3) तृतीय चरण Third Stage**

**प्रथम चरण** :– सन् 1917 में अन्तोइन तुलियन के विचारों से तुलनात्मक शिक्षा के विकास का प्रथम चरण माना जाता है। इस चरण को बीसवी शताब्दी के आरंभ तक मान सकते है। उन्नीसवीं शताब्दी में यह धारणा उच्च हो गई कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की विशेशताओं को दूसरा देश अपने शिक्षा संगठन में अपना सकता है। इस धारणा के फलस्वरूप विभिन्न देशों के शिक्षा व्यवस्था संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया। इन आंकड़ों को तालिका बद्ध किया जाकर सामान्य सिद्धांतों का निरूपण किया गया। अतः यह धारणा उच्च हो गई कि इन सिद्धांतों के अनुसार किसी भी देश की शिक्षा संगठित हो सकती है। विभिन्न आंकड़ों के एकत्र करने के क्रम में सम्बद्ध देश की उस समय की राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था जबकि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली पर इन दशाओं का मुख्य योगदान रहता है। इस प्रकार उस समय इस विशय पर विचार नहीं किया जाता था कि जिस देश की शिक्षा प्रणाली की विशेशताओं को अपनाने के लिये कहा जा रहा है, वे अपनाने वाले देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं। इस प्रकार तुलनात्मक शिक्षा के विकास के इस प्रथम चरण की अनुकरण की अवस्था अमेरिका के होरेसमैन तथा फ्रांस के विक्टर कगिन इग्लैण्ड के मेथ्यु आरनाल्ड, हेनरी वनर्गा रूस के टालस्टाय और उशीन्सकी तथा अर्जेन्टाइन के डेमिन्गो के नाम विशेश उल्लेखनीय है।

**(2) द्वितीय चरण Second Stage** – तुलनात्मक शिक्षा के विकास के प्रथम चरण में तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में शिक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक जैसे सामाजिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, इसके साथ–साथ यह भी यह भी ध्यान नहीं दिया जाता था कि किसी देश विशेश की शिक्षा प्रणाली की

विशेशताओं को किसी देश ने अपनाया है या नहीं। अतः किसी घटक की संभावनाओं पर विचार नहीं किया जाता था। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के विकास के द्वितीय चरण में इन सभी विशयों ध्यान आरंभ हो गया अर्थात अब यह विचार किया जाने लगा कि शिक्षा प्रणाली में पाई जाने वाली विशेशताओं को यदि किसी दूसरे ने अपनाया जाये तो वह वहां की परिस्थिति के अनुरूप होगा अथवा नहीं। साथ ही विशेशता की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इस प्रकार इस चरण में अन्धानुकरण की प्रवृति समाप्त हो गई। इग्लैण्ड के सर माइकेल सैडलर द्वितीय चरण के जनक माने जाते है। सन् 1907 में तुलनात्मक शिक्षा की शिक्षा प्रणाली अवश्य ही उस देश के सामाजिक वातावरण से संबंधित होती थी। इस प्रकार सैडलर के अनुसार शिक्षा प्रणाली के अध्ययन में सामाजिक परिस्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अन्य विद्वानों ने सैडलर के इस मत की पुश्टि की। इनमें अमेरिका के आइजक केण्डल तथा जर्मनी के फेडरिक स्नाइडर तथा इंग्लैड के जोजफ लोरीन के नाम प्रमुख है।

NOTES

**तृतीय चरण**– तुलनात्मक शिक्षा का तृतीय चरण सन 1950 से आरंभ होता है। बेरेडे जार्ज, जेड.एफ. ने सन 1950 से इस चरण को विश्लेशण काल कहा है वर्तमान समय में विज्ञान की प्रगति के कारण सभी वैज्ञानिक विशयों के अध्ययन में विश्लेशण पर बल देना स्वाभाविक हो गया था। इस प्रकार तुलनात्मक शिक्षा में भी विश्लेशणात्मक अध्ययन पर विशेश बल दिया। किसी देश की शिक्षा प्रणाली की विशेशताओं को इस पद्धति में स्वीकार करने के पूर्व दोनों देशो जिसकी विशेशता अपनाई जा रही है। और जिस देश के लिये अपनाई जा रही है की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेशणात्मक विवेचन कर उस प्रणाली की अनुकूलता अथा प्रतिकूलता के विशय में निश्कर्श निकाला जाता है। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में शिक्षा के घटकों की समानता और विशमता का ही अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि समानता और विशमता के तुलनात्मक विवेचन के साथ–साथ देश की संबंधित के संदर्भ में किसी शिक्षा प्रणाली की विशेशता अनुरूपता अथवा प्रतिकूलता के संबंध में विचार किया जाता है। इससे स्पश्ट होता है कि तुलनात्मक शिक्षा के विकास के द्वितीय एवं तृतीय चरण में केवल रूप का ही अन्तर है।

सामान्यतः फ्रेडरिक स्नाइडर राबर्ट उलिक, तथा आइजक कैण्डल की रचनाओं तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के तृतीय चरण में विशेश योगदान दिया है।

# तुलनात्मक शिक्षा की विधियाँ

## Methods of Comparative Education

NOTES

तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की अनेक विधियों का विकास हुआ है। मुख्य विधियां निम्न प्रकार है–

(1) **ऐतिहासिक विधि Historical Method**

(2) **वर्णनात्मक विधि Description Method**

(3) **सांख्यिकीय विधि Stoical Method**

(4) **विश्लेशणात्मक विधि Analytical Method**

(5) **समान शास्त्रीय विधि Sociological Method**

(6) **संश्लेशणात्मक विधि Syntheses Method**

(1) **ऐतिहासिक विधि**– तुलनात्मक शिक्षा की विधियों में ऐतिहासिक विधि की भवना प्रमुख रूप से की जाती है। इस विधि में वर्तमान शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान शैक्षिक विधि के निर्माण में सहायक विशयों का पता इस विधि द्वारा किया जाता है। इन विशयों की सूचनाओं से आवांछनीय तथ्यों को दूर करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिये माना कि किसी देश में स्त्री शिक्षा का अनुपात कम है। यह कम अनुपात वर्तमान स्थिति में हमें सूचनायें देता है स्त्री शिक्षा के अनुपात कम होने के कारकों का पता लगाया जाकर यह अनुपात बढ़ाये जाने के सार्थक प्रयास किये जा सकते है। उन प्रयासों का सहारा लिया जा सकता है। जिनसे यह अनुपात बढ़ सके। ऐतिहासिक विधि द्वारा उन विशयों की ओर संकेत मिलता है जिनके अनुसरण से भविश्य का विकास सुदृढ़तर और अधिक उपयोगी होता है। इस विधि में उन सभी भौगोलिक, सामाजिक, राश्ट्रीय चरित्र संबंधी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा भाशा संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जिससे किसी राश्ट्र की शिक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। श्नाइडर, निकोलस, हेन्स तथा केण्डल ने इस विधि को विशेश महत्व दिया।

(2) **वर्णनात्मक विधि**– उन्नसवी शताब्दी में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग माना गया। उस समय तुलनात्मक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह था कि अन्य देश की शिक्षा प्रणाली की विशेशतओं का अनुकरण किया जावे। अनुकरण किये जाने के लिये यह आवश्यक था कि उस देश की शिक्षा प्रणाली का ज्ञान हो। इस उद्देश्य कि प्राप्ति के लिये कुछ शिक्षा शास्त्री उन देशों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने वहाँ जाते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के जानग्रिस्कम का नाम उल्लेखनीय है। सन 1818–19 में जानग्रिस्कम ने यूरोप की यात्रा कर इटली, ब्रिटेन, हालेण्ड, स्विटजरलेण्ड एवं फ्रांस की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया और इसका विवरण ए ईयर इन यूरोप पुस्तक में दिया।

NOTES

(3) **सांख्यिकीय विधि**– कुछ विद्वानों का यह अभिमत है कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में सांख्यिकीय विधि का भी उपयोग किया जाना चाहिये क्योंकि इससे किसी देश की शिक्षा से संबंधित उन्नति या अवनति का पता चल सकता है। समय–समय पर इस विधि में शिक्षा प्रणाली से संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित हो जाते है। जैसे किसी वर्श शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थिओं की संख्या, उन पर व्यय की गई धनराशि, स्तर पर उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत शिक्षकों की संख्या शिक्षकों के वेतन पर व्यय तथा विद्यालय भवन पर व्यय आदि के संबंध में आंकड़े एकत्रित करके उनकी दूसरे देशों के शिक्षा संबंधी आंकड़ों से तुलना करना अथवा एक ही देश के विभिन्न वर्शो के आंकड़े का तुलनात्मक अध्ययन करना मात्रात्मक एवं सांख्यिकीय विधि के अंतर्गत आता है। किसी देश की शिक्षा की उन्नति तथा अवनति का इस प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेशण से पता चल सकता है। इस विधि का प्रमुख दोश यह है कि समंकों को एकत्रित करना कठिन होता है। अनेक बार समंक एकत्रित करने में आवश्यक सावधानी भी नहीं बरती जाती। इस प्रकार इस विधि की उपयोगिता सीमित है।

(4) **विश्लेशणात्मक विधि**– शिक्षा प्रणाली की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक दृश्टि से व्याख्या की जाती है। जिससे विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं को समझा जा सकता है।

NOTES

(4) **निश्कर्श निकालना**– उपर्युक्त तीन पहलुओं के आधार पर एकत्रित सामग्री की व्याख्या की जाती है। इस व्याख्या के क्रम में विभिन्न तथ्यों की तुलना की जाकर एक निश्कर्श पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है।

(5) **समाज शास्त्रीय विधि**– शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समान शास्त्रीय विधि से अध्ययन सामाजिक संदर्भ में किया जाता है। इस विधि में यह विश्वास निहित होता है कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली और संगठन उस देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और निर्मित होती है। समान की विविध समस्याओं और समाज में इस प्रकार का गहरा संबंध होता है अर्थात एक दूसरे के लिये अत्यन्त प्रभावकारी और गति देने वाली होती है। तुलनात्मक शिक्षा की समान शास्त्रीय विधि केवल अतीत की परिस्थितियों अर्थात कारकों पर ही बल नहीं देती वरन शिक्षा समस्या के लिये उत्तरदायी सामाजिक अध्ययन की अन्य विधियों में दोश होने के कारण विश्लेशणात्मक विधि का विकास किया गया। किसी भी तुलनात्मक अध्ययन से बिना विश्लेशण के काम नहीं चला सकते। क्योंकि विश्लेशण द्वारा विविध तत्वों को अलग पाते है। प्रायः विश्लेशणात्मक विधि तब ही उपयोगी हो सकती है जब सामाजिक और शैक्षिक संगठनों की समुचित रूप से तुलना की जावे। इस प्रकार की तुलना करने के चार प्रमुख तथ्य है जो इस प्रकार है –

(1) **शैक्षिक साम्रागियों को एकत्रित करना**– यहां विश्लेशणात्मक विधि की सफलता के लिये सबसे पहले यह आवश्यक है कि वर्णनात्मक एवं सांख्यिकीय विधियों द्वारा सभी शैक्षिक सूचनायें और सामग्रियां एकत्रित की जावें। इस प्रकार सभी तत्व प्राप्त होंगे जो विश्लेशण के योग्य होंगे।

(2) **तुलना के मापदण्ड का निर्धारण**– विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रणालियों में हित समानता और असमानता का विश्लेशण करने के बाद उन्हें कुछ आधारों पर रखकर तुलना की जाती है। इन आधारों का निर्माण करना विश्लेशणात्मक विधि का तीसरा पहलू है।

(3) **राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक घटकों की व्याख्या**– विश्लेशण के लिये चुने गये तत्वों अथवा घटकों इसी प्रकार सन 1831 में फ्रांस के विक्टर कर्जिन ने फ्रांस की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन

करके एक अध्ययन दस्तावेज प्रस्तुत किया। उन्नीसवी शताब्दी में यह स्पश्ट हुआ कि शिक्षा का उचित रूप से अध्ययन वहीं वांछित कर सकता था जिसे अपने देश की शिक्षा प्रणाली का ज्ञान हो। यह तथ्य आज भी सत्य है।

NOTES

संयुक्त राज्य अमेरिका के होरेसमेन तथा ग्रेटब्रिट्रेन के मेथ्यू आरनाल्ड ने वर्णनात्मक विधि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। होरेस मेन ने वर्णनात्मक विधि का अनुकरण किया। मेथ्यू आरनाल्ड ने फ्रांस एवम जर्मनी की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया। सन 1859 में फ्रांस तथा 1865 में उन्होंने शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया एवं इस संबंध में दस्तावेज प्रकाशित किये। आरनाल्ड की विधि का सर माइकल सैडलर तथा पालमुनरों ने अनुकरण किया।

सन 1856 से 1881 के मध्य The American journal of education के सम्पादक हेनरी वरनाड ने अपने जर्नल के 13 खण्ड प्रकाशित किये।

तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में वर्णनात्मक विधि उन विद्वानों ने अपनाई जिन्होंने तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन को प्रारंभ करके उसके विकास का उत्तरदायित्व संभाला।

**(6) संश्लेशणात्मक विधि** – तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र में विश्व के दृश्टिकोण को विशेश महत्व दिया जाता है। इस दृश्टिकोण का संश्लेशणात्मक विधि समर्थन करती है। इस विधि में शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन विश्व स्तर पर किया जाता है। एडमण्ड किंग ने इस विधि का प्रतिपादन वर्ल्ड परस्पेक्टिव इन एजूकेशन नामक पुस्तक में किया है। इस दृश्टिकोण में समस्त विश्व के कल्याण की भावना निहित है। यह विधि वर्तमान में अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है। आगे इसका विकास सुनिश्चित है।

## तुलनात्मक शिक्षा का क्षेत्र

NOTES

तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन, आरंभ और आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर अनेक विद्वानों ने इसके अध्ययन क्षेत्र को अपने–अपने शब्दों में व्यक्त किया है। प्रमुख विवरण इस प्रकार है –

(1) **निकोलस हंस के कथनानुसार**– इसको केण्डल का उत्तराधिकारी माना जाता है। इन्होंने तुलनात्मक शिक्षा पर अत्यधिक कार्य किया है। इन्होंने एक अध्ययन शिक्षा के कारण एवं परम्पराये सन 1949 में किया था। इस अध्ययन के द्वारा इन्होंने शिक्षा प्रणाली को प्रमाणित करने वाले विशिश्ट कारकों की पहचान की थी। इन्होंने विभिन्न देशों तथा सांस्कृतियों को अपने अध्ययन में शामिल किया। इन्होंने केण्डाल और सेडलर द्वारा प्रदत्त विचारधारा का विस्तार किया। इनके द्वारा कारकों का वर्गीकरण तीन वर्गो में किया गया–

(1) **प्राकृतिक कारक** – इन कारकों के अन्तर्गत प्रजातियाँ, भाशा, भौगोलिक एवं आर्थिक कारक प्रमुख है।

(2) **धार्मिक कारक** – ईसाई धर्म में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेण्ट परम्परायें तथा एग्लैगिक परम्परायें आदि की गणना की जाती है।

(3) **राजनैतिक कारक** – साम्यवाद, राश्ट्रीयवाद, मानवतावाद एवं प्रजातन्त्र आदि आते है।

(2) **मेरी अन्तोइन जुलियन के कथनानुसार**– शिक्षा एक सकारात्मक विज्ञान है। यह प्रशासकों के संकुचित निर्णयों, दृश्टिकोणों तथा सीमित विचारों से नियन्त्रित नहीं होनी चाहिये, इससे संकुचित नियमों का भी अनुपालन नहीं होता है। शिक्षा का प्रारूप तथा पाठ्यक्रम अन्धविश्वासों पर आधारित नहीं होना चाहिये।

(3) **वर्नन मैलियन के अनुसार**– तुलनात्मक अध्ययन की अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों एवं उनकी संस्कृतियों में समानता एवं विशमताओं की खोज करे और इनसे संबंधित कारकों को ज्ञात करे। इनके बीच अन्तरों के कारणों तथा समस्याओं के समाधान ज्ञात कर होना चाहिये। शिक्षा की समस्याओं को चिन्हित करके उनके समाधान के समुचित उपाय करना चाहिये।

(4) **आई.एल. कन्डाल**– के कथनानुसार विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों की तुलना करके उनके अभिक्रमों विधियों तथा उद्देश्यों में व्याप्त अन्तर को ज्ञात करना होता है। इसके अन्तर्गत शिक्षा पर राश्ट्रीय लागत, आकार, चरित्र, निर्माण प्रत्येक क्रान्ति की आप तथा शिक्षा के विभिन्न मदों पर शैक्षिक व्यय पंजीकरण, नामांकन औसत छात्रों की उपस्थिति तथा छात्रों के अन्दर व्याप्त धारणा शान्ति की तुलना शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर है। तुलनात्मक शिक्षा के आदान का महत्व शिक्षा की समस्याओं का विश्लेशण करना और विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के अन्तर की तुलना करना है। समस्याओं के कारणों को ज्ञात करके उसका समाधान ज्ञात करने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए।

NOTES

(5) **जार्ज बेरेडे के कथनानुसार**– तुलनात्मक शिक्षा के अन्तर्गत तुलना के कारणों का विश्लेशणात्मक अध्ययन किया जाता है। इन कारकों का विश्लेशण ऐतिहासिक विकास क्रम में किया जाता है और समस्याओं के लिये उचित समाधान तय किये जाते है। इन अध्ययनों के निश्कर्श तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र के बाहर है।

(6) **सी. अर्नोल्ड एडरसन**– के मतानुसार तुलनात्मक शिक्षा को व्यापक अर्थो में परिभाशित कर सकते है। शिक्षा के स्वरूप की अन्तः सांस्कृतिक तुलना करना है। विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों के लक्ष्य दृश्टिकोण एवं उपलब्धियों तथा सामाहित तत्वों का सह संबंध ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है।

(7) **सर माइकल सैंडलर के कथनानुसार**– आज देशों में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करते समय हमें याद रखना चाहिये कि जो वस्तुयें विद्यालय से बाहर है वे आन्तरिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण होती है। राश्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक सजीव वस्तु है परन्तु यह परिमाण अतीत के युद्धो समस्याओं तथा लड़ाई झगड़ो का है।

## लोकतन्त्र अथवा जनतंत्र अथवा प्रजातन्त्र

लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है। इसे जनतन्त्र, गणतन्त्र और लोकतन्त्र भी कहा जाता है। यह अंग्रेजी भाशा के Democracy डेमोक्रेशी का हिन्दी अनुवाद है डेमोक्रेशी शब्द ग्रीक भाशा के शब्द डेमोस Demos और क्रेटिया

NOTES

Kratia शब्दों से मिलकर बना है। डेमोश का अर्थ है जनता और क्रेटिवा का अर्थ है सत्ता या शासन। इस प्रकार प्रजातन्त्र उस शासन प्रणाली को कहा जाता है जिसमें देश की जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सम्पूर्ण जनता के हित के लिये शासन करती है। प्रजातंत्र की अनेक परिभाशायें दी गई है। इनके आधार पर प्रजातन्त्र की सामान्य रूप से तीन विशेशतायें बताई गई है।

**(1) इसके अन्तर्गत जनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा शासन किया जाता है।**

**(2) इस शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिये होता है।**

**(3) इसके अन्तर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।**

अमेरिका के 16वें राश्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार Democracy is the goat of the people for the people by the people अर्थात् जनता का जनता के लिये तथा जनता के द्वारा शासन प्रजातन्त्र है। वर्तमान समय से प्रजातन्त्र का अर्थ केवल शासन सत्ता से ही नही है बल्कि आर्थिक सामाजिक और नैतिक मूल्यों से भी है। सामाजिक प्रजातंत्र से उस समाज का ज्ञान होता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वांछित का मूल्य वांछित रूप से ही होता है और जाति रंग किंग सम्पत्ति और धर्म के भेद के बिना सभी वांछित समान समझे जाते है। वे समान अधिकार एवं समान अवसर का उपयोग करते है।

**इर्नशा के के अनुसार**– प्रजातांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो।

आर्थिक प्रजातन्त्र का अर्थ आर्थिक समानता की स्थापना से है।

नैतिक प्रजातंत्र के अंतर्गत व्यक्ति का एक विशेश प्रकार का स्वभाव तथा सामाजिक व्यवहार होना चाहिये। सबके हृदय में सेवा, परोपकार, सहिश्णुता, सहयोग, सेवा विरोधी दृश्टिकोण के प्रति आदरभाव तथा मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति होनी चाहिये।

**भारतीय प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांत निम्न प्रकार है –**

**(1) स्वतंत्रता**– भारतीय प्रजातंत्र की यह भी मान्यता है कि स्वतंत्रता ही जीवन है। इसके अभाव में वांछित को अपने व्यक्तित्व के विकास की सुविधायें प्राप्त नहीं होती। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के लिये अनेक अधिकार प्रदान किये है।

(2) **व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर**– भारतीय प्रजातंत्र की यह मान्यता है कि व्यक्ति ही प्रजातंत्र का सृश्टा एवं आधार है। अतः इसके व्यक्तित्व का पूरी तरह से आदर होना चाहिये। किसी भी वांछित को दूसरे वांछित के विकास में बाधक नहीं होना चाहिये। सम्पूर्ण समाज को सामूहिक रूप से वांछित के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करना चाहिये।

NOTES

(3) **भाई चारे की भावना का विकास**– भाईचारे की भावना स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। ये तीनों स्वतंत्रता समानता और भाईचारा प्रजातंत्र की स्थापना के लिये आवश्यक है। इन तीनों में परस्पर घनिश्ठ संबंध है। तीनों का लक्ष्य एक ही है। भाईचारे की भावना अर्थात परस्पर सहयोग की भावना के बिना प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। ईर्श्या द्वेश घृणा तथा संघर्श जब तक रहेंगे तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। समाज और राश्ट्र की उन्नति के लिये भाईचारे की भावना, बन्धुत्व की भावना, मातृत्व की भावना तथा सामूहिक रूप से मिल जुलकर कार्य करने की भावना आवश्यक है। भारत का प्रजातंत्र सामूहिक जीवन में विश्वास करता है। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किये गये है और यह अपेक्षा की गई है कि सभी भारतवासी एक दूसरे के प्रति स्नेह और भाईचारे का मान रखेंगे।

(4) **समानता**– भारतीय प्रजातंत्र में भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून का संरक्षण समान रूप से प्रदान किया गया है। जाति, धर्म वर्ग तथा वर्ण आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और समता के अनुसार विकास के अवसर और सुविधाये प्राप्त है।

(5) **समाजवाद**– भारतीय समाजवाद प्रजातंत्रीय सिद्धांतो और महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन पर आधारित समाजवाद है जो व्यक्ति, व्यक्ति में जाति धर्म और अर्थ आदि में किसी भी आधार पर भेदभाव पैदा नहीं करता और व्यक्तियों के बीच आर्थिक विशमताओं को दूर करने के लिये हिंसावाद के स्थान पर अहिंसात्मक माध्यमों का समर्थन करता है।

NOTES

(6) **न्याय**– भारतीय प्रजातंत्र सभी भारतवासियों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय देने में वचनवद्ध है। देश का प्रत्येक नागरिक समान रूप से न्याय पाने का अधिकारी है। All we equal before law अर्थात कानून के समक्ष सभी समान है। Law is equal to all कानून सबके लिये समान है।

(7) **सेवा**– रायबर्न के अनुसार प्रजातंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी लोग साथ–साथ रहते है। प्रत्येक मनुश्य समाज की और समाज प्रत्येक मनुश्य की अधिकतम सेवा करता है। भारतीय प्रजातंत्र की यह मान्यता है कि मनुश्य समाज के लिये होता है। अतः समाज सेवा के लिये उसे प्रतिवद्ध होना चाहिये।

(8) **धर्म निरपेक्षता**– संविधान ने भारत में एक लौकिक या धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य किसी वर्ग विशेश के अनुयायी को वरीयता नहीं देता और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता।

(9) **सहिश्णुता**– भारतीय प्रजातंत्र का आदर्श है जिओ और जीने दो Law cond let live । भारत विभिन्नताओं का देश है। देश में भिन्न–भिन्न जातियां सम्प्रदाओं, भाशाओं और संस्कृतियों के लोग रहते है। उनके रहन–सहन से भिन्नता होती है। सभी के प्रति आदरभाव रखना और उनका सम्मान करना भारत के प्रजातंत्र की विशेशता है।

## क्षेत्र अध्ययन

विभिन्न अनुसंधान तथा तुलनात्मक शिक्षा की विधियों में क्षेत्र अध्ययन एक उपयोगी उपकरण है। इसकी सहायता से एक अनुसन्धानकर्ता क्षेत्र विशेश में जाकर समस्या का अध्ययन करता है।

**F.N. Kerlinger के अनुसार**– Area studes are expoot facta scanlfic enqueries aimed at dis covering the relationship and enterchas among soadigild psyaological and educational variables in real doad spacture अर्थात् क्षेत्र अध्ययन कार्योत्तर प्रकार के अध्ययन है। जिनका उद्देश्य वास्तविक सामाजिक

परिस्थितियों में सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक चरों में संबंध एवं अन्तःक्रिया की खोज करना है।

**प्रकार**– प्रसिद्ध क्षेत्र अध्ययनकर्ता काज में क्षेत्र अध्ययन को दो भागों में विभाजित किया है

NOTES

(1) अन्वेशणात्मक क्षेत्र अध्ययन।

(2) परिकल्पना परीक्षण संबंधी क्षेत्र का अध्ययन।

**(1) अन्वेशणात्मक क्षेत्र अध्ययन**– इसके अन्तर्गत पाये जाने वाले संबंधों के विशय में भविश्यवाणी न करके प्रायः स्थिति जिस प्रकार की है। उसका ही वर्णन किया जाता है। इसके मुख्यतः तीन उद्देश्य होते है –

(1) भिन्न–भिन्न चरों के संबंध को ज्ञात करना।

(2) क्षेत्र विशेश की परिस्थितियों में महत्वपूण्र चरों की पहिचान एवं खोज करना।

(3) परिकल्पना अथवा परिकल्पनाओं के लिये व्यवस्थित रूप से कठिन परीक्षणों के लिये पृश्ठभूमि तैयार करना।

**(2) परिकल्पना परीक्षण** – इसमें एक स्पश्ट धारणा के साथ एक अनुसन्धानकर्ता कार्य आरंभ करता है तथा वह देखता है कि यदि ऐसी परिस्थिति रहेगी तो ऐसा व्यवहार होगा। कर्मचारी यदि इसमें सन्तुश्टि का भाव रखता होगा तो उत्पादन भी निश्चित ही बढ़ेगा। यदि छात्रों में असन्तुश्टि की भावना बढ़ेगी तो इससे स्थिति बिगड़ सकती है।

परिकल्पनाओं के परीक्षण में कार्य यद्यपि अपने आदर्श रूप में प्रयोगात्मक अनुसंधान तथा अन्वेशणात्मक अध्ययन के लिये अधिक उपयुक्त है। परन्तु क्षेत्र अध्ययन में दोनों का प्रयोग सुगमता से किया जाता है।

## क्षेत्र– अध्ययन के पद

प्रमख अनुसन्धानकर्ता काज में क्षेत्र अध्ययन के विभिन्न पद अथवा सोपानों का वर्णन किया है क्षेत्र अध्ययन के सौपान निम्न प्रकार है –

(1) पूर्व नियोजन

(2) अन्वेशणात्मक भ्रमण

(3) अभिकल्प का निर्माण

NOTES

(4) उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का पूर्व निरीक्षण

(5) पूर्ण स्तर पर क्षेत्र अध्ययन

(6) प्राप्त सामग्री का विश्लेशण

**(1) पूर्व नियोजन**– यह एक अत्यन्त ही आवश्यक पद है। इसके अभाव में क्षेत्र अध्ययनवाद स्थित रूप में प्रारंभ नहीं हो सकता। इस पद में अनुसन्धानकर्ता अपने अध्ययन कार्य को सूचीबद्ध कर लेता है।

**(2) अन्वेशणात्मक**– अनुसंधानकर्ता इस स्तर पर सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसीलिये वह या तो समूह के साथ रहता है अथवा बार–बार मिलने का प्रयास करता है। अनुसन्धानकर्ता को इस कार्य को पूर्ण सम्पादित करते समय निम्नांकित पर ध्यान देना जरूरी है।

(1) उसे लोकप्रिय व्यक्तियों से सम्पर्क करना चाहिये।

(2) उसे अनुभवी व्यक्तियों के सम्पर्क में रहना चाहिये।

(3) सम्पर्क का विकसित क्षेत्र।

(4) सम्पर्क क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

(5) सूचना के विरोधाभास का स्पश्टीकरण।

(6) औपचारिक / अनौपचारिक नेताओं की खोज।

(7) सर्व सम्मत विचारों को प्राथमिकता।

(8) धन के प्रलोभन से बचना।

(9) धन का प्रलोभन देना।

(10) पूर्ण अभिलेख के साथ तैयार।

(11) सहभागिक निरीक्षण।

(12) अन्य स्त्रोतों का अध्ययन।

(13) दुमाबियों व्यवस्था।

(14) मध्यस्थ का चुनाव।

**(3) अभिकल्प निर्माण** – अनुसंधानकर्ता कोई शीर्शक के अन्तर्गत यह निश्चय करना होता है कि उसके क्षेत्र का अध्ययन का अभिकल्प कैसा अथवा किस प्रकार का होगा।

**(4) उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का पूर्व निर्धारण**– किया गया निर्धारण ही सफल बनाता है।

**(5)** पूर्ण स्तर पर क्षेत्र अध्ययन होना यदि प्राप्त सामग्री का उचित विश्लेशण होना चाहिये।

NOTES

# अध्याय – दो

NOTES

## तुलनात्मक शिक्षा के मुख्य घटक

## Main Factors of comparative education

तुलनात्मक शिक्षा का निर्माण अनेक घटकों के मिलने से होता है। सभी प्रकार के अध्ययन तथा विशयों के अनुरूप तुलनात्मक शिक्षा अनेको तत्वों तथा घटकों से प्रभावित रहती है। विभिन्न देश राज्य तथा उपलब्ध परिस्थितियों के कारण तुलनात्मक शिक्षा प्रभावित होती है। किसी भी देश की शिक्षा पद्धति को प्रभावित करने वाले कुछ घटक होते है जो पूर्व में ही स्थित होते है तथा उन्हें विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों से स्वतंत्र माना जाता है। ऐसे घटकों को प्राकृतिक रूप से विश्लेशित किया जाता है। आवश्यक घटक निम्न प्रकार है –

(1) भौगोलिक घटक (geographical factore)

(2) आर्थिक घटक (economic factor)

(3) सांस्कृतिक घटक (cultural factor)

(4) दार्शनिक घटक (Philosophical factor)

(5) सामाजिक घटक (Sociological factor)

(6) भाशायी घटक (lenguistie factore)

(7) वैज्ञानिक घटक (scientific factor)

(8) ऐतिहासिक घटक (Historical factor)

(9) पारिस्थितिक घटक (ecological factor)

(10) धार्मिक घटक (Religious factor)

(11) नैतिक घटक (Moral factor)

(12) मानवतावादी घटक (Humanism factor)

(1) **भौगोलिक घटक (geographical factore)**– किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता एवं शिक्षा प्रणाली पर उस देश की भौगोलिक स्थिति का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। विश्व के विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति पृथक–पृथक है। वहां के संस्कृति, सभ्यता एवं शिक्षा प्रणाली, रहन–सहन, सामाजिक व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली में अन्तर पाया जाता है। शीत प्रधान देश की जलवायु गर्म देश से भिन्न होती है। शिक्षा प्रणाली सामाजिक व्यवस्था और रहन–सहन से सदैव प्रभावित होती है। कृशि प्रधान देश में कृशि की शिक्षा पर विशेश ध्यान दिया जाता है। जिस देश में कई स्वरूपों में औद्योगिक केन्द्र होते है और आपका मूल कारण उद्योग ही होते है वहां की शिक्षा प्रणाली में तकनीकि एवं औद्योगिक शिक्षा पर विशेश ध्यान दिया जाता है। शीत प्रधान राश्ट्र में दीर्घ कालीन अवकाश सर्दी के दिनों में होता है तथा गर्म देशों में गर्मी में होता है। किसी देश की शिक्षा संरचना पर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है।

NOTES

(2) **आर्थिक घटक (Economic factor)**– किसी देश की आर्थिक दशा का वहां की शिक्षा संरचना में संबंध होता है आर्थिक व्यवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निर्मित किये जाते है। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में देश का जो विश्वास होता है उसे बालकों में विकसित किया जाता है जैसे पूर्व के सोवियत संघ में समानवादी, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के संबंध में सर्व सम्मति राज्य की ही समझी जाती है। वहां की शिक्षा में शिक्षा में प्रारंभ से ही ऐसी मानसिक भर की जाती है कि सभी सम्पत्ति राज्य की है और उसकी रक्षा की जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन की स्थिति इसके विपरीत है। इन देशों में व्यक्तिगत सम्पत्ति को पूर्व मान्यता की जाती है। शिक्षा प्रणाली के विकास में व्यक्ति के अधिक पर पूरा ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि इन देशों के विद्यालय जनता के लिये न होकर कुछ विशिश्ट धनी वर्ग के बालकों के लिये संचालित होते है। इस प्रकार राश्ट्र की आर्थिक स्थिति वहाँ के शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा प्रभावित होती है।

NOTES

(3) **सांस्कृतिक घटक (Cultural factor)**– संस्कृति शब्द सम (उपसर्ग) तथा कृति (संज्ञा) से मिलकर बना है। संस्करण अथवा घटित में सामाजिक व्यवहारों के प्रति वैज्ञानिक चेतना। किसी भी राश्ट्र की उन्नति उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के संस्कार एवं व्यवहार पर आधारित होती है। जीवन यात्रा के मार्ग में मनुश्य का स्वभाव या संस्कार उसकी यात्रा को प्रभावित करते है। प्रत्येक राश्ट्र की शिक्षा प्रणाली वहां की संस्कृति से प्रभावित होती है। इससे रूसो, प्लेटो, अरस्तु, सकुरात, टेगोर, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी तथा अरविन्द घोश इत्यादि अनेक शिक्षाविद अपनी विश्व धरोहर संस्कृति से कहीं न कहीं से अवश्य ही प्रभावित थे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा भी अमुक देश की सांस्कृतिक विरासत का ही प्र्याय रूप है। भारत की शिक्षा प्रणाली जहां एक ओर की सांस्कृतिक विरासत के वास्तविक रूप को स्वीकार नहीं करती वहीं दूसरी ओर अमेरिका की इस सांस्कृतिक घटक से अछूते नहीं है। सांस्कृतिक घटक शिक्षा प्रणाली का अंग है।

(4) **दार्शनिक घटक (Philosophical factor)**– किसी भी राश्ट्र का जीवन दर्शन उस देश की शिक्षा प्रणाली का आईना दर्पण होता है। दर्शन जीवन को प्रभावित करता है। अतः शिक्षा पर भी दर्शन का प्रभाव होना सुनिश्चित है। प्लेटो सुकरात और अरस्तु ने एक विशिश्ट दर्शन पर देश की शिक्षा व्यवस्था को आधारित किया और देश के सम्पूर्ण शासन को दार्शनिकों के हाथ में सौपने की बात कहीं थी। वर्तमान में भी चीन की शिक्षा प्रणाली साम्यवादी दर्शन पर आधारित है। हमारे प्राचीन भारत में वैदिक दर्शन के आधार पर गुरूकुल शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। बौद्ध दर्शन के आधार पर बिहार और मठों की शिक्षा पद्धति विकसित हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादिक वैदिक दर्शन पर आधारित कुछ दयानन्द ऐंग्लो वैदिक विद्यालय पाये जाते है जो प्राचीन गुरूकुल के प्रधान तत्वों को सम्मिलित करते हुये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना पर बल देते है जो आधुनिक युग के जीवन के अनुरूप हो। इसी प्रकार आधुनिक भारत के प्रमुख दार्शनिक अरविन्द घोश के अरविन्द दर्शन पर आधारित कुछ शिक्षा संस्थायें भारत में मिलते है। गांधी जी तथा

बिनावाभावे के सर्वोदय दर्शन पर आधारित एक विशिश्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के विकास पर आजकल कुछ लोग बल देते है। इस प्रकार शिक्षा के विकास में दर्शन घटक महत्वपूर्ण है। सामाजिक घटक Souological factor किसी भी राश्ट्र का निर्माण स्वयं ही नहीं होता बल्कि विभिन्न समानों के संयुक्तीकरण से राश्ट्रों का निर्माण होता है। राश्ट्र के निर्माण में समाजवादी तत्व एक महत्वपूर्ण घटक है। आज के युग में हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर समाजवाद का प्रभाव व्याप्त है। हमें समाजवाद के तत्व प्लेटो के विचारों में मिलते है। प्लेटो ने व्यक्ति के सामने राज्य को प्रमुखता दी और सम्पूर्ण सम्पत्ति और नागरिकों पर राज्य के एकाधिपत्य का समर्थन किया। इस विचारधारा के अनुसार बालकों के विकास एवं पालन तथा शिक्षा सम्पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिये इस सिद्धान्त का यूनान की शिक्षा पर कालान्तर में पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इग्लैण्ड के सरटामस मोर ने यूटोपिया नामक अपनी पुस्तक में प्लेटों के विचारों के अनुरूप ही समाजवादी सिद्धांतों पर प्रभाव डाला। मोर के मतानुसार सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार करना राज्य के परम कर्तव्य है।

NOTES

(5) **भाशायी घटक Lenquitic factor**– प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से ही एक विशेश भाशा अर्थात मातृभाशा धरोहर के रूप में प्राप्त करता है। क्योंकि उसने अपने वर्ग अथवा समाज की ही भाशा को सीखना होता है। किसी देश की सभ्यता और संस्कृति आदि अनेक अर्थो में उस देश की भाशा में है। संकलित होती है यद्यपि सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक स्वरूप उन तथ्यों की ओर भी ध्यान दिया है।

(6) **वैज्ञानिक घटक Suentific factor**– वैज्ञानिक घटकों की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस राश्ट्र की वैज्ञानिक प्रगति उत्कृश्ट होती है वहां की शिक्षा प्रणाली भी उत्कृश्ट होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में उसकी श्रेश्ठता रखता है – इसी कारण अमेरिका शिक्षा के साथ–साथ स्वरूप एवं शिक्षा, चिकित्सा अर्थव्यवस्था एवं अन्तरिक्ष विज्ञान आदि में विश्व में सर्वोच्च स्थान रखता है। वैज्ञानिक उन्नति का सीधा प्रभाव शिक्षा प्रणाली पर होता है।

NOTES

**(7) ऐतिहासिक घटक Historical factor**– किसी भी व्यक्ति समान अथवा राश्ट्र का अपना पृथक इतिहास होता है। इतिहास के अभाव में भविश्य की कल्पना नहीं की जा सकती। भविश्य निर्माण में इतिहास बुनियाद का कार्य करता है। राश्ट्र की शिक्षा उसकी इतिहास तथा संस्कृति से जुड़ी होती है क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपनी प्राथमिक अवस्था में अपनी शिक्षा अपनी सभ्यता तथा संस्कृति की छाया में ही ग्रहण करता है। इस कारण प्रत्येक राश्ट्र की प्राथमिक शिक्षा में उस राश्ट्र की सभ्यता तथा संस्कृति का समावेश होता है।

**(8) पारिस्थितिक घटक Ecological factor**– कोई भी राश्ट्र अथवा मानव सभ्यता अपने पारिस्थितन्त्र से फलता फूलता है अर्थात जिस राश्ट्र का पारिस्थितन्त्र जैसा होगा उस देश का निर्माण अथवा शिक्षा प्रणाली भी वैसी ही होगी। उदाहरण के लिये टुण्ड्रा क्षेत्र के राश्ट्र अपने पर्यावरण एवं पारिस्थित क्षेत्र के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते है तथा उसी के अनुरूप अपनी शिक्षा प्रणाली भी विकसित करते है वहीं हमारा राश्ट्र भारत भी मानसूनी जलवायु अथवा पारिस्थितितन्त्र वाला राश्ट्र है। आज भी भारत मानसून पर आधारित अर्थ व्यवस्था वाला राश्ट्र है।

**(9) धार्मिक घटक Religious factor**– धर्म का जीवन में विशेश महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अथवा राश्ट्र का इतिहास साक्षी है कि धर्म की वेदी पर व्यक्तियों ने अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दिया है। यूरोप के इतिहास में ऐसे उदाहरण विद्यमान है। धर्म प्रधान देश की जनता रूढ़िवादी होती है और अपनी प्राचीन परंपराओं में परिवर्तन का विरोध करती हैं औद्योगीकरण की प्रधानता होने वाले देश में विज्ञान के प्रभाव स्वरूप रूढ़ियाँ टूटने लगती है और समय की अनिवार्यता के अनुसार समाज का निर्माण होने लगता है। इस निर्माण में शिक्षा की भूमिका अहम होती है। कृशि प्रधान देश में जनता रूढ़िवादी होती है तथा परिवर्तन को शंका की दृश्टि से देखती है तथा धार्मिक भावनाओं को ज्यों की त्यों संजोये रखती है। ऐसी परिस्थिति के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जाता

है। जनता की मूल धार्मिक भावनाओं का शिक्षा में आदर करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार धार्मिक घटक शिक्षा के लिये प्रभावकारी तत्व है।

NOTES

**(10) नैतिक घटक**– आज के विश्व में भी कुछ देशों की कानून व्यवस्था धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होती है तथा वहीं कुछ नैतिक व्यवहार पर अधिक बल देते है। जिस देश की लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली होती है वहां प्रत्येक नागरिक के नैतिक व्यवहार पर विशेश ध्यान दिया जाता है। क्योंकि नैतिक व्यवहार ही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की आत्मा होती है प्रत्येक नागरिक के नैतिक व्यवहार से ही लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। इस प्रकार जिस देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है वहां भी शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्तिगत नैतिकता के विकास पर विशेश बल दिया जाता है। जापान, स्विटजर लैण्ड तथा ग्रेट ब्रिटेन में जहां लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था है शासन के नैतिक उद्देश्यों को प्रधानता दी जाती है। तुलनात्मक शिक्षा में इस प्रकार नैतिक घटकों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

**(11) मानवतावादी घटक Hamonism factor**– मध्ययुग के अन्त में यूरोप के इतिहास में मानवतावाद की ऐसी धारा चली जो व्यक्ति को धार्मिक अन्धविश्वास से छुटकारा देकर उसके जीवन को वैज्ञानिक बनाना चाहती थी जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सके। मानव प्रकृति पर इस तरह किसी प्रकार का धार्मिक दबाब डालना हानिकारक समझा जाने लगा। मानवतावाद मानव मात्र के कल्याण को सर्वोपरि समझना है। मुख्यतः इस प्रवृति का प्रारंभ पुनरूत्थान काल से होता है। कालान्तर में इसी प्रवृति के फलस्वरूप चर्य और राज्य का संबंध विच्छेद हुआ। और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो चले। यूरोप के कुछ शिक्षा शास्त्रीयों ने सोलहवी और सत्रहवी शताब्दी में मानवतावाद के आधार पर अपने देशों की शिक्षा प्रणालियों में कुछ ऐसे परिवर्तन के समावेश पर बल दिया जिससे शिक्षा पर मानवतावाद का प्रभाव स्पश्ट हो जाता है। ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से शिक्षा देने पर बल देकर कामेनियस ने मानवतावादी दृश्टिकोण का परिचय दिया। जर्मनी में मानवतावाद के प्रभाव के कारण शिक्षत्व की

नवीन विधियों की रचना की गई। मानवतावादी घटक शिक्षा प्रणाली में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

NOTES

## तुलनात्मक शिक्षा के उपागम

### Approaches of comparative education

तुलनात्मक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नांकित उपागमों का उपयोग किया जाता है –

(1) दार्शनिक उपागम Philosophical approach

(2) समाजशास्त्रीय उपागम Sociological approach

(3) ऐतिहासिक उपागम Historical approach

(4) सांख्यिकीय उपागम Stalistical approach

(5) अन्तर एवं अन्तरा उपागम Inter and intra approach

**(1) दार्शनिक उपागम Philosophy approach** – इस उपागम का अर्थ शिक्षा के दर्शन पर आधारित होने से है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विभिन्न अंग होते है। जैसे उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ एवं व्यवस्था आदि। शिक्षा के ये विभिन्न अंग दर्शन के आधार पर ही बने है। इसी कारण शिक्षा को दर्शन का सैद्धांतिक पहलू भी कहा गया है। दर्शन साध्य होता है और शिक्षा साधन। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा दर्शन पर आधारित है।

प्रत्येक व्यक्ति का जीवन के प्रति अपना कुछ न कुछ दृश्टिकोण होता है। इसे ही जीवन का दर्शन कहते है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति जीवन के उद्देश्य का निर्धारण करता है। इन उद्देश्यों को प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जीवन दर्शन के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, उसके उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम आदि शिक्षा दर्शन का एक पक्ष है जिस प्रकार सोवियत रूस का दर्शन साम्यवादी है अतः वहां की शिक्षा में साम्यवादी विचारों की झलक मिलती है। इसी प्रकार भारत, ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका की शिक्षा में प्रजातांत्रिक विचारों का समावेश है।

**(2) समाजशास्त्रीय उपागम Sociological approach** – समाज अपने स्थायित्व अपनी उन्नति एवं विकास के लिये शिक्षा का सहारा लेता है अथवा यह कहा जा

सकता है कि शिक्षा विहीन समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा द्वारा ही करता है। वह अपने आदर्शो का अनुरक्षण करके सभ्यता एवं संस्कृति को फैलाता है। प्रत्येक समाज में जिस प्रकार के नागरिकों की आवश्यकता होती है समान शिक्षा के रूप में उसी के अनुसार मोड़ देता है। शिक्षा की व्यवस्था समाजहित में होती है। समानहित से विहीन शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। अतः समाज शिक्षा का मूल आधार है। जान ड्यूबी के द्वारा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आयाम की अपेक्षा समाज शास्त्रीय उपागम को अधिक स्थान मिला है।

NOTES

(3) **ऐतिहासिक उपागम Historical approach** – वर्तमान समय में जो उत्पत्ति है, वह पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है। इसी कारण से प्रत्येक शिक्षाविद के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसे आदिकाल से लेकर वर्तमान तक शिक्षा के विकास का इतिहास जानना चाहिये क्योंकि जब तक शिक्षा के विकास में हुये परिवर्तनों का सम्पूर्ण अध्ययन नहीं किया जाता तब तक अपने देश एवं कारण के लिये उपयोगी उचित एवं अनुकूल शिक्षा की संरचना नहीं कर सकते। इसीलिये सर्व प्रथम शिक्षा के इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। प्रत्येक देश का अपना इतिहास होता है, इस प्रकार देश काल एवं परिस्थितियों पर आधारित प्रत्येक देश की शिक्षा व्यवस्था भी पृथक होती है इसी कारण तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपागमों को महत्व प्रदान किया गया है।

(4) **सांख्यिकीय उपागम Statistical approach** – तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के समय विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है एवं उनमें निहित समानताओं पर प्रकाश डालते है। इन उपागम के अन्तर्गत शिक्षा प्रणाली के संबंध में विभिन्न आंकड़े प्राप्त होते है जैसे किसी वर्श के शिक्षा के किसी स्तर पर विद्यार्थियों की संख्या तथा शिक्षकों के वेतन पर होने वाला व्यय विद्यालय भवन एवं रख रखाब पर व्यय आदि के संदर्भ में भी आंकड़े एकत्रित किये जाते है। और तुलना अता देशों में शिक्षा प्रदत्त साधनों से की जाती है। सांख्यिकीय उपागम प्राप्त करने में विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करना कठिन होता है। आंकड़ों को एकत्रित करते समय भी लापरवाही बरती नहीं है। इसके साथ ही एक प्रबल कठिनाई यह है कि अलग–अलग देशें के द्वारा अलग–अलग शिक्षा स्तरों पर जो शब्दावलियां प्रयुक्त

होती है उनमें समानता का अभाव होता है। इस प्रकार उनमें समानता का अभाव होता है। इस प्रकार सांख्यिकीय विधि की उपयोगिता संदिग्ध होना ही है।

NOTES

**(5) अन्तर एवं अन्तरा उपागम Inter and entra approach** – इस उपागम के अन्तर्गत प्रायः दो या दो से अधिक देशों की प्रचलित शिक्षा प्रणालियों एवं शिक्षा के प्रारूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उनमें व्याप्त समानताओं और असमानताओं का विश्लेशण किया जाता है। इसमें शिक्षा प्रणालियों की विशेशताओं को चिन्हित किया जाता है। इसे ही अनतर्राश्ट्रीय शैक्षिक विश्लेशण आयाम कहा जाता है। जिस प्रकार मुख्य शिक्षा के विकास एवं उसके प्रारूप का विकासशील देशों में विश्लेशण करना, महात्मा गांधी एवं ज्ञान डीवी के शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक योगदान का विश्लेशण करना आदि सब इस आयाम से संबंधित है।

किसी भी एक देश का प्रभावशाली एवं व्यवहारिक नियोजन करने के लिये शैक्षिक विश्लेशण विभिन्न समयों में करके विकासक्रम को प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अन्तर्गत घटकों के आन्तरिक स्वरूप का विश्लेशण कर उसके तत्वों को विभाजित किया जाता है। मुख्यतः शिक्षा प्रणाली को तीन घटकों में विभाजित किया गया है।

**(1)** शिक्षा के उद्देश्य

**(2)** अधिगम अनुमक एव

**(3)** व्यवहार परिवर्तन जैसे अधिगम अनुभव के तत्व शिक्षण विधियाँ, सहायक प्रणाली, अभिप्रेरणा शिक्षण सूत्र गृह कार्य तथा अन्तः प्रक्रिया। इन सभी तत्वों का विश्लेशण एक ही विशय अलग–अलग स्तरों पर किया जाता है। एक ही स्तर के अलग–अलग विशयों से तुलना की जाती है। इस प्रक्रिया को अन्तरा उपागम कहते है।

# अध्याय – तीन

NOTES

## आधुनिक विश्व शिक्षा की प्रवृतियाँ, राश्ट्रयकरण और भूमण्डलीय

## Trends, Nationatin and globalization of modern world education

प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली का अपना प्रारूप होता है और ये प्रारूप अन्य देशों से भिन्न होता है। विश्व के किन्हीं दो देशों की शिक्षा प्रणालियों में समानता नहीं होती प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली उस देश की संस्कृति पर पूर्ण रूपेण निर्भर होती है। भारत देश में शिक्षा व्यवस्था का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्यों पर होता है। प्रत्येक राज्य की अपनी शिक्षा प्रणाली है और प्रत्येक राज्य की शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया है।

वर्तमान समय में शिक्षा के राश्ट्रीयकरण की प्रवृति को बढ़ावा दिया जाने लगा है जिस प्रकार से सन 1998 में अध्यापक शिक्षा का राश्ट्रीयकरण, जिसके अन्तर्गत राश्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिशद NCTE अपनी पूर्ण भावना से प्रस्तुत कर रही है। इस परिशद को पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये है। वर्तमान समय में राश्ट्रीयकरण को संकुचित विचारधारा से प्रभावित मानते है। इसका प्रमुख कारण यह है कि देश आज पूर्णरूप से आत्मनिर्भर नहीं है तथा देश की समस्याये तथा उसकी गतिविधियां निश्चित ही पड़ोसी देशों को प्रभावित करती है। आज विश्व के लगभग सभी देश विश्व युद्ध की विभीशिका से बचना चाहते है। शिक्षा ही इसका सशक्त यंत्र है जो मानव को विश्व युद्ध से बचा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही मानव में अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना, विश्व बंधुत्व तथा नागरिकता का भाव आदि गुणों को विकसित किया जाता है। इसीलिये शिक्षा की भूमण्डलीकरण की प्रवृति को विकसित किया जाने लगा है। इसे ही भूमण्डलीय शिक्षा कहते है।

**शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों की आवश्यकता**– विश्व के सभी देशों की शिक्षा प्रणालियां अनेक कारकों से प्रभावित है। यह कारक तथ्य है जिनकी अत्यन्त आवश्यकता

है। शिक्षा प्रणालियों को प्रभावित करने वाले कारक दार्शनिक आधार राश्ट्रीय चरित्र सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां तथा भौगोलिक आदि प्रमुख है। शिक्षा प्रणाली इन सभी कारकों एवं परिस्थितियों का ही समन्वित परिणाम है। अतः तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन इन्हीं के परिप्रेक्ष्य एवं संदर्भ में किया जाता है।

NOTES

शिक्षा के महत्व को ए.एच. मोहेलमन द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है सांस्कृतिक परिवर्तन के लिये शिक्षा ही एक प्रमुख उपकरण हो गया है। मानव की प्रकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। मानव प्रकृति के परिवर्तन में परिवर्तन लाया जा सकता है। मानव प्रकृति के परिवर्तन में शिक्षा ही मुख्य कारक एवं साधन है। औचपारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा ने ग्रामीण जनसंख्या को औद्योगीकरण की ओर अधिक ही बता से बदला है। कुछ पीढ़ियों के अन्तराज में औद्योगिक संस्कृति को बदल दिया है।

Education has become a major instiament in cultural change. The evidence becomes increasenj by clear the human nature can be changed and that education in a prime in this process education both formal and informal has accelerated the theft from. Rural to highly industridized nations or culture in the time span of a few generations.

आज विश्व के मानव में अनेक विशिश्टतायें विद्यमान है और उनकी शारीरिक रचना एवं उनकी प्रजातियां भी स्वयं की है। वे विश्व में अपनी परम्पराओं में रह रहे है। उनके मध्य आदान–प्रदान के लिये उनकी अपनी भाशा है। उनके अपने मूल्य सूत्र है। मानवों के समुचित प्रशिक्षण एवं विकास के लिये शिक्षा जैसे उपकरण को उन्होंने विकसित एवं स्थापित किया है। इन समस्त संकेतों तथा उपकरणों की सहायता से प्रत्येक मानव भली प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकता है और साथ ही साथ वह अपनी प्रगति भी कर सकता है।

**आधुनिक शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक** – संसार में प्रत्येक देश की अपनी पृथक विशेशतायें होती है तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताये होती है तथा उनकी स्वयं की शिक्षा प्रणाली होती है यह अन्तर अनेक कारकों से होता है। कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार है।

(1) राश्ट्रीय एकता का भाव अथवा राश्ट्रीयता Spirit of national unit a mahanalein

(2) सांस्कृतिक धरोहर Cultural Haritage

(3) बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक की समस्या issue of menorities and majaurity

NOTES

(4) आर्थिक क्षमतायें Economic capacity

(5) राश्ट्रीय हितों का संरक्षण Preserbation of national interest

(6) धनी और गरीबों की खई पाटना bredgent the gulf between the such and poor

(7) शिक्षा प्रणाली का राजनैतिक आधार Political back ground of education system

(8) राश्ट्रीय भाशा National language

(9) संस्कृति एवं राश्ट्रीय भाशा Culture and national language

(10) भाशा की समस्या Problem of language

(11) अन्तर्राश्ट्रीय सहयोग एवं जनभावना international co-operation and condertand

(12) राश्ट्रीय चरित्र एवं राश्ट्रीय शिक्षा प्रणाली National character and national education

**(1) राश्ट्रीय एकता का भाव अथवा राश्ट्रीयता** – यदि किसी देश में राश्ट्रीय एकता का भाव है अथवा उनमें राश्ट्रीयत हो तो उस देश की शिक्षा प्रणाली का विकास अधिक सफलता पूर्वक किया जा सकता है। शिक्षा के समुचित विकास के लिये इस प्रकार की भावनाओं का होना जरूरी है। विश्व के अनेक देशों जैसे अमेरिका, इग्लैण्ड, भारत में इस प्रकार के भवों का अभाव है और इनको विकसित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है विश्व के इन देशों में विभिन्न भाशाओं एवम् जातियों के लोग निवास करते है। इसके विपरीत जर्मनी जापान में इस प्रकार की भावनाओं का अत्यधिक विकास हुआ है। यहां के निवासियों में राश्ट्रीय भावना विकसित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है।

NOTES

(2) **सांस्कृतिक धरोहर का अनुरक्षण**– शिक्षा प्रणाली के माध्यम से देश के नागरिकों में अपनी संस्कृति के प्रति अनुराग विकसित किया जाये और हमें अपनी संस्कृति धरोहर पर गर्व होना चाहिये। प्रत्येक देश की संस्कृति के मूल तत्व जीवन मूल्यों पर आधारित होते है। इन मूल्यों पर सामाजिक एवम् राजनैतिक परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि इनमें परिवर्तन नहीं होते है। शिक्षा के द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व की भावना का विकास होता है।

(3) **बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक की समस्या**– विश्व के अधिकांश देशों में अलग–अलग प्रकार के अल्प संख्यक समूह होते है। इनके अपने धर्म तथा अपनी भाशा होती है उसी का वे उपयोग करते है। इनकी भाशा रहन सहन बोलचाल तथा रीतिरिवाज आदि सभी बहुसंख्यकों में पूरी तरह से भिन्न होते है। उपरोक्त विशमताओं राश्ट्रीयता की भावना अत्यावश्यक है। इसे बनाये रखने के लिये शिक्षा प्रणाली का ऐसा प्रारूप होना चाहिये जिससे उनकी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जावे और राश्ट्रीयता की भावना का विकास हो।

(4) **आर्थिक क्षमतायें** – प्रत्येक देश की आर्थिक क्षमताओं का प्रभाव सीधे शिक्षा प्रणाली पर पड़ता है क्योंकि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली मुख्यतः आर्थिक क्षमताओं से निर्देशित होती है अर्थात आर्थिक रूप से सम्पन्न देश किसी भी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था एवं संचालन कर सकता है लेकिन एक गरीब देश वैज्ञानिक तकनीकी कम्प्युटर तथा मेडीकल की शिक्षा प्रणाली का प्रारूप हो। वर्तमान में उच्चशिक्षा अत्यन्त खर्चीली हो गई है इसलिये विकसित एवं विकासशील देश दूरवर्ती शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा मितव्ययी है। भारत के प्रत्येक राज्य में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

(5) **राश्ट्रीय हितों का संरक्षण**– किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली का प्रारू‍प ऐसा होना चाहिये जिससे कि राश्ट्रीय हितो का अनुरक्षण हो सके और नौकरी तथा रोजगार के अवसर सृजित किये जा सके आर्थिक विकास तथा राश्ट्रीयता की भावना के विकास से राश्ट्रीय हितों का संरक्षण किया जा सकता है।

(6) **धनी और गरीबों की खाई को पाटना** – विश्व के सभी देश अपनी शिक्षा प्रणालियों के विकास में प्रजातन्त्र तथा साम्यवाद को अपनाते है। शिक्षा प्रणालियों

के माध्यम से धनी एवं गरीबों के मध्य व्याप्त अंतर को कम करना चाहते है। किसी भी देश की साक्षरता की दर और प्रति व्यक्ति आय घनात्मक होती है। प्रजातंत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क माना गया है तथा छात्रों के लिये छात्रवृत्ति का आयोजन किया गया है। प्रतिभाओं का विकास ही राश्ट्र शक्ति है। प्रतिभावान व्यक्ति ही राश्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में कुशल एवं उचित नेतृत्व करते है। जिससे राश्ट्र एवं समाज का यथा संभव विकास होता है। यह गरीब और अमीर के बची की खाई को पाट देते है।

NOTES

**(7) शिक्षा प्रणाली का राजनैतिक आधार**– यह सत्य है कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश में व्याप्त राजनैतिक प्रणाली से प्रभावित होती है। इतना ही नहीं कक्षा शिक्षण का स्वरूप भी शासन प्रणाली के स्वरूप से प्रभावित होता है। शिक्षण को अन्तः क्रिया प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली ही मानते है। अन्य के अन्तः प्रक्रिया नहीं मानते शिक्षा प्रणाली एक ऐसा उपकरण है। जिसके द्वारा राजनैतिक विचारधारा प्रचार एवं प्रसार करती है। आधुनिक युग में शासन प्रणाली तथा राजनीति ही शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। भारत में सत्ता बदलने से लगातार तीन शिक्षा आयोग का गठन 1968, 1919 उपं 1986 में हुआ और राश्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की तीन समितियों ने लगातार समीक्षा की। राजनैतिक आधार पर शिक्षा प्रणाली को विकसित करते समय निम्न कारक आधारवान होते है।

(1) व्यक्ति, राजनैतिक प्रणाली एवं शिक्षा

(2) प्रशासनिक व्यवस्था एवं शिक्षा

(3) प्रजातंत्र एवं शिक्षा प्रणाली

(4) शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक विचारधारा

**(8) राश्ट्रीय भाशा** – प्रत्येक देश की शिक्षा में उस देश की राश्ट्रीय भाशा का अपना विशेश महत्व है। सभी देशों में शिक्षा का माध्यम उसकी राश्ट्रीय भाशा है लेकिन भारतवर्श एक अपवाद है। कुछ देशों में क्षेत्रीय भाशाओं के साथ–साथ राश्ट्रीय भाशा का प्रयोग प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। जिससे सभी को उचित सम्मान एवं प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इससे राश्ट्रीयता की भावना का विकास होता है।

राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास में राष्ट्रीय भाषा की अपनी अहम भूमिका होती है।

NOTES

**(9) संस्कृति एवं राष्ट्रीय भाशा** – विश्व के सभी देशों को अपने सांस्कृतिक मूल्य होते है। इन सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति भी राष्ट्रीय भाशा के माध्यम के द्वारा संभव होती है। राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। राष्ट्रीय भाशा के बिना कोई भी राश्ट्र अपने सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण कर पाने में सक्षम नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय भाशा की सांस्कृतिक मूल्यों में अहम भूमिका होती है। क्योंकि –

(1) सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण तथा संचित करने के।

(2) राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास में।

**(10) भाशा की समस्या** – विश्व के कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पर एक से अधिक भाशाओं का प्रयोग किया जाता है और लिखने में भी इन भाशाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के देशों में भाशा की समस्या होती है। इस स्थिति में देश की शिक्षा प्रणाली भी प्रभावित होती है तब अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय भाशा का स्तर किस भाशा को प्रदान किया जाना चाहिये। ऐसे देश जहां पर एक से अधिक भाशाये प्रचलित है राष्ट्रीय एकता में सदैव बाधाये बनी रहती है। भाशायी स्थिति भारत में भी सर्वाधिक अधिक है इस कारण आज तक राष्ट्रीय भाशा का चयन नहीं हो सका है। किसी भी देश के राष्ट्रीय चरित्र में राष्ट्रीय भाशा का अत्यधिक महत्व है किसी भी देश के छात्रों का विकास तभी संभव हो पाता है जब उसकी शिक्षा मातृभाशा या राष्ट्रीय भाशा के माध्यम से ही प्रदान की जाये।

**(11) अन्तर्राश्ट्रीय सहयोग एवं सदभावना**– द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त जब विश्व के समस्त देशों को युद्ध से हुई जनहानि, धनहानि एवं अनाविभीशिकाओं का अनुभव हुआ तो सभी देश विश्व शांति को लेकर उपायों के बारे में ऐसे सोचने लगे। अन्तर्राश्ट्रीय अभिक्रमों ने भी सहयोग की प्रवृति को अपनाया। विश्व के सभी राश्ट्रों में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से युद्ध की प्रवृति को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। इससे बचने के लिये सभी राश्ट्र की शिक्षा प्रणलियों में अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना की भावना को महत्व दिया जाना चाहिये।

(12) **राश्ट्रीय चरित्र एवं राश्ट्रीय शिक्षा प्रणाली**– आज प्रत्येक देश को राश्ट्रीय चरित्र तथा राश्ट्रीय विशेशताओं की अति आवश्यकता है। विश्व के सभी विद्वान एवं शिक्षा शास्त्री का मत भी इस बात को लेकर एक है। इसके लिये प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिये जिससे कि राश्ट्रीय चरित्र का विकास किया जा सके। जिन देशों के व्यक्तियों का राश्ट्रीय चरित्र उच्च होता है उन देशों की शिक्षा प्रणाली अत्यन्त विकसित एवं उपयोगी होती है। राश्ट्रीय चरित्र में अनेक गुणों का मिश्रण होता है। शिक्षा प्रणाली को एकपक्षीय होना जरूरी है। बहुपक्षीय कारक शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते है। राश्ट्रीय चरित्र में अतीत का इतिहास भी अपनी अहम भूमिका निभाता है क्योंकि देश की शिक्षा प्रणाली का विकास अतीत से प्रभावित हुआ है।

NOTES

## शिक्षा में भूमण्डलीकरण की प्रवृति

## Tendency of globlizalion in Education

विश्व के देशों में शिक्षा के राश्ट्रीयकरण की प्रवृति को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। शिक्षा के माध्यम से राश्ट्रीय एकता और राश्ट्रीय चरित्र के विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई है लेकिन शिक्षा के राश्ट्रीयकरण में संकुचित विचारधाराओं से ऊपर उठकर अन्तर्राश्ट्रीय सहयोग एवं सदभावना को अत्यधिक महत्व दिया। राश्ट्रीय चरित्र का तात्पर्य होता है कि राश्ट्रहितों के साथ विश्व कल्याण तथा मानव कल्याण को महत्व दिया जाये। क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। आज कुछ समस्यायें ऐसी है जो विश्व स्तर की है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूशण ऊर्जा संकट भूकम्प भूचालन तथा आतंकवाद आदि। ये सभी समस्यायें विश्व स्तर की समस्यायें है और इन समस्याओं का समाधान विश्व स्तर पर संभव है क्योंकि विश्व युद्ध के परिणामों को सभी देश भली प्रकार देख चुके है इसीलिये इन युद्धों से बचने के उपाय खोजने लगे जिससे विश्व शांति एवं समृद्धि लाई जा सके विश्व स्तर पर यूनेस्को संगठन की स्थापना की गई जो शैक्षिक सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करे जिससे अन्तर्राश्ट्रीय सहयोग की भावना का विकास हो सके तथा विश्व में भूमण्डलीकरण की प्रवृति को विकसित किया जा सके। इसको विश्व शिक्षा भी कहते है।

## विश्व के देशों में शिक्षा प्रवृति

विकसित देशों में शिक्षा में परिवर्तन की प्रवृति का विवरण निम्न प्रकार है –

NOTES

**(1)** विश्व में शिक्षा के अन्तर्गत सबसे अधिक परिवर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाई देता है द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत स्वतंत्र देशों ने शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रगति की है। साथ ही साथ छात्रों की संख्या में भी निरंन्तर वृद्धि हुई। उच्चशिक्षा का विस्तार हुआ। सभी देशों द्वारा शिक्षा पर अधिक व्यय किया गया। गत वर्शा में पाठ्यक्रम में होने वाला परिवर्तन पुनः आकलन करने में वृद्धि हुई।

**(2)** सन 1983 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राश्ट्रीय गुणवत्ता आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने अपना राश्ट्र जोखिम में शीर्शक के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की इसके कारण सम्पूर्ण देश में महत्वपूर्ण हलचल पैदा हुई और शिक्षा में सुधार लाने के लिये दिसम्बर सन 1987 में गुणवत्ता आन्दोलन प्रारंभ किया गया।

**(3)** इसी प्रकार ब्रिटेन सरकार ने भी अपनी शिक्षा नीति में सुधार किया जिससे कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। ब्रिटेन सरकार ने मार्च 1985 में एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें विद्यालय की उत्तम शिक्षा का प्रकाशन किया था। ब्रिटेन सरकार ने सन 1990 में पुनः एक अथ श्वेत पत्र शिक्षा का रूपान्तरण नाम शीर्शक से प्रकाशित किया। सराहना की प्रवृति विकसित होती है। सरकारी संयुक्त प्रकल्पों में कार्य करते रहने से निकटता बढ़ती है और भेदभाव भी कम होता है। अथ व्यक्तियों के मूल्यों के प्रति आदर तथा सम्मान का भाव विकसित होता है। पारस्परिक संबंधों की समझ में वृधि होती है। समयोग की भावना का विकास होता है। और अन्तः संस्कृति का भी अवसर प्राप्त होता है। इसी का व्यापक रूप अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना तथा सहयोग होता है।

**(4)** **अधिरास होना** – शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सम्पूण्र विकास होता है इसके लिये आवश्यक परिस्थितियां निम्न प्रकार है –

(1) व्यक्ति को किसी कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता का होना।

(2) व्यक्ति को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता का होना।

(3) व्यक्ति को उत्तरदायित्व के निर्वाह का विकास होना।

प्रत्येक व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा द्वारा निम्नलिखित गुणों का विकास किया जाता है –

(1) तार्किक योग्यता

(2) स्मरण शक्ति

(3) सम्प्रेशण की क्षमतायें

(4) शारीरिक क्षमतायें

(5) सौन्दर्यानुभूति

NOTES

प्रत्येक शिक्षा का माध्यम भाशा होती है। मातृभाशा से सम्प्रेशण की मौलिक क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास होता है।

**(4)** रूस में शिक्षा के एकीकरण पर अत्यधिक वाद विवाद हुआ जिससे विज्ञान और उत्पादन के सन 1984 में सम्मिलित किया। रूस की प्रदेश समितियों के संयुक्त कांग्रेस के उच्चस्तर के लिये प्रपत्र प्रकाशित किया। शिक्षा का शीर्शक शिक्षा के उच्चस्तर के लिये मानवीकरण एवं प्रजातंत्र की ओर दिसम्बर 1980 में प्रकाशन एवं प्रसारण किया गया।

**(5)** इसी प्रकार भारत में सन 1985 में शिक्षा की चुनौतियाँ तथा अपयत्ति शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिये राश्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 का गठन हुआ। इसकी संस्तुतियों का जनता के द्वारा अनेक विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग ने शिक्षा के लक्ष्य को ही बदल दिया गया था। इसमें मनुश्य बनना के स्थान पर शिक्षा का लक्ष्य धनोपार्जन बना दिया गया। इस आयोग की संस्तुतियों की समीक्षा के लिये लगातार दो समितियों की पुनरावृति की गई। इस आयोग में कोठारी आयोग 1964–66 की अधिकांश संस्तुतियों की पुनरावृत्ति की गई। तीन लगातार शिक्षा नीतियों सन 1968–1979 और सन 1986 का गठन हुआ तथा कार्यान्वयन सन 1986 की नीति का हुआ।

## भूमण्डलीकरण में शिक्षा की भूमिका

भूमण्डलीकरण में सहायक सुझाव निम्न प्रकार है –

**(1)** शिक्षा की नीति में प्र्याप्त रूप से विविधता होना चाहिये। शिक्षा के प्रारूप को इस प्रकार विकसित किया जावे जिससे कि सामाजिक मतभेद उत्पन्न न हो बल्कि परस्पर सदभावना का विकास हो।

NOTES

(2) छात्रों के समाजीकरण में व्यक्तित्व विकास के संबंध में कोई किसी प्रकार का द्वन्द उत्पन्न न हो इसमें आवश्यक रूप से एक प्रणाली का ही अनुसरण किया जाना चाहिये और विविध प्रकार के मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिये।

(3) शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार नहीं होना चाहिये जिससे अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान न किया जा सके बल्कि अन्य देशों को भी साथ लेकर चल सके एवं उनकी सहायता एवं सहयोग कर सके। शिक्षा राश्ट्रीय एकता में बाधक नहीं होना चाहिये।

(4) विद्यालय की सफलता अपने कार्यो को सम्पन्न करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिये बल्कि उन्हें विकास एवं एकीकरण में सहयोग देना चाहिए।

(5) प्रजातांत्रिक प्रणाली व्यक्तियों के विकास में प्रभावशाली है।

(6) प्रजातांत्रिक भागीदारी से अच्छे नागरिक तैयार होते है। संचार माध्यमों का उपयोग अनुदेशन तथा समाज की सूचना के प्रोत्साहन के लिये होना चाहिये।

(7) शिक्षा की यह भूमिका है िकवह बालकों और युवकों को सांस्कृतिक आधार प्रदान करे एवं समाज और राश्ट्र स्तर पर हो रहे परिवर्तन की जानकारी प्रदान करे। जो घटनाये घटित हो रही है उनकी अतीत मे व्याख्या भी कर सके।

इक्कीसवी शताब्दी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिये भूमण्डलीय शिक्षा के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है–

(1) शिक्षा में स्थानीय समुदाय से विश्व समुदाय तक की आवश्यकताओं और परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिये।

(2) सामाजिक जटिलताओं से लेकर प्रजातांत्रिक भागीदारी तक का विस्तार करना।

(3) देश की आर्थिक विकास से मानवीय विकास को सम्मिलित करना।

**(4)** राश्ट्रीय भावना से लेकर अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना एवं सहयोग का विकास अथवा नागरिकता का विकास करना।

**(5)** राश्ट्रीय भावनाओं से लेकर विश्व बन्धुत्व का विकास।

**(6)** संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर व्यापक दृश्टि तथा भावनायें विकास करना।

**(7)** विश्व शिक्षा के विकास में यूनेस्को के कार्यक्रम में सहयोग करना।

**(2)** अधिनियम का सम्पादन करना।

**(3)** अधिनियम में सक्रिय होना।

**(4)** अधिगम होना

**(1)** **अधिनियम को सीखना**– इसका अर्थ अधिगम का ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सीमित विशयों के सामान्य ज्ञान को व्यापक तथा गहन रूप से सीखना है मिलजुल कर कार्य करने के अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है और इस प्रकार के प्रयास से शिक्षा के अवसरों का लाभ मिलता है तब कार्य करने के अवसर प्राप्त होते है।

**(2)** **अधिगम का सम्पादन करना**– अधिगम के सम्पादन करने से तात्पर्य कि करने से अधिक सीखना है। कार्य करने से व्यवसायिक तथा भाशिक कौशल का विकास होता है। करके सीखने से ऐसे कौशलों तथा क्षमताओं का विकास होता है जिनका प्रयोग नई परिस्थितियों आत्मविश्वास के साथ कुशलता संकाय कर सकना है। सामाजिक कार्यो को करने से सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक अध्ययन करने एवं कार्य करने से कुशलताओं का उपयोग स्थानीय एवं राश्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

**(3)** **अधिगम में सक्रिय होना**– अधिगम की प्रक्रिया के साथ–साथ रहकर सीखने से अन्य व्यक्तियों को समझने का अवसर प्राप्त होता है। आमृरिक निर्भरता का बोध होता है और अन्य व्यक्तियों के अच्छे कार्यो की

NOTES

## International education commission

NOTES

सन 1993 में अन्तर्राश्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का लक्ष्य था 21वीं शताब्दी के लिये शिक्षा की योजना का प्रारूप को खोजना। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन 1996 में अर्न्तनिहित ज्ञान का उचित भण्डार अन्तर्निहित के शीर्शक से प्रस्तुत किया। इस आयोग के अध्यक्ष जैक डिपोल्स नियुक्त किये गये एवं विभिन्न देशों को 15 विशेशज्ञ सदस्य के रूप में सम्मिलित किये गये। भारत के राजा कर्णसिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में विशेश अस्था प्रस्तुत की है।

अन्तर्राश्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन में अधिगम को आधार मानकर संस्तुतियां की है। अधिगम को चार वर्गो में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भ है। इस प्रकार से अधिगम प्रक्रिया उत्पादन दोनों ही माने जाते है। आयोग की रिपोर्ट शीर्शक से अधिगम का उत्पादन के रूप में अधिक प्रयोग किया गया है। इस अधिगम का अर्थ विद्धता अथवा ज्ञान है। इन चार स्तम्भों में अधिनियम का अर्थ शिक्षा का उत्पादन अथवा परिभाशित है।

अन्तर्राश्ट्रीय शिक्षा आयोग 1996 में निम्नलिखित चार स्तंभों को प्रस्तुत किया गया है –

**(1)** अधिगम को जानना, इसे अधिगम को सीखना भी कहते है। ज्ञान को प्राप्त करना सतत शिक्षा के रूप में कार्य परक होना।

## शिक्षा में यूनेस्कों की भूमिका

## Roll no Unesco in Education

वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में शिक्षा प्रणाली के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसका मूल कारण यह है कि राश्ट्रीय चरित्र के विकास को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। द्वितीय विश्वयुद्ध में हुई भीशण त्रासदी, जनहानि तथा धनहानि को देखकर सभी राश्ट्र विश्व शांति के विशय में सोचने को बाध्य हो गये है कि इन युद्धें को कैसे रोका जावे। इसके लिये अन्तर्राश्ट्रीय सहयोग एवं भावना को विकसित करने के लिये सन 1945 में विश्व स्तर पर संयुक्त राश्ट्र संघ UNO की स्थापना की गई और 4

नवम्बर सन 1948 को संघ ने यूनेस्को UNESCO की स्थापना की जिसे संयुक्त राश्ट्रीय शिक्ष वैज्ञानिक सांस्कृतिक राश्ट्र संघ कहते है।

United nations educational scance cultural organization कहते है। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राश्ट्रीय सद्भावना और सहयोग का विकास करना था। विश्व के समस्त देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का परस्पर आदान–प्रदान करना तथा देश में व्याप्त समस्याओं का अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर समाधान करने के लिये शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित करना इसके अन्तर्गत 3 प्रकरणों को प्रस्तुत किया गया–

NOTES

(1) संयुक्त राश्ट्र संघ तथा उसकी शिक्षा में भूमिका

(2) अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना एवं सहयोग का विकास

(3) यूनेस्को तथा अन्तर्राश्ट्रीय भावना में भूमिका

उक्त तीनों प्रकरणों का लक्ष्य एक ही है कि राश्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना एवं सहयोग की दिशा इस तरह के कार्यक्रमों को संचालित करना ताकि शिक्षा का पूर्ण विकास संभव हो सके।

## संयुक्त राश्ट्रसंघ एवं शिक्षा में उसकी भूमिका

## UNO and its role in education

जैसे ही प्रथम विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ लोगों में चेतना आई मानो उनकी आंखे खुल गई। जिस समय युद्ध में मित्र राश्ट्र की सेनाओं ने सेनापति अपने–अपने शत्रुओं को हराने के लिये अपनी–अपनी मानवीय शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहे थे उसी समय चतुर एवं कूटनीतिज्ञ लोग अपनी–अपनी बुद्धि का उपयोग यह जानने के लिये कर रहे थे कि अन्तर्राश्ट्रीय संबंधों की वर्तमान स्थिति में कमजोरी क्या है और इसे सुधारने के उपाय क्या हो सकते है। इस युद्ध में जो भयानक एवं विध्वंसक परिणाम आये इससे यह स्पश्ट रूप से सिद्ध हो गया कि मानवता एवं सभ्यता को इस विभीशिका से बचाना है इस कारण राश्ट्रों को आपस में शान्तिपूण्र उपायो से अपनी सभी मामलों को तय कर लेना चाहिये।

**कोर्डेल हल ने कहा है** – जिस समय से हिटलर ने पोलेण्ड आक्रमण के शान्ति बनाये रखने के विद्यमान समस्त उपायों की निरर्थकता को उजाकर कर दिया था उसी समय से यह स्पश्ट हो गया था कि हमें तुरन्त एक नई व्यवस्था की योजना बनाना प्रारंभ कर देना चाहिये।

From the moment whom hitlers inuaxian of polad reveahed the bank upter of all exintend methods to prepare the peace it become evident to us in state development that the most being imedhately to plan the cration of new system.

NOTES

Cordell Hall सन 1943 में मित्र राश्ट्रों के द्वारा आपस में यह तय किया गया कि युद्ध की समाप्ति हो जाने पर एक अन्तर्राश्ट्रीय संगठन की स्थापना की जायेगी जिसका मुख्य उद्देश्य होगा संसार की शान्ति की रक्षा करना। सन 1944 में डम्बटर्न ओम्स में मित्र राश्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसके फलस्वरूप अन्तर्राश्ट्रीय संगठन की एक योजना बनायी गई, जिसे डम्बर्ल ओम्स योजना कहते है। सन 1945 मेंसान फ्रांसिस्को में पुनः मित्र राश्ट्रों की एक बैठक का आयोजन किया गया इसमें डम्बर्टन ओक्स योजना पर चर्चा हुई तथा एक नया चार्टर रखा गया। इस चार्टर पर 51 राश्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये इस प्रकार जब संयुक्त राश्ट्र संघ की 24 अक्टूबर सन 1945 में स्थापना हुई तब इसके कुल 51 सदस्य थे। संयुक्त राश्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयार्क में है।

**संयुक्त राश्ट्र संघ के उद्देश्य** – संयुक्त राश्ट्र संघ की स्थापना कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिये की गई थी। इसकी प्रस्तावना में उसके उद्देश्यों पर उल्लेख करते हुये स्पश्ट किया गया है कि उच्च समझौता करने वाले राश्ट्र अन्तर्राश्ट्रीय सहयोग को विकसित करने के लिये अन्तर्राश्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्राप्त करने के लिये युद्ध न करने की शर्त का आदर करने के लिये राश्ट्रों के बीच में खुला न्याय युक्त तथा सम्मानपूर्वक संबंध रखने के लिये अन्तर्राश्ट्रीय कानून का पालन उसी प्रकार से करने के लिये जिस प्रकार सरकारी कानून का पालन होता है। न्याय की स्थापना करने के लिये तथा संगठित राश्ट्रों के मध्य संधियों के प्रति जो एक दूसरे से हुई आदर रखने के लिये इस राश्ट्रसंघ के संविधान को स्वीकार करेगे। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित है –

(1) युद्ध को रोकना
(2) विवादों का शान्तिपूर्ण निराकरण
(3) अन्तर्राश्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना
(4) राजनीतिक तथा सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना
(5) निशस्त्रीकरण

संयुक्त राश्ट्र संघ के चार्टर की पहली धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को बताया गया–

(1) अन्तर्राश्ट्रीय शक्ति तथा सुरक्षा को बनाकर रखना।

(2) राश्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना।

(3) अन्तर्राश्ट्रीय आर्थिक सामाजिक तथा मानवीय समस्याओं को हल के लिये राश्ट्रों के मध्य सहयोग करना।

(4) राश्ट्रों को संयोजित करने के लिये केन्द्र में कार्य करना।

NOTES

## संयुक्त राश्ट्र का सिद्धांत

संयुक्त राश्ट्र संघ की दूसरी धारा के अन्तर्गत निम्नांकित सिद्धांतों का विवरण दिया गया है–

(1) संयुक्त राश्ट्र संघ के सभी हस्ताक्षरकर्ता राश्ट्र सभी राश्ट्रों की सार्वभौमिकता एवं समानता को स्वीकार करेंगे चाहे वह छोटे या बढ़े।

(2) प्रत्येक सदस्य को उचित रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये।

(3) सभी मित्र राश्ट्र अपने अन्तर्राश्ट्रीय संबंधों के नियमों को ध्यान रखते हुये एक दूसरे के विरूद्ध युद्ध नहीं करेंगे।

(4) सभी मित्र राश्ट्र अपने अन्तर्राश्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण तरीके से निराकरण करेंगे।

(5) सभी सदस्य संयुक्त राश्ट्र संघ को इसकी कार्यवाही में प्रत्येक प्रकार की सहायता करेंगे।

(6) संगठन के द्वारा उन राज्यों के बारे में जो इसके सदस्य नहीं है अन्तर्राश्ट्रीय के शांति के लिये कार्य करेंगे।

(7) सभी सदस्य राश्ट्रीय समाज यह अस्त्र–शस्त्र कम करके सुरक्षा व शान्ति बनाये रखेंगे।

(8) संयुक्त राश्ट्र संघ किसी भी राज्य के आन्तरिक क्षेत्र में ऐतिश्रय नहीं करेंगे।

# अध्याय – चार

## भूमिका –

NOTES

शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप मूलतः राश्ट्र की सभ्यता संस्कृति एवं परम्पराओं पर आधारित होता है क्योंकि समाज की अपेक्षा शिक्षा एवं विद्यालय से ही होती है। इसका पूर्ण प्रभाव प्राथमिक शिक्षा ही बालक के लिये आधारभूत शिक्षा होती है। इसके आधार पर ही बालक की शैक्षिक नींव का निर्माण होता है। प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत बालक के कोमल मनोभावों का ध्यान रखा जाता है। इसके लिये प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप बाल केन्द्रित होना चाहिये। प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत अनेक तथ्यों का समावेश अन्य देशों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा से किया जाता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि अन्य देशों की प्राथमिक शिक्षा के स्परूप का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिये। जिससे कि वह अपने राश्ट्र की प्राथमिक शिक्षा में आवश्यक तथ्यों का समावेश किया जा सके। भारतीय प्राथमिक शिक्षा में अन्य तथ्यों का समावेश संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा से तथा यूनाइटेड किंगडम की प्राथमिक शिक्षा से किया गया है। अतः अनेक प्रकार की समानताओं से किया गया है। अतः अनेक प्रकार के लिये प्राथमिक तथा असमानताओं के ज्ञान के किये प्राथमिक तथा असमानताओं के ज्ञान के लिये प्राथमिक शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन की अवश्यकता होती है।

## संयुक्त राश्ट्र संघ का गठन
## Organization of U.N.O

संयुक्त युक्त संघ को निम्नांकि 6 भागों में विजाजित किया जाता है –

**(1)** सामान्य सभा

**(2)** सुरक्षा परिशद

**(3)** अन्तर्राश्ट्रीय न्यायालय

**(4)** सचिवालय

**(5)** आर्थिक तथा सामाजिक परिशद

**(6)** संरक्षण परिशद

(1) **सामान्य सभा** – सामान्य सभा में प्रत्येक सदस्य अपने राज्य का इसमें प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक सदस्य राज्य को इसमें 5 प्रतिनिधि तथा 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है लेकिन वह केवल एक ही मत दे सकता है। प्रतिवर्श इसकी एक बैठक होती है लेकिन आवश्यकताओं पर इसकी एक विशेश बैठक भी बुलायी जा सकती है। इसमें साधारण निर्णय बहुमत के द्वारा अथ महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय दो तिहाई बहुमत के द्वारा लिये जाते है। साधारण सभा की प्रत्येक बैठक में सुरक्षा परिशद तथा अथ साधारण अंग सभी के सामने अपने–अपने कार्यो की रिपोर्ट प्रस्तुत करते है। वर्शान्त में सेक्रेटरी जनरल पूरे संयुक्त राश्ट्र के कार्यो के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट देता है। साधारण सभा सुरक्षा परिशद अस्थायी सदस्यों, आर्थिक एवं सामाजिक समिति के सदस्यों और संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों का चुनाव करती है। वह अन्तर्राश्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन में भी सुरक्षा परिशद के साथ भाग लेती है तथा सुरक्षा परिशद की सिफारिश पर सेकेटरी जनरल की नियुक्ति की जाती है। 24 अक्टूबर सन 1945 को संघ राश्ट्र के चार्टर के लागू होने के उपरान्त जनरल असेम्बली का प्रथम अधिवेशन 10 जनवरी सन 1946 को लन्दन में हुआ था। जनरल असेम्बली के द्वारा अन्तर्राश्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इसके द्वारा संयुक्त राश्ट्र के समक्ष लाये कुछ मुख्य प्रश्नो पर विचार करके वेलेन्टाइन यूनान, स्पेन और कोरिया के संबंध में कार्यवाही की गई। पेलेस्टाइन के विशय में इसने सन 1946 में तथा अन्वेशण की विशेश समिति बनाई सन 1948 में यहूदियों तथा अरबों के विवाद के निर्णयों के पहिले एक मध्यस्थ नियुक्त किया और बाद में एक समझौता आयोग बनाया गया।

**क्लार्क आइकबर्गर** – के कथनानुसार महासभा मानव जाति की संसद का एक रूप है, जिसमें राश्ट्रशान्ति पूर्ण परिवर्तन की अनेक समस्याओं पर विचार करने के साधन खोज रहे है – वह भी कानून तथा संसदात्मक प्रक्रिया के ढांचे में जनरल असेम्बली ही राश्ट्रीय संघ का एक मात्र ऐसा अंग था जिसमें समस्त सदस्य राश्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है।

(2) **सुरक्षा परिशद** – संयुक्त राश्ट्र संघ की सुरक्षा परिशद में कुल 15 सदस्य है जिसमें स्थायी सदस्य है ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। शेश

NOTES

बचे 10 सदस्यों का दो वर्श के लिये सामान्य सभा द्वारा निर्वाचन किया जाता है। सुरक्षा परिशद संघ की कार्यकारिणी समिति होती है।

NOTES

इस समिति को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये गये है। सुरक्षा परिशद का अधिवेशन स्थायी रूप से होता रहता है। वर्श में कम से कम एक बैठक अवश्य होती है। इसमें भी प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। महत्वपूर्ण विशयों के निर्णय के लिये उनके प्रत्येक सदस्य की आम सहमति होना अत्यन्त आवश्यक है। सुरक्षा परिशद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को यह अधिकार होता है कि वह सुरक्षा परिशद के किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। इसे विशेशाधिकार Veto power कहा जाता है। कार्यक्रम में संबंध रखने वाले विशयों के लिये कुल 15 मतो में से 9 मत पक्ष में होना चाहिये। सुरक्षा परिशद का मुख्य कार्य संसार में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना है।

(3) **अन्तर्राश्ट्रीय न्यायालय**– अन्तर्राश्ट्रीय न्यायालय की बैठक (हालैण्ड) में होती है। इसके अन्दर 15 न्यायाधीश होते है परन्तु एक राज्य में से एक से अधिक व्यक्ति एक काल में ही इसका न्यायाधीश नहीं हो सकता। इन न्यायाधीशों को साधारण सभा तथा सुरक्षा परिशद 9 वर्श के लिये निर्वाचित करती है। इस न्यायालय में राज्यों के बीच विवाद संबंधी निर्णय किये जाते है। परन्तु यह किसी विवाद का निर्णय तभी कर सकता है जबकि उससे संबंधित दोनो दल इससे निर्णय मानना स्वीकार कर ले।

(4) **सचिवालय**– यह एक प्रकार से अन्तर्राश्ट्रीय सिविल सर्विस है। इसके प्रत्येक सदस्य को इस बात की शपथ ग्रहण करना होती है िकवह संयुक्त राश्ट्र संघ के हितों को सर्वोपरि मानकर कार्य करेगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जाति तथा रंग के व्यक्ति होते है। इनका प्रधान से.यो. जनरल कहलाता है। जिसका निर्वाचन सुरक्षा परिशद की संस्तुति पर साधारण सभा के द्वारा किया जाता है। सचिवालय को सहायक सेक्रेटरी जनरल तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। सचिवालय के मुख्य आठ विभाग है। इनके कार्य क्रमशः इस प्रकार होते है सुरक्षा परिशद से संबंधित मामले आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, संरक्षण तथा अधीन देशों से संबंधित सूचना सार्वजनिक सूचना कानूनी सम्मेलन एवं साधारण सभाये तथा प्रशासकीय एवं आर्थिक सेवाये।

**(5) आर्थिक एवं सामाजिक परिशद** – आर्थिक एवं सामाजिक परिशद के अन्तर्गत 19 सदस्य होते है। इनका निर्वाचन साधारण सभा के द्वारा तीन वर्श के लिये किया जाता है। इनके निर्णय बहुमत द्वारा होते है। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विशयों पर विचार विमर्श करने के लिये समय–समय पर अन्तर्राश्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करती है।

NOTES

**(6) संरक्षण परिशद** – सुरक्षा परिशद की स्थापना पराधीन देशों के शासन के लिये की गई है। वर्तमान में इस परिशद में 12 सदस्य है। इस परिशद का मुख्य कार्य इन पराधीन देशों की आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति के संबंध में रिपोर्ट की जाँच करना तथा समय–समय पर इन देशों की जाँच के लिये आयोगों को भेजना होता है।

NOTES

## संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा

संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है, इसमें लगभग 48 राज्य है। यहाँ अनिवार्य विद्यालयों का विस्तार तथा विशमता अधिक है। समस्त राज्यों के द्वारा सन 1918 में विद्यालयों में छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति के नियम को पारित किया गया प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य उपस्थितिक नियम को पारित किया गया प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें छात्रों को घर पर उपलब्ध कराई जाती है।

**प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य** – संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य योग्य नागरिकों का विकास करना है। बालकों में समानीकरण की आदते रचनात्मक एवं उपयोगी कार्य करने का समुचित विकास करना है। सामूहिक कार्यक्रमों रहन–सहन खेलकूद मनोरंजन स्वास्थ्य तथा शारीरिक प्रशिक्षण के विविध कार्यक्रमों द्वारा सामाजिकता की प्रवृतियों और आदर्श उत्पन्न किये जाते है।

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन **हेलन डैफरनन** द्वारा किया गया था। वे प्राथमिक शिक्षा ब्यूरों के अध्यक्ष थे– इनके अनुसार निम्नांकित उद्देश्य थे।

**(1)** चरित्र का विसा करना

**(2)** शारीरिक विकास करना

**(3)** सम्प्रेशण के कौशलों का विकास करना

**(4)** गणना करना एवं समझने का विकास करना

**(5)** संबंधों को समझना

**(6)** वैज्ञानिक अभिवृति का विकास करना

**(7)** अपने उत्तरदायित्व को समझने का विकास करना

**(8)** प्रजातान्त्रिक वातावरण का अनुभव प्रदान करना

**(9)** सृजनात्मक गुणों का विकास करना

**(10)** राश्ट्रीयता की समझ का विकास करना

# अन्तर्राश्ट्रीय सद्भावना का विकास

NOTES

**अर्थ** :– इसका अर्थ है विश्व नागरिकता यह भावना इस तथ्य को बल प्रदान करती है कि विश्व के प्रत्येक मानव में भाईचारे का संबंध हो। इस दृश्टि से अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना, विश्व मैत्री तथा विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित होते हुये मानव के कल्याण पर अधिक बल प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना विश्व के सभी राश्ट्रों तथा उनके नागरिकों के प्रति प्रेम सहानुभूति तथा सहयोग की ओर रंगित करती है।

**परिभाशा** – अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना को परिभाशित करते हुये ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने बताया है कि अन्तर्राश्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है िकवह अपने देश का ही सदस्य नहीं बल्कि वह विश्व का एक नागरिक है।

Internation alesm is a feeling that the indidual is not only a member of his nation but a citizen a works.

अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना विकास के सन्दर्भ में वाल्टर एच.सी. वेल्थ का कथन कुछ इस प्रकार है। अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना इस ओर ध्यान दिये बिना कि व्यक्ति किस राश्ट्रीयता या संस्कृति के है, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यक्तिगत व्यवहार का आलोचनात्मक औनिश्पक्ष रूप से निरीक्षण करने एवं आंकन की योग्यता है। ऐसा करने के लिये व्यक्ति को इस योग्य होना चाहिये कि वह सब राश्ट्रो संस्कृतियों तथा प्रजातियों को इस भूमण्डल पर रहने वाले लोगों की समान रूप से महत्वपूर्ण विभिन्नताओं के रूप में निरीक्षण कर सकें।

International under standley is the ability apprais the conduct and objectivily and apprais the conduct of men every where is each other asrepectine of the nation ality or calture to which they belong To do this one must be able to abserne all nationalties cultures and races as aqually important vareties of human being is habeten this earth.

## संयुक्त राश्ट्र संघ के अन्य अभिकरण

## Other agancies of UNO

NOTES

संयुक्त राश्ट्र संघ के चार्टर के अन्तर्गत इन अभिकरणों का कोई विवरण नहीं है क्योंकि ये संयुक्त राश्ट्रसंघ के भाग ही नहीं है परन्तु इनका उद्देश्य किसी विशेश क्षेत्र में अन्तर्राश्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। कुछ मुख्य अभिकरण इस प्रकार है –

(1) **विश्व बैंक** – यह संख्या देशों की आर्थिक उन्नति तथा उनके पुननिर्माण के कार्यो के लिये धन उधार देती है। इसके अलावा इस बात का प्रयास करती है कि राश्ट्रों के मध्य संतुलन बना रहे है।

(2) **अन्तर्राश्ट्रीय मजदूर संघ** – इसकी स्थापना 29 अक्टूबर सन 1919 को हुई थी। इस संघ का उद्देश्य प्रत्येक देश में श्रमिकों की दशा में सुधार करना तथा आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का प्रावधान है।

(3) **खाद्य एवं कृशि संघ** – इसका मुख्य उद्देश्य संसार में कृशि के क्षेत्र में उन्नति करना है तथा वैज्ञानिक बोध कार्यो का उपयोग करना है।

(4) **संयुक्त राश्ट्र की शिक्षा सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक संघ**– इस संघ का उद्देश्य सभी राश्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक वैज्ञानिक एवं शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग द्वारा शान्ति को बढ़ाना है।

## सुरक्षा परिशद में विशेशाधिकार

## Veto in security counal

**अर्थ** :– सुरक्षा परिशद में मतदान व्यवस्था सबसे अधिक वादविवाद का विशय रहा है। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। सुरक्षा परिशद के विशयों को दो भागों में विभाजित किया गया है –

(1) प्रक्रिया संबंधी विशय

(2) स्थायी विशय

प्रक्रिया संबंधी विशयों के अन्तर्गत वे मामले आते है। जिनका संबंध परिशद की बैठक के समय या स्थान का निर्माण करना होता है। इन विशयों से संबद्ध प्रश्नों पर किन्हीं

नौ सदस्यों की सहमति से कोई प्रस्ताव पास किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य विशयों को द्वितीय श्रेणी कमे अन्तर्गत माना जाता है। इन विशयों पर निर्णय प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि नौ में से पाँच सदस्यों (जो स्थायी हो) के सहमति हो और उनमें से एक यदि विपक्ष में मत देता है तो उस विशय को अस्वीकार कर दिया जाता है। इन्हीं को पांच स्थायी देशों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन एवं अमेरिका का निशेधाधिकार कहा जाता है।

NOTES

**दोहरा विशेशाधिकार** – कौन सा विशय किस प्रक्रिया से संबंद्ध है का निर्धारण करना अथवा महत्वर्पूा विशये विशेशधिकार है। इसी से दोहरे विशेशाधिकार की उत्पत्ति हुई है **जान तथा एडवर्ड** ने दोहरे विशेशाधिकार की प्रक्रिया के विशय में लिखा है कि जहाँ तक सीमावर्ती मामलों का संबंध है यह एक प्रारंभिक प्रश्न है कि क्या विशय साधारा है और यह स्वतः एक विशेशाधिकार का विशय है। वास्तव में इसी नियम का विशेशाधिकार दोहरे विशेशाधिकार का विशय है। पहले तो एक नकारात्मक मत प्रदान किया जाता है जिससे कि सुरक्षा परिशद किसी विशय को साधारण न मान ले उसके बाद विशय के तत्व को निश्फल करने के लिये दूसरी बार मत दिया जाता है। इस संदर्भ में इनत थ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

(1) कोई भी स्थायी सदस्य किसी विशय को प्रक्रियात्मक घोशित कराने के लिये निशेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(2) अन्त में उसी प्रस्ताव को निशेधिकार द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है।

## प्राथमिक शिक्षा की संरचना

## Structure of primary education

प्राथमिक शिक्षा का बाहरी आवरण स्थानीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं और वहां के वातावरण की विशमता के कारण भिन्न रहता है परन्तु सम्पूर्ण व्यवस्थाओं में आन्तरिक साम्य अर्थात समानता होती है। प्राथमिकता संरचना में निम्नांकित तत्व आवश्यक होत है।

(1) **एकल शिक्षण विद्यालय** – एकल शिक्षण विद्यालय प्रायः ग्रामीण क्षेत्र में होते है, ऐसे विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक होता है जो सभी विशय पढ़ाता है।

NOTES

(2) **महिला प्रधान विद्यालय** – इस प्रकार के विद्यालयों में लगभग 90 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है मात्र 10 प्रतिशत पुरूश शिक्षक होता है।

(3) **शिक्षा अवधि एवं वर्गीकरण**– अमेरिका में दो प्रकार के विद्यालय है जिनमें एक तो वह जो पहली कक्षा से आठवी कक्षा तक शिक्षण देते है। दूसरे वे विद्यालय है जिनकी उच्च कक्षायें (7वीं एवं 8वीं) माध्यमिक स्तर के विद्यालयों से सम्बद्ध कर दी जाती है। और प्रथम 6 कक्षायें प्राथमिक स्तर पर ही संचालित की जाती है। एक में आयु विभाजन 1 से 14 वर्श तथा दूसरे में 6 से 12 वर्श तक है। प्रति सप्ताह शनिवार एवं रविवार का अवकाश रहता है। शिक्षण कार्य 5 घण्ट से 5.30 घण्टे तक किया जाता है। वर्श के कुल दिवस 152 से 187 तक होते है।

(4) **शिक्षा की अनिवार्यता एवं सार्वजनिकता** – सरकार द्वारा 1 से 14 वर्श तक की आयु समूह के बालकों के लिये शिक्षा अनिवार्य है। वहां किसी वर्ग विशेश रंग भेद धर्मभेद एवं जातिभेद का ध्यान नहीं रखा जाता। शिक्षा सार्वजनिक विद्या मानी जाती है। वर्जेनिया में ही रंग भेद पर आधारित विद्यालय देखने को मिलती है।

(5) **पाठ्यक्रम एवं शिक्षा कार्यक्रम**– अब तीन वर्श से स्थान पर पांच वर्श का पाठ्यक्रम है जैसे लेखन, पठन, अगणित, सामाजिक संबंध और मनोरंजन, धार्मिक शिक्षा गौड़ है। इसके अतिरिक्त साहित्य, इतिहास, भूगोल और गृहविज्ञान की आवश्यकता पर आधारित मिलते है। मातृभाशा के कौशलों के विकास को महत्व दिया जाता है।

## संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर से नीचे के पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है। अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत समाहित किया जाता है। पूर्व माध्यमिक स्तर की शिक्षा का स्वरूप पृथक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्तित्व में नहीं है। यहाँ पर प्राथमिक

शिक्षा के उपरान्त सीधे माध्यमिक स्तर की शिक्षा में छात्र प्रवेश करते है। अमेरिका में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को ग्रेड विद्यालय एवं ग्रामर विद्यालय के रूप में जाना जाता है। इन विद्यालयों में अध्ययन पाठ्यक्रमों को विभिन्न ग्रेडों में विभाजित कर दिया जाता है और इसी आधार पर सम्पूर्ण वर्श की शिक्षण व्यवस्था निश्चित की जाती है। ग्रामर स्कूल के रूप में इन विद्यालयों में छात्रों में लेखन सम्बन्धी, योग्यता पढ़ने की योग्यता एवं उच्चारण संबंधी योग्यता विकसित की जाती है। इस प्रकार प्राथमिक स्तर की शिक्षा में छात्रों की आधारभूत योग्यताओं को विकसित करते हुये उन्हें माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश हेतु तैयार किया जाता है। अतः प्राथमिक स्तर की शिक्षा की अवधि भी दीर्घ होती है।

NOTES

प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पश्ट किया जा सकता है –

(1) **प्राथमिक शिक्षा की अवधि** – संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा की अवधि भिन्न–भिन्न है परन्तु सामान्य रूप से 6 से 8 वर्श के मध्य के आयुवर्ग के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश दिया जाता है। अतः प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के पश्चात छात्रों को 12 वर्श से 14 वर्श की आयु तक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनी होती है। इस प्रकार यह प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्श तक होती है। यह अवधि सम्पूर्ण राज्यों पर क्रियान्वित नहीं होती। यह अवधि 6 वर्श से 8 वर्श के मध्य में भी होती है। भिन्न–भिन्न राज्यों में यह अवधि भिन्न होती है। परन्तु सामान्य रूप से यह 6 वर्श से 8 वर्श के मध्य होती है।

(2) **विद्यालयों का स्वरूप** – संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक स्तर पर दो प्रकार के विद्यालय पाये जाते है। प्रथम प्रकार के विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की आयु 6 वर्श होती है तथा 14 वर्श की आयु तक उनको शिक्षा दी जाती है। जिस प्रकार 8 वर्शो तक के छात्र को शिक्षा दी जाती है। इन आठ वर्शो में 3 वर्श की शिक्षा का किण्डर गार्डर स्तर तक की शिक्षा के रूप छात्रों को प्रदान किया जाता है। इससे आगे की 3 वर्शो की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में होती है कक्षा 4, 5, 6 से संबंधित होती है। अगले 2 वर्श की शिक्षा कक्षा 7 एवं 8 से संबंधित होती है। जिसे निम्न माध्यमिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के स्वरूप एवं शिक्षा प्रणाली से युक्त विद्यालय परम्परागत विद्यालय के रूप में जाने जाते है।

NOTES

द्वितीय प्रकार के विद्यालयों को आधुनिक विद्यालयों के रूप में जाना जाता है। तथा 12 वर्श की आयु तक पढ़ाया जाता है। इससे यह स्पश्ट होता है कि कक्षा 1 से कक्षा 6 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में रखा जाता है। कक्षा 7 एवं कक्षा 8 की कक्षाओं को माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में जोड़कर माध्यमिक शिक्षा का स्परूप प्रदान किया जाता है। किण्डर गार्टन की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक 2 अथवा 3 कक्षाओं को पूर्ण किया जाता है अर्थात प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभ में 2 अथवा 3 वर्श किण्डर गार्टन की शिक्षा दी जाती है।

(3) **कार्य दिवस** :– प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के भिन्न–भिन्न राज्यों में कार्य दिवस की संख्या भिन्न–भिन्न होती है। राजकीय विद्यालयों में भी कार्य दिवसों की संख्या समान नहीं होती संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्य दिवसों की संख्या 180 औसत रूप में थी। कार्य दिवसों में समानता लाने के अनेकों प्रयासों के उपरान्त यह निश्चित किया गया कि कार्य दिवसों की संख्या 171 होना चाहिये इस प्रस्ताव को समस्त राज्यों द्वारा स्वीकार किया तथा पालन किये जाने का आश्वासन दिया। वर्तमान में व्यवहारिक रूप से कार्य दिवसों की संख्या आज भी समान नहीं है। इसमें मौसम एवं जलवायु के प्रभाव का प्रमुख कारण है जो कार्य दिवसों को एक समान रखने में बाधक है।

(4) **विद्यालय समय** :– प्राथमिक विद्यालयों का समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक तथा 1 बजे से 3 बजे तक रहता है। इससे यह स्पश्ट होता है कि विद्यालय अवधि 5 घण्टे से 5.30 घण्टे तक होती है। प्राथमिक विद्यालयों में किसी राज्य में यह अवधि 4 से 4.30 घण्टे होती है। कालेज की अवधि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। यह अवधि 15 मिनिट से 30 मिनिट तक निर्धारित की जाती है। एक सप्ताह में 25 से 30 घण्टे शिक्षण कार्य करने के प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। शनिवार एवं रविवार का अवकाश होता है।

(5) **पाठ्यक्रम** :– प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का स्वरूप अधिक विस्तृत नहीं है। परन्तु छात्रों के सर्वांगीण विकास में योगदान देने वाला है। प्राचीन काल में यह 3R का प्रचलन था जिससे लिखना–पढ़ना और गणित सम्मिलित तथा वर्तमान में यह 5R के रूप में परिवर्तित हो गया है जो कि पठन–लेखन गणित सामाजिक

संबंध एवं मनोरंजन से संबंधित है। पाठ्यक्रम में संगीत इतिहास, भूगोल प्रारंभिक विज्ञान एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि को शामिल किया गया है।

NOTES

(6) **धार्मिक शिक्षा** :– संयुक्त राज्य अमेरिका में धार्मिक शिक्षा को विशेश महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। अमेरिका के विद्यालयों में धर्म निरपेक्षता के दृश्टिकोण को अपनाया जाता है। धर्म का प्रयोग मानक गुण एवं मानवता के विकास के लिये आवश्यक है तो करना चाहिये इसीलिये धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य मानवता का विकास करना है। सामान्य रूप से धर्म का कार्य मानक में नैतिकता एवं मानवता का विकास करना है।

(7) **शिक्षण विधियां** – प्राथमिक स्तर पर उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें छात्र पूर्णरूप से विकसित एवं क्रियाशील रहता है। छात्र को करके सीखने के अवसर प्रदान किये जाते है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। छात्रों को खेल के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है। छात्रों के मनोरंजन पर भी विशेश ध्यान दिया जाता है।

(8) **शिक्षा पर स्थानीयता का प्रभाव** – अमेरिकी प्राथमिक शिक्षा पर स्थानीय विशेशताओं का प्रभाव स्पश्ट रूप से दिखता है। इस कारण से विद्यालय में अनेक प्रकार की भिन्नतायें पायी जाती है। जनता का दृश्टिकोण यदि परम्परावादी हो तो वह शिक्षा के परिमार्जित स्वरूप को स्वीकार नहीं करती। यदि जनता का दृश्टिकोण उदारवादी एवं आधुनिक है तो वह शिक्षा से शोध एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन स्वीकार किया गया। यह तथ्य प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप में भिन्नता के लिये उत्तरदायी है।

(9) **प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता** – संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण नहीं हुआ था। प्राचीन काल में 70 से 90 प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते है। शनैः–शनैः विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई जिनके परिवार स्वरूप शिक्षा में छात्रों की रूचि उत्पन्न हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक प्रान्त में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक कारण हो चुका है।

NOTES

**(10) प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य** – संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य स्थानीय राज्यों की सभ्यता संस्कृति एवं आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित किये गये है। इनका विशेश प्रभाव सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा के लिये निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है।

**(1)** छात्रों में सामानिकता एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के संरक्षण एवं विकास की भावना को पल्लवित करना।

**(2)** अनेक प्रकार के व्यायाम एवं अभ्यास के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की भावना को जाग्रत करना।

**(3)** छात्रों में करके लिखने की प्रवृति का अनुकरण कराते हुये सृजन की भावना का विकास करना।

**(4)** छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही स्वाबलम्बन की भावना का विकास करना जिससे कि छात्र किसी पर निर्भर न रहें।

**(5)** व्यक्तिवादी विचार द्वारा एवं समाजवादी विचारधारा के मिश्रित गुण से सम्पन्न करते हुये छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करना।

**(6)** छात्रों को खेल एवं मनोरंजन के साधनों द्वारा ज्ञान प्रदान करना जिससे कि छात्रों के कोमल मन पर बोझ न पड़े।

**(7)** छात्रों में नवीन परम्पराओं को धीरे–धीरे स्वीकार करने की प्रवृत्ति का विकास करना जिससे प्राचीन परम्पराओं में सामंजस्य स्थापित किया जा सकें।

**(8)** दृश्य श्रृव्य एवं संचार माध्यमों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सरल एवं बोधगम्य बनाने का प्रबल छूना।

**(11) प्राथमिक शिक्षा की विशेशतायें** :– संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा में सामान्य रूप से उद्देश्यों के अन्तर्गत एकता पायी जाती है। परन्तु राज्य की आवश्यकता जलवायु एवं विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा में विभिन्नता पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्राथमिक शिक्षा में निम्नलिखित विशेशतायें पाई जाती है –

(1) राश्ट्रीय उद्देश्य एवं सामाजीकरण की दृश्टि से प्राथमिक शिक्षा राश्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की पोशक है।

(2) बालक के सर्वांगीण विकास एवं क्रियाशीलता के लिये प्राथमिक शिक्षा में अनेक उपाय किये गये है।

NOTES

(3) प्राथमिक शिक्षा के दृश्य श्रृव्य एवं जन संचार माध्यमों का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है।

(4) प्राथमिक शिक्षा में राज्यों की परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार विद्यालय समय कार्यदिवस एवं कॉलेज अवधि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

(5) प्राथमिक शिक्षा में वर्गभेद, रंगभेद को त्याग कर सभी छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है अर्थात प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं का कोई विभेद नहीं रहता।

(6) प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों का स्वरूप भिन्न रूपों में पाया जाता है जिन्हें परम्परागत विद्यालयों एवं आधुनिकता के रूप में जाग्रत करना है।

(7) प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य एक अध्यापक द्वारा तथा एक से अधिक अध्यापकों द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

(8) प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक संयुक्त विद्यालय में अध्यापक को अध्यापक प्राचार्य कहा जाता है।

(12) **प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं प्रबंध** :– समान औसतकर के सहयोग से प्रबन्ध एवं प्रशासन होता है यह तीन प्रकार का है –

(1) धार्मिक संस्थाओं द्वारा

(2) स्थानीय निकायों द्वारा

(3) जनता के प्रतिनिधियों द्वारा

## यूनाइटेड किंगडम (ग्रेट ब्रिटेन) में प्राथमिक शिक्षा

भिन्न–भिन्न देशों में शिक्षा व्यवस्था एवं शैक्षिक प्रबंधन अलग–अलग रूपों में होता है। यूनाइटेड किंगडम में प्राथमिक शिक्षा स्वरूप अन्य राश्ट्रों से भिन्न–भिन्न तथा कुछ देशों में समान होगा। प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप में समानता एवं भिन्नता का ज्ञान उसी अवस्था

में हो सकता है जब किसी देश में प्राथमिक शिक्षा की अन्य देशों की प्राथमिक शिक्षा से तुलना की जाये। इस दृश्टिकोण को ध्यान में रखते हुये यूनाइटेड किंगडम की प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है –

NOTES

(1) **प्राथमिक शिक्षा की अवधि** – इग्लैण्ड एवं बेल्स में प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को प्रवेश की अवधि 7 वर्श से शुरू होती है तथा 11 वर्श की आयु तक चलती है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा में अवधि 5 वर्श होती है। अतः कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में माना जाता है।

(2) **विद्यालयों का स्वरूप** – इग्लैण्ड एवम बेल्स के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का स्वरूप मुख्यरूप से दो प्रकार का पाया जाता है। प्रथम सरकार के विद्यालय में स्थानीय शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं का सम्पर्ण व्यय सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा से संबंधित छात्रों द्वारा पूर्णरूप से आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है अर्थात इस प्रकार के विद्यालयों का सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय शिक्षा व्यवस्था देखने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है। द्वितीय प्रकार के विद्यालयों के अन्तर्गत आंशिका सहायता प्राप्त विद्यालय आते है। जिन्हें आर्थिक अनुदान के रूप में कुछ अंश सरकार द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रकार के विद्यालय पाये जाते है।

(3) **कार्यदिवस** – इग्लैण्ड एवं साउथ बेल्स में सामान्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के कार्यादिवसों की संख्या 170 से 180 के मध्य होनी चाहिये। शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस कार्य दिवसों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

(4) **विद्यालय समय** – प्राथमिक विद्यालयों का समय सामान्य रूप से सुबह नौ बजे से शाम 4 बजे तक होता है। इसमें छात्रों के लिये मध्यावकाश की व्यवस्था होती है। इस अवधि में छात्र एवं छात्राओं पर सामान्य नियन्त्रण रखा जाता है तथा उनको आवश्यकतानुसार स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जिससे वे स्वतंत्र रूप से विचरण करते है तथा अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन करते है। शिक्षण द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है।

(5) **पाठ्यक्रम** – यूनाइटेड किंगडम की प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये परिवर्तन किया जाता है। इस कारणवश प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य रूप से समानता नहीं पाई जाती प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रकृति अध्ययन मातृभाशा गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संगीत, बागवानी तथा स्वास्थ्य शिक्षा को सम्मिलित किया गया है।

NOTES

(6) **धार्मिक शिक्षा**– प्राथमिक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को पृथक विशय के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। सर्व धर्म सम्भाव की भावना यूनाइटेड किंगडम की शिक्षा व्यवस्था से पूर्ण रूप से पाई जाती है। अतः धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य मानवता, नैतिकता एवं मानव विकास से संबंधित होता है।

(7) **शिक्षण विधियां** – प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण विधियों का प्रयोग छात्रों की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये किया जाता है। कक्षा 1 स्तर पर खेल विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। कक्षा 4 एवं 5 के लिये प्रश्न पूछकर कथन करके एवं समस्या उत्पन्न करके छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा शिक्षण के लिये एक निश्चित विधि का प्रयोग न करके मिश्रित स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। जिससे छात्र स्थायी रूप से अधिगम करना है।

(8) **शिक्षा पर स्थानीयता का प्रभाव** :– प्रत्येक देश एवं राश्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव उसकी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम की शिक्षा व्यवस्था में पाई जाने वाली भिन्नता उसके ऊपर स्थायी प्रभाव प्रदर्शित करती है।

## प्राथमिक शिक्षा की विशेशतायें

यूनाइटेड किंगडम की प्राथमिक शिक्षा की विशेशतायें निम्न प्रकार है –

NOTES

(1) यूनाइटेड किंगडम की प्राथमिक एक अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा के रूप में प्रचलित है। जो कि साक्षरता के शत प्रतिशत लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

(2) प्राथमिक शिक्षा के लिये सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों का प्रावधान होता है। जिन्हें पूर्ण अनुदान प्राप्त अंश अनुदान प्राप्ति के आधार पर बांटा जा सकता है।

(3) प्राथमिक शिक्षा का सम्पूर्ण प्रबंध स्थायी शिक्षा सत्ता द्वारा है जिसे Local authority of education कहते है।

(4) प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधियों का पूर्ण सम्बन्ध छात्रों की क्रियाशीलता, खेल एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों से होता है।

(5) यूनाइटेड किंगडम की प्राथमिक शिक्षा में सामान्य रूप से एकता की स्थिति नहीं पाई जाती।

(6) प्राथमिक शिक्षा का पाठयक्रम परिवर्तनशील होता है।

## सोवियत रूस में प्राथमिक शिक्षा

सोवियत गणराज्य की व्यवस्था एवं विश्व में स्थिति को देखते हुये यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देश की प्राथमिक शिक्षा कितनी सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण होगी।

रूस में प्राथमिक शिक्षा पर पानी के समान पैसा बहाया जा रहा है। रूस में शिक्षा के सार्वभौमिकता के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास किये गये और परिवार स्वरूप वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य स्थिति में है। शिक्षा का स्वरूप निम्नांकित से स्पश्ट है।

(1) **प्राथमिक शिक्षा की अवधि** – सोवियत रूस में शिक्षा की अवधि 4 वर्श है। इसमें 8 वर्श के आयु वर्ग के छात्रों को 12 वर्श तक शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत माना जाता है।

(2) **विद्यालयों का स्वरूप** – सोवियत रूस में प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों का स्वरूप विभिन्न प्रकार का है। रूस में एकल अध्यापक वाला विद्यालय भवन एक कक्षीय भवन 4 वर्गीय भवनों का प्रचलन पाया जाता है। पक्के

भवनों के अभाव में कहीं–कहीं पर पिछड़े क्षेत्रों में तम्बू के विद्यालय भवन भी बनाये जाते है। 4 वर्गीय विद्यालयों में अध्यापकों में अध्यापकों का अभाव होता है। इसीलिये 4 वर्गीय विद्यालयों में अतिरिक्त सेवा के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है।

NOTES

(3) **कार्यदिवस** – प्राथमिक शिक्षा में कार्य दिवसों की संख्या कम से कम 180 होना चाहिये इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति वहां शनिवार का अवकाश नहीं रहता।

(4) **विद्यालय समय** – विद्यालय समय की दृश्टि से सोवियत गणराज्य में प्राथमिक विद्यालयों का समय 9 बजे सुबह से 2.30 बजे तक रहता है। प्रत्येक कालांश 20 मिनिट का होता है। छोटे बालक शीघ्र ही अवकाश चाहते है। इसीलिये प्रत्येक कालांश के उपरान्त 10 मिनिट का विश्राम दिया जाता है। मध्य में 15 मिनिट मध्यावकाश होता है।

(5) **पाठ्यक्रम**– गणतंत्र के निर्वाचित शिक्षा मंत्री द्वारा अन्य शिक्षाविदों के सहयोग से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विशय अनिवार्य होता है। उनमें से चयन करने की सुविधा वहीं होती। प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख विशय भाशा, गणित, विज्ञान, कला आदि होते है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को उच्चारण संबंधी बर्तनी संबंधी विशयों को समाहित किया जाता है।

(6) **धार्मिक शिक्षा** – सोवियत गणराज्य में धार्मिक शिक्षा को सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। विद्यालयी पाठ्यक्रम में इसको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया गया है। धर्म को मानव विकास एवं उत्थान का माध्यम समझा जाता है। अतः धार्मिक शिक्षा के दृश्टिकोण से सोवियत गणराज्य में धर्म निरपेक्षता की स्थिति है।

(7) **शिक्षण विधियां** – सोवियत गणराज्य में शिक्षण विधियों को मिश्रित रूप रेखा प्रचलन में है। इससे मिश्रण अभिनव एवं प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे भूगोल में नदी घाटी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना है। शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है।

NOTES

**प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य** – सोवियत गणराज्य में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक एवं जन सामान्य को उपलब्ध कराने के लिये अनेक प्रदान किये गये है। सोवियत गणराज्य में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार है –

**(1)** रूस में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अनुशासन की भावना का विकास करना है।

**(2)** छात्रों में अध्यापक शिक्षा समाज एवं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सकारात्मक दृश्टिकोण विकसित करना है।

**(3)** जीवन के प्रारंभिक काल मे ही अनिवार्य विशयों का ज्ञान प्राप्त करना जिससे समाज के साथ समापोशण स्थापित करने में सहायता किया जा सके।

**(4)** छात्रों में शब्दोंच्चारण शब्द प्रयोग एवं उनके द्वारा किये जा रहे व्यवहार को उचित रूप से विकसित करना।

**(5)** छात्रों राश्ट्र एवं समाज के प्रति आदर्श व्यवहार करने की भावना का विकास करना तथा आदर्श व्यवहार का ज्ञान करना।

**(6)** प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से लिखने पढ़ने एवं उच्चारण संबंधी योग्यता को विकसित करना।

## जापान की प्राथमिक शिक्षा

## (Primary Education in Japan)

जापान की अभी तक कोई मौलिक और निजी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। जापान ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की मिश्रित शिक्षा प्रणाली की रूप रेखा सन 1872 ई. में निर्धारित की। इस व्यवस्था में फ्रांस की शिक्षा प्रणाली का अधिक प्रभाव पड़ा। जापान चाहता था ि कइस प्रणाली व शिक्षा के द्वारा नागरिकों में नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राश्ट्रीय तथा चारित्रिक के गुणों का विकास हो।

**जापान की पूर्व–प्राथमिक शिक्षा**– जापान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा किण्डर–गार्डेन विद्यालयों में दी जाती है तथा उसे 5 वर्श के बालकों को दी जाने वाली शिक्षा है। इस शिक्षा के अन्तर्गत शिशुओं को महापुरूशों का परिचय अच्छे स्वाभाव का अभ्यास, दयालुता,

विनयशीलता, नैतिकता, आज्ञाकारिता आदि का भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है।

**जापान की प्राथमिक शिक्षा**– जापान में 6 से 12 वर्श के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था है। जापान में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य होता है। प्राथमिक शिक्षा में ग्रेडिंग की व्यवस्था है। प्राथमिक स्तर पर समस्त बच्चों को जापानी भाशा लिखाई जाती है और पढ़ने–लिखने का कौशल विकसित किया जाता है।

NOTES

**प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of primary Education)** –

**(1)** जापानी भाशा के कौशलों का विकास करना

**(2)** धर्म की शिक्षा देना

**(3)** नागरिकाता के उत्तम गुणों का विकास करना।

**(4)** शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास करना।

**(5)** राश्ट्रीय उत्तरदायित्वों तथा प्रतिबद्धताओं का विकास करना।

**(6)** शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गुणों का विकास करना।

**(7)** हस्त कलाओं का विकास करना।

**(8)** संगती के प्रति रूचियों का विकास करना।

**(9)** विज्ञान के प्रति समुचित दृश्टिकोण विकसित करना।

**प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Primary Education)** – जापान में प्राथमिक स्तर पर जापानी भाशा, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, हस्तकला, नैतिक शिक्षा, विशिश्ट क्रियाएं, गृह निर्माण, इसके अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया गया है। इन समस्त विशयों को प्रथम ग्रेड से छठे ग्रेड तक पढ़ाया जाता है। जापान में सर्वाधिक जापानी, भाशा, गणित, विज्ञान और शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाता है।

**पाठ्यपुस्तके (Text Book)** – प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का राश्ट्रीयकरण गया है क्यों कि पाठ्यपुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाश राश्ट्रीय दायित्व माना जाता है। शिक्षा

मंत्रालय निजी प्रकाशकों को भी पाठ्यपुस्तके प्रकाशित कराने के लिए अधिकृत करता है। पुस्तकों के मूल्य का निर्माण शिक्षा मन्त्रालय के अनुमोदन पर होता है। प्राथमिक स्तर पर सरकार द्वारा मन्त्रालय के अनुमोदन पर होता है। प्राथमिक स्तर पर सरकार द्वारा निशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाता है।

NOTES

**प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher)** – जापान में प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु चार वर्शीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करना होता है। कहीं–कहीं पर दो वर्शीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है। शिक्षकों को वेतन के अलावा अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त होती है।

**शैक्षिक प्रशासन (Educational Administeration)** – जापान में 4 स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन किया जाता है।

(1) **शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)** – केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा राश्ट्रीय स्तर की कई संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधार संस्थान की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा बोर्ड, व्यावसायिक बोर्ड तथा नगर पालिका के शिक्षा बोर्डो को भी निर्देशित करता है।

(2) **शिक्षा बोर्ड (Boards of Education)** – शिक्षा बोर्ड नगरपालिका में होते है। जापान में लगभग 30 हजार नगर पालिकाएं है। ये स्थानीय स्तर की शिक्षा के प्रबंधन का कार्य करती है।

(3) **प्रीफेचुअल शिक्षा बोर्ड (Prefeetual Board of Education)** – राज्यपाल पांच सदस्यों को बोर्ड की सदस्यता के लिये नियुक्ति प्रदान करता है। यह सदस्य चार वर्श तक बोर्ड के सदस्य रहते है तथा शैक्षिक क्रियाओं की व्यवस्था एवं निरीक्षण करते है।

(4) **नगरपालिका बोर्ड** – नगर पालिका का अध्यक्ष पांच सदस्यों की नियुक्ति इस बोर्ड के लिये करता है। जिसका अनुमोदन नगरपालिका करती है। यह सदस्य बोर्ड में 4 वर्श तक रहते है। इसे नगरपालिका शिक्षा सभा भी कहा जाता है। इस शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों का प्रशासन एवं प्रबंधन कार्य नगर पालिका ही करती है।

(5) **आर्थिक सहायता (Economic Help)** – जापान शिक्षा पर जो भी व्यय करता है उसका 50% केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तथा 20% व्यय स्थानीय संस्थाऐं करती है। राश्ट्रीय स्तर पर शिक्षा हेतु प्रतिवर्श अनुदान की व्यवस्था की जाती है। विद्यालयों को जो अनुदान प्राप्त होता है। उसका 50% शिक्षकों ने वेतन पर व्यय होता है। जापान सरकार अपनी राश्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करती है।

NOTES

## जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा

## Primary Education in Germany

अन्य यूरोपीय राश्ट्रों की भाँति जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा का विकास क्रमबद्ध रूप में हुआ है। जर्मनी में विश्व युद्ध की भयंकरता, देश का विभाजन तथा वर्तमान में एकीकरण की स्थिति को देखा है। जर्मनी में दार्शनिकाता, आध्यात्मिकता संगीत के प्रति प्रेम एवं कला के प्रति रूचि स्पश्ट रूप से दृश्टिगोचर होती है।

**प्रारम्भिक स्तर (Primary Stage)** – जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भिक समय में चर्चा के अधीन थी। चर्च के विद्यालयों द्वारा ही शिक्षा का सूत्रपात किया गया था। चर्च के माध्यम से पादरियों द्वारा शिक्षा का कार्य सम्पन्न किया जाता था। धीरे–धीरे परिवर्तन का क्रम प्रारम्भ हुआ तथा जर्मनी में चर्च की विद्यालय प्रणाली को समाप्त करते हुए राश्ट्रीय विद्यालय प्रणाली को सन 1713 में प्रारम्भ कर दिया। सन 1713 से 1740 के मध्य में नवीन माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी। इस काल में यह निश्चित किया गया प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाय। इस व्यवसाय को आकर्शक बनाने के लिये अध्यापकों को विशेश सुविधाएँ प्रदापन की गयी, जिससे कि योग्य व्यक्ति इस ओर आकर्शित हो सकें। सम्पूर्ण राश्ट्र के लिये एक शिक्षा आचार संहिता का निर्माण किया गया। अतः प्रारम्भिक स्तर पर ही जर्मनी की प्राथमिक शिक्षा ने एक नवीन दिशा प्राप्त कर ली थी।

NOTES

# जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा की विशेशताएँ

## Characteristics of Primary Education in Germany

जर्मनी की प्राथमिक शिक्षा में आधुनिकीकरण एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का मिश्रण दृश्टिगोचर होता है। जर्मनी में राश्ट्रवाद एवं राश्ट्र के प्रति प्रेम की भावना छात्रों में विकसित की जाती है।

**(1) धार्मिक साहित्य का समावेश (Inclusion of Religious Literature)** – जर्मनी में प्राथमिक स्तर पर धार्मिक साहित्य का समावेश किया गया। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों को धर्म की उचित एवं श्रेश्ठ अर्थ से परिचित कराया जाता है। जर्मन विशेशज्ञों का मानना है कि धार्मिक शिक्षा मानवता एवं नैतिकता के गुणों का विकास करती है, जो कि मानव सभ्यता के विकास के लिये परमावश्यक है।

**(2) बालिकाओं को पृथक शिक्षा (Separate Education of Girls)** – प्राथमिक स्तर पर छात्राओं का पृथक शिक्षा पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। छात्राओं को अन्य सामान्य विशयों के साथ–साथ गृह विज्ञान एवं गृह कलाओं से युक्त साहित्य का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होता है। इससे छात्राओं में घर परिवार के संचालन संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। योग्य महिला ही अपने परिवार एवं बालकों का उचित पालन पोशण कर सकती है यह अवधारणा जर्मन के शिक्षाशास्त्रियों के मनोमस्तिश्क में है।

**(3) सरकारी नियन्त्रण (Government Control)** – जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा पर पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण पाया जाता है। सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिये शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम को राश्ट्रीय एवं अन्तराश्ट्रीय परिदृश्य की दृश्टि से महत्वपूर्ण बनाने के लिये शिक्षा मन्त्रालय द्वारा शिक्षा विशेशज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। तथा पाठ्यक्रम को पूर्णतः अनुशासनात्मक रूप में क्रियान्वित किया जाता है।

**(4) खेलकूद (Soprts)** – जर्मनी की प्राथमिक शिक्षा में खेलकूद को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग माना जाता है। खेलकूद का संबंध शारीरिक विकास से होने के कारण इसका महत्व अधिक हो जाता है। इस प्रकार खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा से देश के लिये स्वस्थ नागरिक एवं कुशल सैनिक तैयार किये जा सकते है। इस प्रकार खेलकूद जर्मनी की शिक्षा का विशेश अंग माना जाता है।

**(5) पाठ्यक्रम की समीक्षा (Review of Curriculum)** – जर्मन की प्राथमिक शिक्षा में प्रतिवर्श पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाती है। निर्धारित उद्देश्यों एवं प्राप्त उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति में असफलता होती है तो समस्याओं का समाधान करते हुए पाठ्यक्रम में नवीन एवं उपयोगी तथ्यों का समावेश किया जाता है। अनुपयोगी तथ्यों को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है।

NOTES

## जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

## Aims of Primary Education

संयुक्त जर्मनी की प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार किया जाय तो एक विशेश और अद्भुत चित्र दृश्टिगोचर होता है, जिसमें साम्यवादी उद्देश्य, प्रजातान्त्रिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, नैतिकता सम्बन्धी उद्देश्य एवं धार्मिक व्यापकता सम्बन्धी उद्देश्यों को समन्वयन मिलता है।

**(1) धर्म की व्यपकता का ज्ञान (Knowledge of Religious of Broadness)** – प्राथमिक स्तर पर छात्रों को धर्म की व्यापकता एवं उसके महत्व का ज्ञान कराना, जर्मनी की प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। धर्म का संबंध सर्व धर्म समभाव, मानवता एवं नैतिकता से होता है। धर्म लोक कल्याण एवं मानव कल्याण की भावना से ओत–प्रोत होता है। इसमें संकीर्णता की भावना का परित्याग करते हुए व्यापकता की भावना का समावेश होता है। इस प्रकार धर्म की उचित परिभाशा एवं व्याख्या का ज्ञान छात्रों का ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाता है।

**(2) परम्परागत भाशाओं का ज्ञान (Knowledge of Traditional Language)** – जर्मनी में ग्रीक एवं लैटिन भाशाओं को परम्परागत भाशाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन भाशाओं के महत्व को जर्मनी में आधुनिक भाशाओं के समकक्ष रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रथम प्रकार के विद्यालयों एवं तृतीय प्रकार के विद्यालयों में परम्परागत भाशाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से छात्रों को करना पड़ता है। इन जर्मनी की शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को परम्परागत भाशाओं के ज्ञान में प्रवीन करना है।

**(3) नैतिक मूल्यों का विकास (Development of Morality)** – प्राथमिक स्तर के छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु सर्व धर्म समभाव, समानता, परोपकार एवं प्रेम

सहयोग जैसे नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। छात्रों को धर्म एवं समाज को नैतिकता के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाता है जिससे एक नैतिक समाज की स्थापना को प्रश्रय मिलता है तथा नैतिक मूल्यों का छात्रों में विकास होता है। इस प्रकार नैतिक मूल्यों के विकास में जर्मनी की शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

NOTES

उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि जर्मनी में प्राथमिक स्तर पर उन सभी उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है जो कि छात्रों में सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते है। उद्देश्यों के निर्धारण करते समय छात्रों के प्रत्येक पक्ष को विकसित करने का प्रयास किया गया है, जो कि छात्रों के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। इस प्रकार जर्मनी की प्राथमिक शिक्षा उद्देश्यनिश्ठ शिक्षा है।

## भारत में प्राथमिक शिक्षा

किसी भी देश की प्रगति में उस देश की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूरी शिक्षा व्यवस्था का मूल प्राथमिक शिक्षा में निहित है। यदि प्राथमिक शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाये तो उच्चशिक्षा तक उसकी उपयोगिता दिखाई देती है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को प्राथमिक शिक्षा स्तर कहा जाता है। बालक की आयु 6 से 7 वर्श होने पर प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है तथा साधारणतः 14 वर्श की आयु तक चलती है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालक किसी शिक्षा संस्था में नियमित ढंग से विद्याध्ययन प्रारंभ कर देता है। अतः कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्ष को प्राथमिक शिक्षा कहा जा सकता है। शिक्षा आयोग (1964–65) में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को निम्न प्राथमिक शिक्षा तथा कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। निम्न प्राथमिक शिक्षा 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिये होती है तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा 11 से 14 वर्श आयु वर्ग बालकों के लिये होती है। के. जी. सैयदेन ने प्राथमिक शिक्षा को स्पश्ट करते हुये लिखा है प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं बल्कि देश की सम्पूर्ण जनता के साथ है। वह प्रत्येक बिन्दु पर जीवन को स्पर्श करती है और राश्ट्रीय आदर्श तथा चरित्र निर्माण में किसी अन्य क्रिया सामाजिक राजनैतिक या शिक्षा संबंधों की अपेक्षा यह अधिक काम कर सकती है।

**भारत में प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य** – कोठारी आयोग (1964–66) में अपने प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में लिखना है कि आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को भावी जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिये शारीरिक तथा मानसिक प्रशिक्षण देकर उसका इस प्रकार से विकास करना है कि वह वास्तव में एक उपयोगी नागरिक बन सकें।

NOTES

राश्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण NCERT के द्वारा सन 1975 में तैयार किये गये दस्तावेज The curriculum for the ten school में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को इस प्रकार लिखा गया है।

**(1)** अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप के लिये मातृभाशा का ज्ञान प्रदान करना।

**(2)** व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिये जोड़ घटाना गुणा एवं भाग की योग्यता प्रदान करना।

**(3)** वैज्ञानिक खोज विधि को सिखाना विज्ञान एवं तकनीकि के महत्व को समझना।

**(4)** राश्ट्रीय प्रतीकों (जैसे राश्ट्रध्वज, राश्ट्रगान आदि) तथा प्रजातांत्रिक विधियों एवं संस्थाओं के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना।

**(5)** भारत को मिली जुली संस्कृति से परिचय कराना अस्पृश्यता जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता का विरोध करना सिखाना।

**(6)** मानव श्रमक के प्रति स्वस्थ दृश्टिकोण विकसित करना।

**(7)** सफाई तथा स्वस्थ जीवन की आदते विकसित करना।

**(8)** अच्छाई तथा सौन्दर्य की अभिरूचि बढ़ाना।

**(9)** अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करने की भावना विकसित करना।

**(10)** चरित्र तथा व्यक्तित्व के वांछनीय गुण जैसे पहल करना नेतृत्व करना दयाकता तथा ईमानदारी का विकास करना।

**(11)** सृजनात्मक क्रियाओं के द्वारा स्वतंत्र अभिवृत्ति की योग्यता विकसित करना।

**(12)** स्वअध्ययन की आदत डालना।

# Unit 4.2

NOTES

## Comparative stady of secondary education in U.S.A., U.K., Russia, Japan, Germany and India.

### संयुक्त राज्य अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा

संयुक्त राज्य अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा के विकास का इतिहास संघर्शपूर्ण है। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत के समान ही स्वतंत्रता अत्यधिक संघर्श के बाद प्राप्त की थी। अतः ऐसी अवस्था में वहाँ के नागरिकों में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। इन सभी कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा सर्व सुलभ बनी। संयुक्त राज्य अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा का विकास अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा प्रचलित औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। वहां पर 17 वर्श की आयु तक के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करना हेाती थी। किन्तु इसे व्यावसायिक शिक्षा का अभाव होने के कारण समस्या का सामना करना पड़ा। चूंकि किसी भी सरकार के लिये ऐसी अवस्था में प्रत्येक साक्षर व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना संभव नहीं था। अतः सरकार के लिये माध्यमिक शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा एक आवश्यकता बन गई। इस विचार धारा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा की नींव पड़ी। संयुक्त राज्य अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा को प्रारंभिक रूप में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। व्यवस्थित रूप से संगठित होने के पूर्व वहाँ माध्यमिक शिक्षा को कुछ संगठन/ संस्थान संचालित करते थे। इनके नाम इस प्रकार है –

**(1) लैटिन व्याकरण नियम** – स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को जीवन्त बनाये रखने के लिये धार्मिक नेताओं एवं पादरियों के द्वारा लैटिन व्याकरण विद्यालयों की स्थापना की गई। सर्वप्रथम लैटिन व्याकरण की स्थापना 1635 में बोस्टन में हुई। इन विद्यालयों रूढ़िवादी संकुचित धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा अकादमी की व्यवस्था के उपरान्त इन विद्यालयों का प्रभाव समाप्त हो गया।

(2) **शिक्षा अकादमी व्यवस्था** – बेन्जामिन फ्रेंकलिन शिक्षा अकादमी व्यवस्था का जन्मदाता था। बेन्जामिन ने रूढ़िवादी धार्मिक शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा को अपना 1751 में फित्मा डेल्फिया में शिक्षा अकादमी की स्थापना हुई।

NOTES

इस प्रकार की अकादमियों का जनता ने बहुत सहयोग किया शिक्षा अकादमी व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध होने के साथ–साथ दार्शनिक राजनैतिक स्त्रीशिक्षा तथा सैनिक शिक्षा को पर्याप्त स्थान मिला अमेरिका में शिक्षा अकादमियों ने आधुनिक शिक्षा की नींव ही नहीं रखी बल्कि प्रजातान्त्रिक मूल्यों की स्थापना की।

(3) **सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय** – उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राचीन तथा रूढ़िवादी शिक्षा एवं विद्यालयों के विरूद्ध आन्दोलन प्रारंभ हो गये। नवीन घटनाक्रम में विद्यालयों में शिक्षा अकादमी में प्रचलित पाठ्यक्रमों का समन्विक पाठ्यक्रम के संचालन के विशय में रूपरेखा तैयार हुई इसी क्रम में न्यूयार्क तथा बोस्टन में सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में स्नातक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

## यू.एस.ए. (संयुक्त राज्य अमेरिका) में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख कार्य

माध्यमिक शिक्षा प्रधानाचार्य विभाग के द्वारा स्थापित की गई माध्यमिक शिक्षा पुनव्यव्यवस्था समिति ने माध्यमिक शिक्षा के अनेक कार्यो को स्पश्ट किया है। इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार है –

**(1)** भविश्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

**(2)** पूर्व ज्ञान से सह संबंधित नवीन ज्ञान को समझने की आवश्यकता पर बल।

**(3)** ज्ञान वृद्धि करने वाले कार्य

**(4)** अपेक्षाकृत ह्रास न होने पर छात्रों को रोकना।

**(5)** मानवीय कार्यो के क्षेत्र में रूचि लेने की प्रवृति का विकास करना।

NOTES

(6) परम्परागत समकालिक तथा सांस्कृतिक कर्तव्यों का ज्ञान नागरिकों को प्रदान करना।

(7) विशिश्ट योग्यता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

(8) विभिन्न प्रगतिशील शिक्षण विधियों स्वतंत्र चिन्तन अनुसन्धानपूर्ण सिद्धांतों का उपयोग करना।

1934 में प्रगतिशील शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसने 1942 ई. तक गहन अध्ययन के उपरान्त भी जब ठोस सुझाव नहीं दिया तब 1944 ई. में शिक्षा नीति आयोग का गठन किया गया। 1947 में पुनः एक जीवन अनुकूलन शिक्षा आयोग की नियुक्ति करके शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य तथा कार्यो का पुनराविलोकन कराया गया। इस आयोग ने शिक्षा संचालन के कुछ सुझाव दिये जो निम्न प्रकार है –

(1) शिक्षा के माध्यम से छात्र दैनिक व्यवहारिक कार्यो से परिचित हो सके।

(2) माध्यमिक शिक्षा में प्रमुखतः यह विशेशता होना चाहिये कि वह इससे विद्यार्थी उच्च नागरिक बन सके।

(3) नागरिकों को माध्यमिक शिक्षा उचित व्यवसाय तथा प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हो।

(4) शिक्षा के माध्यम से परिवार के योग्य सदस्य का निर्माण।

(5) माध्यमिक शिक्षा के द्वारा नागरिक विकास के महत्व तथा विधियों को समझ सके।

(6) शिक्षा के द्वारा योग्य नागरिक बन सके।

(7) नागरिक माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से ज्ञानार्जन के आधारभूत साधनों से पूर्ण परिचित हो सके।

(8) माध्यमिक शिक्षा शारीरिक योग्यता तथा मानसिक स्वास्थ्य की प्रदाता बने।

(9) उच्चशिक्षा की व्यवस्था।

(10) सौन्दर्यनुभूति की शक्ति प्रदान हो।

## संयुक्त राज्य अमेरिका में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य

संयुक्त राज्य अमेरिका में दस व्यक्तियों की एक समिति 1892 ई. में गठित की गई तथा इसके बाद राश्ट्रीय शिक्षा सभा भी गठित की गई। इन समितियों ने माध्यमिक शिक्षा

के पाठ्यक्रमों में इस विचार धारा से सुधार करने का प्रतिवेदन दिया कि इस दिशा में आगामी शिक्षा को सार्वजनिक किया जाये। 1899 ई. में दस व्यक्तियों की समिति के सुझावों के अनुरूप तेरह व्यक्तियों की समिति गठन का निर्णय लिया गया। सन् 1912 ई. में माध्यमिक शिक्षा पुनर्व्यस्था आयोग की स्थापना की गई। समिति ने 7 विभिन्न उद्देश्य बताये –

NOTES

**(1)** मूलभूत प्रक्रियाओं को नियन्त्रित करने का उद्देश्य।

**(2)** व्यक्ति के नैतिक चरित्र निर्माण का उद्देश्य।

**(3)** स्वास्थ्य शिक्षा की प्रगति का उद्देश्य।

**(4)** व्यक्ति को परिवार के योग्य बनाने का उद्देश्य।

**(5)** अवकाश अवधि के सदुपयोग का उद्देश्य।

**(6)** नागरिक शिक्षा का उद्देश्य।

**(7)** उच्च व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य।

सन् 1933 ई. में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के कारण एक सामाजिक एवम् आर्थिक लक्ष्य निर्धारिणी समिति का गठन किया गया। इस समिति के 10 लक्ष्य निर्धारित किये गये।

**(1)** अवसर की समानता का लक्ष्य।

**(2)** स्वतंत्रता का लक्ष्य।

**(3)** शारीरिक सुरक्षा का लक्ष्य।

**(4)** व्यवहार की समानता का लक्ष्य।

**(5)** आर्थिक सुरक्षा का लक्ष्य।

**(6)** मानसिक सुरक्षा का लक्ष्य।

**(7)** विकास की ओर वर्तमान संस्कृति का लक्ष्य।

**(8)** उचित व्यवसाय का लक्ष्य।

**(9)** वंश तथा परम्परागत शान्ति का लक्ष्य।

**(10)** स्फूर्तियुक्त लोचपूर्ण व्यक्तित्व का लक्ष्य।

NOTES

## माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन

20वीं शताब्दी के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुये। इस समय में प्राथमिक शिक्षा के 8 वर्श का पाठ्यक्रम को संक्षिप्त का 6 वर्श कर दिया। इस परिवर्तन के साथ–साथ एक अन्य परिवर्तन यह हुआ कि अब व्यवसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता के कारण महाविद्यालय स्तर के प्रथम दो वर्शो के पाठ्यक्रम को भी माध्य शिक्षा में सम्मिलित किया गया। 8 वर्शीय पाठ्यक्रम को दो प्रकार से विभक्त किया गया।

प्रथम 8 वर्शीय पाठ्यक्रम को 4–4 वर्शो में विभक्त कर दिया गया तथा उसे क्रमशः निम्नतर तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का नाम दिया गया।

**द्वितीय** – द्वितीय रूप से 8 वर्शीय पाठ्यक्रम को तीन भागों में विभक्त किया गया, जो इस प्रकार हे –

**(1)** प्रथम – 3 वर्श निम्नतर माध्यमिक शिक्षा।

**(2)** द्वितीय – 3 वर्श उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।

**(3)** तृतीय 2 वर्श– निम्नतर महाविद्यालयी शिक्षा।

## ग्रेट ब्रिटेन में माध्यमिक शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

आधुनिक युग में ग्रेट ब्रिटेन अथवा इग्लैण्ड प्रथम राज्य था जहाँ पर प्रथम औद्योगिक क्रान्ति हुई। यह औद्योगिक क्रांति धर्म सुधार तथा पुनर्जागरण का परिणाम है। इन्हीं का प्रभाव ब्रिटेन की शिक्षा प्रणालियों में दृश्टिगत होता है।

ग्रेट ब्रिटेन में माध्यमिक शिक्षा सन 1944 के अधिनियम का ही परिणाम है। इस अधिनियम के अनुसार माध्यमिक स्तर पर अधिकतम आयु 14 वर्श से 15 वर्श की गई जिसमें वृद्धिदर 16 वर्श कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार माध्यमिक शिक्षा को समझने के लिये 1944 के अधिनियम की जानकारी अनिवार्य है।

**1944 का शिक्षा अधिनियम** – इस अधिनिमय के अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के भिन्न–भिन्न संस्थाओं की स्थापना करने में दायित्व स्थानीय शिक्षा सत्ताओं का माना गया। इस प्रकार स्थानीय शिक्षा सत्ताओं को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की

स्थापना का उत्तरदायित्व माना गया। इस के अतिरिक्त स्थानीय शिक्षा संस्थाओं का यह भी कर्तव्य हो गया कि वे अपने–अपने क्षेत्र में विशिश्ट विद्यार्थिओं की आवश्यकताओं को संज्ञान में रखते हुये शिक्षा व्यवस्था संबंधी प्रयोग करे तथा इसके उपरान्त निर्णायक कि तुम विद्यार्थियों पर कौन सी शिक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। इसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में प्रथम माध्यमिक विद्यालय द्वितीय निम्नतर प्राविधिक विद्यालय निम्नतर कला एवं सक्रिय विद्यालय तथा तृतीय प्रोन्नत प्रारंभिक प्रविधिक विद्यालय स्थापित किये गये। जनसाधारण में क्रमशः उत्तम श्रेणी मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी के नाम लोकप्रिय थे। निम्न श्रेणी तथा तृतीय प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा पाते थे जो शिक्षा पर अधिक व्यय करने की स्थिति में नहीं थे।

NOTES

**ग्रेट ब्रिटेन में माध्यमिक विद्यालयों के प्रकार**– ब्रिटेन में माध्यमिक विद्यालयों को उ.मा. में विभक्त किया गया।

**(1)** व्याकरण विद्यालय।

**(2)** आधुनिक माध्यमिक विद्यालय।

**(3)** तकनीकि माध्यमिक विद्यालय।

**ग्रेट ब्रिटेन में प्रचलित विद्यालयों का आधुनिक स्वरूप –**

**(1)** द्विभुज तथा व्यापक विद्यालय

**(2)** बहुदिश माध्यमिक विद्यालय

**(अ)** निम्नतर व्यापक माध्यमिक विद्यालय

**(ब)** उच्चतर व्यापक माध्यमिक विद्यालय

**(3)** माध्यमिक तकनीकि विद्यालय

**(4)** माध्यमिक आधुनिक विद्यालय

**(5)** अन्य माध्यमिक विद्यालय

**(1) द्विभुज तथा व्यापक विद्यालय** – माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 1950 ई. के पश्चात पूर्व से संचालित व्याकरण माध्यमिक विद्यालय, आधुनिक विद्यालय तथा प्रविधिक विद्यालय में शैक्षिक महत्व के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किये जाते थे तथा एक प्रकार के द्विभुज विद्यालय स्थापित होने

लगे। सामान्य रूप से वे द्विभुज विद्यालय होते थे। जिनसे कि आधुनिक माध्यमिक व्याकरण माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाने लगी।

NOTES

(2) **बहुदिश माध्यमिक विद्यालय** – इन बहुदिश अथवा बहुभुज विद्यालयों में व्याकरण आधुनिक तकनीकि विद्यालयों के मिश्रित तत्व समाविश्ट होते थे विविध स्थानों पर संस्थापित विद्यालय निम्न प्रकार रहे–

(1) इण्टरमीडियेट विद्यालय

(2) केन्द्रीय विद्यालय

(3) उच्चतर श्रेणी विद्यालय

(3) **माध्यमिक तकनीकि विद्यालय** – नाम के अनुरूप माध्यमिक तकनीकि विद्यालयों में तकनीक अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। तत्कालीन समय में ग्रेट ब्रिटेन के अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को प्रविधिक विद्यालय की अपेक्षा व्याकरण विद्यालय में भेजना अधिक उचित मानते थे। अतः ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रकार के विद्यालय अपना विस्तार नहीं कर पाये। शनैः शनैः ग्रेट ब्रिटेन की जनता के मन में इन विद्यालयों के प्रति रूचि समाप्त हो गई।

(4) **माध्यमिक आधुनिक विद्यालय** – 1945 ई. में ग्रेट ब्रिटेन में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा का अधिक आधुनिक रूप देने के उद्देश्य से इन्हें माध्यमिक आधुनिक विद्यालय में परिवर्तित किया गया। समय के साथ इन विद्यालयों का स्वरूप जनता की आवश्यकता के अनुरूप निर्मित किया गया था अतः इनके प्रसार में सुगमता आई। इन विद्यालयों में विशिश्ट प्रकार के पूर्ण अथवा आंशिक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था जिसमें कि प्रमुख का वर्णन निम्नानुसार है –

(1) सुई का कार्य तथा प्रारूप

(2) प्रयोगात्मक शिल्प शिल्प कौशल

(3) गृह व्यवस्था एवं प्रबंध

(4) यन्त्र प्रधान व्यवसाय

(5) स्वचालित मोटर अभियन्त्रण

**(6) कृशि तथा उद्यान शिल्प**– आधुनिक माध्यमिक विद्यालय रायल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की परीक्षाओं जैसे विद्यालय प्रमाण पत्र, प्रविधिक प्रमाण पत्र वाणिज्य प्रमाण पत्र आदि संचालन करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्यालय इस प्रकार है–

NOTES

**(1)** शैक्षिक संस्थाओं के संघ

**(2)** प्रादेशिक संस्थायें

**(3)** लेकशापर तथा चेशायर की समस्यायें

**(4)** पूर्वी मिडलेण्ड एजूकेशन संस्था संघ

**(5)** विविध विद्यालय प्रमाणपत्र

**(6)** उतरी नगरीय प्रदेश प्रविधिक संस्थायें

वे आधुनिक माध्यमिक विद्यालय जो कि स्थानीय शिक्षा संस्थानों के अधीन थे, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र परीक्षायें संचालित करते थे। 4 वर्शीय पाठ्यक्रम के उपरान्त देने वाले विद्यार्थी माध्यमिक आधुनिक विद्यालयों की परीक्षा में बैठते थे। इनमें से अनेक विद्यालयों ने अनेक विद्यार्थियों की सैनिक डाकयार्ड तकनीकि शिक्षा की परीक्षा ली।

1959 ई. में माध्यमिक आधुनिक विद्यालयों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं रहा। इसके विविध रूप सामने आये प्रमुख 4 निम्न प्रकार है –

**(1) सामान्य शिक्षा के विद्यालय** – इनमें कला सामाजिक जीवन शिल्प तथा नैतिक क्रियाओं की शिक्षा दी जाती थी।

**(2) सामान्य तथा विशिश्ट शिक्षा के विद्यालय**– इनमें प्रथम 2–3 वर्शो तक सामान्य शिक्षा दी जाती थी तथा पाठ्यक्रम के समापन पर विशिश्ट शिक्षा दी जाती थी।

**(3) वरिश्ठ प्रारंभ विद्यालय** – इनमें सामन्य पाठ्यक्रम का संचालन ही सरल रूप से दिया जाता था।

**(4) अग्रिम शिक्षा के विद्यालय** – इनमें एक अथवा एक से अधिक विशयों की अग्रिम शिक्षा की व्यवस्था थी।

**(5) अन्य माध्यमिक विद्यालय** – ग्रेट ब्रिटेन में कुछ अन्य विद्यालय भी थे जिनका कार्य सामान्य शिक्षा के अलावा सामाजिक आर्थिक एवं वैचारिक था। इनमें व्याकरण विद्यालय सामान्य शिक्षा प्रमाण पत्र विद्यालय तथा स्वैच्छिक गोश्ठी या आदि शामिल है।

# रूस में माध्यमिक शिक्षा

NOTES

शिक्षा के क्षेत्र में रूस की स्थिति अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर अग्रीव श्रेश्ठ मानी जाती थी। रूस में प्रारंभिक काल में भी शिक्षा व्यवस्था को उच्चतम एवं श्रेश्ठ रूप प्रदान करने के प्रयास किये गये थे मध्यकाल में इसके प्रयास में रूस की साम्यवादी सरकार एवं जनता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रजातान्त्रिक एवं साम्यवादी सरकारों द्वारा सहयोग किया जाता है। रूस की माध्यमिक शिक्षा का विकास अनेक उतार चढ़ाव का परिणाम है। रूस के माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार है –

(1) **प्रारंभिक स्तर** – रूस में विद्यालयीन शिक्षा का प्रारंभिक काल श्रेश्ठ एवं आशात्मक रूप में नहीं माना जाता। माध्यमिक स्तर की शिक्षा का स्वरूप विकसित एवं प्रभावशाली था परन्तु इसका प्रयोग वर्ग विशेश के व्यक्तियों तक ही सीमित था। रूस में माध्यमिक स्तर की शिक्षा कुलीन वर्ग के बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती थी। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कठोर नियन्त्रण एवं अनुशासन था। छात्रों को अपनी जिज्ञासा की शान्ति के लिये अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। पीटर महान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। सन 1633 में एक शिक्षा परिशद का गठन करके माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 50 विद्यालय खोले गये जिनमें पादरियों के 200 बालक शिक्षा पाते थे। सन 1764 में कुलीन वर्ग की छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय आरंभ हुये। सन 1801 से 1852 के बीच एलेक्जेन्डर प्रथम का शासन काल रहा इस शासन काल में 1400 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की स्थापना की गई जिसमें 70 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे।

(2) **मध्यम स्तर**– रूस की माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन की लहर समान एवं सरकार के प्रभाव का ही परिणाम था। मध्य स्तर में धार्मिक शिक्षा का समापन हो गया तथा शिक्षा की उपयोगिता तत्कालीन समाज की प्रमुख जरूरत बन गई। इस कारण साम्यवादी सरकार ने रूस में शिक्षा के विकास हेतु अनेक विद्यालयों की स्थापना की सन 1900 से 1907 तक के बीच रूस में माध्यमिक शिक्षा का विकास हुआ सन 1921 से 1921 के मध्य माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र की गति और भी तेज हो गई माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा नोट की गई।

**(3) आधुनिक स्तर**– द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस की माध्यमिक शिक्षा में विकास की गति में अधिक तीव्रता आई। माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के लिये अधिक विद्यालय खोले गये छात्र एवं छात्राओं को छात्रतृति प्रदान करने की व्यवस्था की गई। माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं का समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाने लगी।

NOTES

## रूस में माध्यमिक शिक्षा की विशेशतायें

रूस की माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान स्वरूप पर विचार किया जाये तो यह तथ्य दृश्टिगोचर होता है। माध्यमिक शिक्षा में भौतिक विकास की अवधारणा को पूर्ण महत्व प्रदान किया गया। छात्रों को साम्यवादी परम्पराओं के अनुपालन में छूट देते हुये प्रजातान्त्रिक साहित्य उपलब्ध कराया गया। प्रमुख विशेशतायें इस प्रकार है –

**(1)** रूस में माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाशा की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई।

**(2)** माध्यमिक शिक्षा में उन सभी विशयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जो राश्ट्र एवं समाज के उत्थान में सहयोगी थे।

**(3)** माध्यमिक शिक्षा में भौतिक विकास का दृश्टिकोण अपनाया गया।

**(4)** रूस में माध्यमिक शिक्षा के आध्यात्मिक विशयों के साहित्य को महत्व प्रदान नहीं किया गया।

**(5)** माध्यमिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को स्थान मिला।

**(6)** सामाजिक साहित्य का समावेश किया गया।

**(7)** वैज्ञानिक साहित्य को भी शामिल किया गया।

**(8)** शिक्षा में राश्ट्रीय भावना का समावेश था।

**(9)** शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण था।

**(10)** माध्यमिक शिक्षा प्रजातांत्रिक दृश्टिकोण से प्रभावित थी।

**(11)** आर्थिक सहायता की व्यवस्था के साथ कृशि शिक्षा अनिवार्य की गई। सहशिक्षा की व्यवस्था की गई।

NOTES

## रूस में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य

रूस में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था में छात्रों के लिये उन विशयों एवम् तथ्यों को समावेशित किया जाता है जिनका कि छात्रों के व्यक्तिगत जीवन में राश्ट्रीय विकास में एवम् सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। साम्यवादी शासन के पतन रूस की माध्यमिक शिक्षा में प्रजातान्त्रिक दृश्टिकोण का विकास कर लिया है। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निम्नानुसार स्पश्ट किया जा सकता है –

(1) **भौतिक दृश्टिकोण के विकास के उद्देश्य** – माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में भौतिकता के दृश्टिकोण को विकसित करना है कयोंकि रूस के शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत नहीं थे कि छात्रों को आध्यात्म ज्ञान एवं पारलौकिक जगत का ज्ञान प्रदान किया जाये ।इन विचारकों का मानना था कि पारलौकिक जगत का तथ्य व्यक्ति को सीमित करता है तथा उसके भौतिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है अतः छात्रों में भौतिक विकास के प्रति रूचि को उत्पन्न किया जावें।

(2) **औद्योगिक विकास के उद्देश्य** – रूस में माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों में औद्योगिक विकास की भावना उत्पन्न करना है। इसक कारण से ही देश के अन्तर्गत ऐसी शिक्षण प्रणाली लागू की गई जिसमें माध्यमिक स्तर पर ही औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के द्वार खुल जाते है। रूसी विचारकों के अनुसार औद्योगिक प्रगति ही राश्ट्र एवं सामाजिक प्रगति का आधार होती है। इसीलिये छात्रों में औद्योगिक विकास की भावना जागृत करना माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है।

(3) **वैज्ञानिक अभिवृति का विकास** – रूस में माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृश्टिकोण विकसित करना है। छात्रों को प्रत्येक तथ्य पर तार्किक एवं वास्तविक रूप से विचार एवं रूढ़िवाद प्रमुख बाधायें है। विकास के मार्ग में अन्धानुकरण एवं रूढ़िवाद प्रमुख बाधायें है। विकास के मार्ग के लिये वैज्ञानिक सोच एवं विज्ञान विशय की प्रगति परम आवश्यक है। इसीलिये रूस की माध्यमिक शिक्षा वैज्ञानिक अभिवृति के विकास का उद्देश्य निहित है।

(4) **सैनिक गुणों का विकास** – रूस में सैन्यशक्ति एवं उसके विकास को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। सैन्य शक्ति को ही राज्य के विकास एवं समाज के विकास का आधार माना है। इसीकारण रूस में माध्यमिक स्तर पर छात्रों को सैन्यशक्ति का महत्व बताते हुये कुशल सैनिक के गुणों से सम्पन्न बना दिया जाता है।

NOTES

(5) **राश्ट्रीय भावना का विकास** – माध्यमिक स्तर से ही छात्रों में राश्ट्रीय भावना को विकसित किया जाता है। जिससे छात्र देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे तथा आवश्यकता पड़ने पर देश के लिये समर्पण कर दे।

(6) **मानवीय गुणों का विकास** – रूस में साम्यवादी व्यवस्था के पहलु के बाद मानवतावादी दृश्टिकोण का विकास हुआ जहाँ एक ओर नियन्त्रण एवं कठोर अनुशासन का राज्य था। वहीं अब मानवीय गुण उधार अनुशासन एवं आवश्यक नियन्त्रण देखने को मिलता है।

(7) **अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना का विकास** – रूस की वर्तमान माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना से परिपूर्ण होना है। रूस में छात्रों को साम्राज्यवादी नीति की अपेक्षा प्रजातांत्रिक एवं मानवीय गुणों से युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

(8) **तकनीकि कौशलों का विकास** – माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में तकनीकि कौशल का विकास करना है। तकनीकि ज्ञान के अभाव में छात्र अपने देश एवं समाज को उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते छात्रों को माध्यमिक शिक्षा के अनेको प्रकार के तकनीकि ज्ञान से युक्त कराया जाता है।

(9) **व्यवसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य** – रूस की माध्यमिक शिक्षा में छात्रों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेश में योग्यता प्रदान की जाती है। इस योग्यता के माध्यम से छात्रों की रूचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है।

NOTES

(10) **छात्रों के व्यक्तित्व का विकास** – रूस में माध्यमिक स्तर पर छात्रों के अन्तर्गत छिपी हुई प्रतिभा का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। छात्र की रूचि औद्योगिक एवं तकनीकि क्षेत्र के प्रति उसको व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं तकनीकि ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे पृथक यदि छात्र की रूचि उच्चशिक्षा प्राप्त करने की है तो छात्रों को माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने को प्रेरित किया जाता है।

(11) **भाशायी कौशल का विकास** – रूस में माध्यमिक स्तर पर छात्रों को भाशायी कौशल के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण ज्ञान कराया जाता है। रूसी भाशा के अलावा विदेशी भाशा का ज्ञान कराया जाता है।

(12) **सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण** – रूस की माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रूसी संस्कृति के प्रति संरक्षण एवं रूचि की भावना उत्पन्न करना है। क्योंकि प्रत्येक राश्ट्र अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण चाहता है। रूस की सभ्यता में साम्यवादी दर्शन की भावना स्पश्ट रूप से मिलती है। अब उसकी संस्कृति एवं परम्पराओं में प्रजातान्त्रिक दृश्टिकोण प्रतिबिम्बित होता है।

## जापान की माध्यमिक शिक्षा

जापान में माध्यमिक शिक्षा के नाम से विकास अधिक हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जापान ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। अनेक प्रकार के युद्ध एवं विशम परिस्थितियों का सामना करते हुये भी जापान ने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जापान ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को भी महत्व का स्थान प्रदान किया है। जापान ने शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया है। जापान से माध्यमिक स्तर की शिक्षा के विकासक्रम को निम्नांकित बिन्दुओं से स्पश्ट किया जा सकता है।

(1) **प्रारंभिक स्तर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में**– प्रारंभिक रूप से माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना 701 ई. में तोहियो संहिता के अनुसार की गई। इसके अनुसार प्रान्तीय माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार की

शिक्षा में धार्मिक भावनाओं का पूर्ण वर्चस्व था। इस प्रकार की माध्यमिक शिक्षा में सामन्तवादी एवं जमीदारी वर्चस्व रहा। इस कारण 17वीं शताब्दी तक माध्यमिक शिक्षा एक वर्ग विशेश के लिये ही उपलब्ध थी। इस काल में शिक्षा सामान्य वर्ग के लिये उपलब्ध नहीं थी। इन विद्यालयों में 6 वर्श से 15 वर्श आयु तक के बालक शिक्षा ग्रहण करते थे।

NOTES

(2) **मध्य स्तर** – द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की माध्यमिक शिक्षा में कई सुधार हुये। माध्यमिक शिक्षा वहां की स्थानीय संस्थाओं ने सुझाव रखे परन्तु जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। सन 1940 में संविधान की धारा 13, 14, 19, 20 एवं 23 में शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक शिक्षा जापान की अर्थव्यवस्था सामाजिक अवस्था एवं राजनैतिक अवस्था के अनुरूप होना चाहिये।

(3) **आधुनिक स्तर** – वर्तमान समय में जापान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप विकसित हुआ। अनेक प्रकार के सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पूर्णतः सभी जापानी नागरिकों का प्रदान किया गया। जापान में माध्यमिक स्तर पर पूर्णकालिक विद्यालय एवं अंशकालीन विद्यालय की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त होती है। जो किसी व्यवस्था मे कार्यरत है। अंशकालीन विद्यालयों में सेवारत श्रमिकों को शिक्षा की व्यवस्था थी।

## जापान में माध्यमिक शिक्षा की विशेशतायें

जापान में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रयोगात्मक पक्ष एवं सैद्धांतिक पक्ष दोनों को समाहित किया गया है। छात्रों के चतुर्मुखी विकास के लिये यह आवश्यक है कि छात्रों को उनकी रूचि अनुसारा शिक्षा प्रदान की जावे। जापान की माध्यमिक शिक्षा में निम्नांकित विशेशतायें है –

(1) **समानता पर आधारित** – जापान में माध्यमिक शिक्षा समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी छात्र के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार

पर भेदभाव नहीं किया जाता। सभी के लिये शिक्षा उपलब्ध कराने शिक्षा को अनिवार्य एवं सार्वभौमिक रूप प्रदान किया गया है।

NOTES

(2) **धार्मिक साहित्य का समावेश** – जापान की माध्यमिक शिक्षा में धार्मिक साहित्य का समावेश किया गया है। जिससे छात्रों को धार्मिक व्यापकता एक महानता का ज्ञान कराया जा सके। धार्मिक विचारों से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है तथा संसार का वातावरण सन्तुलित बनता है।

(3) **जन आवश्यकताओं को महत्व** – जापान की माध्यमिक शिक्षा में सामान्य रूप से मानवीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। जापान के परिवेश एवं भौगोलिक स्थिति के कारण माध्यमिक स्तर पर सभी छात्र/छात्राओं को गृह कलाओं का ज्ञान दिया जाता है।

(4) **सहशिक्षा का अभाव** – जापान के माध्यमिक स्तर पर सहशिक्षा का प्रावधान नहीं है। जापान की सभ्यता एवं संस्कृति में सहशिक्षा को अनुचित माना जाता है। इस आधार पर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर छात्र/छात्राओं के पृथक विद्यालय पाये जाते है।

(5) **छात्राओं के लिये पृथक पाठ्यक्रम** – जापान में छात्राओं की शिक्षा के लिये पृथक पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। छात्राओं के पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से सहशाला बालकल्याण एवं सज्जाकला को शामिल किया गया है।

(6) **विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था** – माध्यमिक स्तर पर जापान में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम प्रचलित है। जो छात्रों की विभिन्न रूचि एवं समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप निर्मित किये गये है।

(7) **विद्यालयों के विभिन्न स्वरूप** – जापान में माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विद्यालयों का प्रावधान है। अंशकालीन विद्यालय पूर्ण कालीन विद्यालय तथा व्यवसायिक विद्यालय इस स्तर पर पाये जाते है।

(8) **शिक्षा में निजी क्षेत्र** – जापान में माध्यमिक स्तर पर निजी क्षेत्र का प्रवेश सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण है। प्रत्येक छात्र को शासकीय एवं व्यक्तिगत

विद्यालयों के परिणामों को देखते हुये इनका कार्य शिक्षण गुणवत्ता अधिक श्रेश्ठ पाये गये।

**(9) माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता** – जापान में माध्यमिक शिक्षा को सभी के लिये अनिवार्य बनाने के लिये सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रयास किये गये है। जापान की सरकार एवं समाजशास्त्र इस तथ्य को स्वीकार करते है कि जापान के चहुंमुखी विकास के लिये माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिक होना अनिवार्य है।

NOTES

**(10) व्यवसायिक शिक्षा का समावेश** – कार्यरत व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का आशय उनको उनके व्यवसाय में कुशल बनाना होता है। जिस व्यवसाय को व्यक्ति कर रहा है। इस प्रकार व्यवसायिक कुशलता प्रदान करना व्यवसायिक शिक्षा का उद्देश्य है।

**(11) सांस्कृतिक एवं सामाजिक साहित्य का समावेश** – माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में जापानी संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सामान्य घर का निर्माण एवं उसको सजाने की क्रिया को एक पृथक विशय के रूप में मायता दी गई है।

**(12) सहगामी क्रियाओं का समावेश** – सहगामी क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण करने का कार्य किया जाता है। जिससे छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की प्राप्ति होती है।

**(13) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा** – जापान में माध्यमिक स्तर पर छात्रों को स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य सूचना से प्रदान करने के लिये शारीरिक रूप से बलिश्ठ बनाने के लिये पाठ्यक्रम स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को पृथक विशय के रूप में मान्यता दी गई है।

## जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा

## Secondary Education in Germany

अन्य यूरोपीय राश्ट्रों की भाँति जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा का विकास क्रमबद्ध रूप में हुआ है। जर्मनी में विश्व युद्ध की भयंकरता, देश का विभाजन तथा वर्तमान में एकीकरण

की स्थिति को देखा है। जर्मनी में दार्शनिकाता, आध्यात्मिकता संगीत के प्रति प्रेम एवं कला के प्रति रूचि स्पश्ट रूप से दृश्टिगोचर होती है।

NOTES

**प्रारम्भिक स्तर (Primary Stage)** – जर्मनी में प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भिक समय में चर्चा के अधीन थी। चर्च के विद्यालयों द्वारा ही शिक्षा का सूत्रपात किया गया था। चर्च के माध्यम से पादरियों द्वारा शिक्षा का कार्य सम्पन्न किया जाता था। धीरे–धीरे परिवर्तन का क्रम प्रारम्भ हुआ तथा जर्मनी में चर्च की विद्यालय प्रणाली को समाप्त करते हुए राश्ट्रीय विद्यालय प्रणाली को सन 1713 में प्रारम्भ कर दिया। सन 1713 से 1740 के मध्य में नवीन माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी। इस काल में यह निश्चित किया गया प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाय। इस व्यवसाय को आकर्शक बनाने के लिये अध्यापकों को विशेश सुविधाएँ प्रदापन की गयी, जिससे कि योग्य व्यक्ति इस ओर आकर्शित हो सकें। सम्पूर्ण राश्ट्र के लिये एक शिक्षा आचार संहिता का निर्माण किया गया। अतः प्रारम्भिक स्तर पर ही जर्मनी की प्राथमिक शिक्षा ने एक नवीन दिशा प्राप्त कर ली थी।

## जर्मनी में माध्यमिक शिक्षा की विशेशताएँ

## Characteristics of Secondary Education in Germany

जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा में आधुनिकीकरण एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का मिश्रण दृश्टिगोचर होता है। जर्मनी में राश्ट्रवाद एवं राश्ट्र के प्रति प्रेम की भावना छात्रों में विकसित की जाती है।

**(1) धार्मिक साहित्य का समावेश (Inclusion of Religious Literature)** – जर्मनी में माध्यमिक स्तर पर धार्मिक साहित्य का समावेश किया गया। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों को धर्म की उचित एवं श्रेश्ठ अर्थ से परिचित कराया जाता है। जर्मन विशेशज्ञों का मानना है कि धार्मिक शिक्षा मानवता एवं नैतिकता के गुणों का विकास करती है, जो कि मानव सभ्यता के विकास के लिये परमावश्यक है।

**(2) परम्परागत भाशा साहित्य (Traditional Language Literature)** – जर्मनी में परम्परागत भाशा साहित्य को माध्यमिक विद्यालयों में उचित स्थान प्रदान किया गया है। प्रथम प्रकार के विद्यालयों में ग्रीक एवं लैटिन भाशा का ज्ञान प्रदान करना इस

तथ्य को प्रमाणित करता है। आधुनिक भाशाओं के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की दृश्टि से छात्रों से छात्रों को अंग्रेजी भाशा का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर परम्परागत एवं आधुनिक भाशाओं के ज्ञान से सम्पन्न बनाया जाता है।

NOTES

**(3) बालिकाओं का पृथक शिक्षा (Separate Education of Girls)** – माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का पृथक शिक्षा पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। छात्राओं को अन्य सामान्य विशयों के साथ–साथ गृह विज्ञान एवं गृह कलाओं से युक्त साहित्य का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना होता है। इससे छात्राओं में घर परिवार के संचालन संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। योग्य महिला ही अपने परिवार एवं बालकों का उचित पालन पोशण कर सकती है यह अवधारणा जर्मन के शिक्षाशास्त्रियों के मनोमस्तिश्क में है।

**(4) उचित पाठ्यक्रम (Proper Curriculum)** – जर्मन में माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में उन सभी विशयों को स्थान प्रदान किया गया है, जो राश्ट्रीय स्तर एवं अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर छात्र को योग्य एवं सक्षम बनाती है। संस्कृत, पर्यावरण एवं अंग्रेजी भाशा का ज्ञान छात्रों को अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को समझने एवं समाधान करने की योग्यता का विकास करता है। विज्ञान, गणित एवं सामाजिक अध्ययन संबंधी साहित्य को पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान करके छात्रों का जीवनोपयोगी क्षेत्रों में विकास किया जाता है। अतः माध्यमिक स्तर का पाठ्य प्रत्येक दृश्टि से उपयोगी है।

**(5) सरकारी नियन्त्रण (Government Control)** – जर्मनी में माध्यमिक शिक्षा पर पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण पाया जाता है। सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिये शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम को राश्ट्रीय एवं अन्तराश्ट्रीय परिदृश्य की दृश्टि से महत्वपूर्ण बनाने के लिये शिक्षा मन्त्रालय द्वारा शिक्षा विशेशज्ञों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। तथा पाठ्यक्रम को पूर्णतः अनुशासनात्मक रूप में क्रियान्वित किया जाता है।

**(6) शारीरिक शिक्षा का समावेश (Inclusion of Physical Education)** – माध्यमिक स्तर पर जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में सैनिक दृश्टि एवं राश्ट्रीय सुरक्षा की दृश्टि से

महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिये जर्मनी के प्रत्येक प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से क्रियान्वित होता है। मानसिक विकास का शारीरिक विकास से सह संबंध होने के कारण भी जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को महत्व प्रदान किया जाता है।

NOTES

**(7) उचित शिक्षा प्रणाली (Proper Examination System)** – जर्मनी में माध्यमिक स्तर पर लिखित एवं मौखिक परीक्षा प्रणाली का प्रचलन है। परीक्षा के माध्यम से छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक परीक्षा में छात्रों की विचार अभिव्यक्ति की क्षमता एवं प्रदर्शन शैली का परीक्षण किया जाता है। लिखित परीक्षा में छात्रों की लेखन क्षमता एवं विचारों को लिपिबद्ध करने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार जर्मनी की परीक्षा प्रणाली पूर्णतः श्रेश्ठ एवं उचित है।

**(8) खेलकूद (Soprts)** – जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा में खेलकूद को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग माना जाता है। खेलकूद का संबंध शारीरिक विकास से होने के कारण इसका महत्व अधिक हो जाता है। इस प्रकार खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा से देश के लिये स्वस्थ नागरिक एवं कुशल सैनिक तैयार किये जा सकते है। इस प्रकार खेलकूद जर्मनी की शिक्षा का विशेश अंग माना जाता है।

**(9) पाठ्यक्रम की समीक्षा (Review of Curriculum)** – जर्मन की माध्यमिक शिक्षा में प्रतिवर्श पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाती है। निर्धारित उद्देश्यों एवं प्राप्त उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति में असफलता होती है तो समस्याओं का समाधान करते हुए पाठ्यक्रम में नवीन एवं उपयोगी तथ्यों का समावेश किया जाता है। अनुपयोगी तथ्यों को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है।

## जर्मनी में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य
## Aims of Secondary Education

संयुक्त जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों पर विचार किया जाय तो एक विशेश और अद्भुत चित्र दृश्टिगोचर होता है, जिसमें साम्यवादी उद्देश्य, प्रजातान्त्रिक

उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य, नैतिकता सम्बन्धी उद्देश्य एवं धार्मिक व्यापकता सम्बन्धी उद्देश्यों को समन्वयन मिलता है।

NOTES

**(1) धर्म की व्यपकता का ज्ञान (Knowledge of Religious of Broadness)** – माध्यमिक स्तर पर छात्रों को धर्म की व्यापकता एवं उसके महत्व का ज्ञान कराना, जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। धर्म का संबंध सर्व धर्म समभाव, मानवता एवं नैतिकता से होता है। धर्म लोक कल्याण एवं मानव कल्याण की भावना से ओत–प्रोत होता है। इसमें संकीर्णता की भावना का परित्याग करते हुए व्यापकता की भावना का समावेश होता है। इस प्रकार धर्म की उचित परिभाशा एवं व्याख्या का ज्ञान छात्रों का ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाता है।

**(2) परम्परागत भाशाओं का ज्ञान (Knowledge of Traditional Language)** – जर्मनी में ग्रीक एवं लैटिन भाशाओं को परम्परागत भाशाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन भाशाओं के महत्व को जर्मनी में आधुनिक भाशाओं के समकक्ष रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रथम प्रकार के विद्यालयों एवं तृतीय प्रकार के विद्यालयों में परम्परागत भाशाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से छात्रों को करना पड़ता है। इन जर्मनी की शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को परम्परागत भाशाओं के ज्ञान में प्रवीन करना है।

**(3) सामाजिक गुणों का विकास (Development of Social Merits)** – छात्रों में सामाजिक गुणों के विकास हेतु विद्यालयों में उन क्रियाओं का सम्पादन किया जाता है, जो छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करती है। छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना इस उद्देश्य की पूर्ति प्रमुख रूप से करता है। शैक्षिक भ्रमण पर जाने से छात्रों में समूह के साथ कार्य करने की भावना का विकास होता है तथा उस क्षेत्र विशेश की सामाजिक व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है।

**(4) नैतिक मूल्यों का विकास (Development of Morality)** – माध्यमिक स्तर के छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु सर्व धर्म समभाव, समानता, परोपकार एवं प्रेम सहयोग जैसे नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। छात्रों को धर्म एवं समाज को नैतिकता के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाता है जिससे एक नैतिक समाज की स्थापना

को प्रश्रय मिलता है तथा नैतिक मूल्यों का छात्रों में विकास होता है। इस प्रकार नैतिक मूल्यों के विकास में जर्मनी की शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

NOTES

**(5) शारीरिक विकास (Physical Development)** – जर्मनी में माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा को प्रमुख स्थान प्रदान करते हुए छात्रों को स्वस्थ नागरिक के रूप में विकसित किया जाना जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। जर्मनी के प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को शारीरिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है। शारीरिक शिक्षा की तुलना में अन्य विशयों को गौण स्थान प्रदान किया जाता है। अतः शारीरिक शिक्षा का विकास जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।

**(6) सर्वांगीण विकास का उद्देश्य (Aims of Allround Development)** – छात्रों में सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के सम्पूर्ण साहित्य का सृजन एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। छात्रों के विकास का मूल्यांकन करके पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। छात्रों के विकास का मूल्यांकन करके पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किये जाते है। इस प्रकार छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।

उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि जर्मनी में माध्यमिक स्तर पर उन सभी उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है जो कि छात्रों में सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते है। उद्देश्यों के निर्धारण करते समय छात्रों के प्रत्येक पक्ष को विकसित करने का प्रयास किया गया है, जो कि छात्रों के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। इस प्रकार जर्मनी की माध्यमिक शिक्षा उद्देश्यनिश्ठ शिक्षा है।

## भारत में माध्यमिक शिक्षा

कक्षा 1 से कक्षा 12 तक चलने वाली माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति पर होता है तथा उच्चशिक्षा से पूर्व यह समाप्त हो जाती है। शिक्षा आयोग 1964, 1966 में माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया था यह दो भाग निम्न माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा हैं।

## माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान स्वरूप

हमारे देश में विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप विभिन्न प्रकार का है माध्यमिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं के नाम भी भिन्न–भिन्न हैं मध्यप्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब राज्य में उच्चतर माध्यमिक पद्धति कक्षा 9, 10, 11 प्रचलित है। एक वर्श प्री इनवरसिटी के नाम से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। केरल और तामिलनाडु में माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 के बाद पूरी होती है। कक्षा 11, 12 जूनियर कॉलेज के रूप में पूरे होते है। हरियाणा में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी एक साथ चलते है। इस विभिन्नता में एक रूपता लाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग ने एक रूपता लाने के लिये सुझाव प्रस्तुत किये है।

NOTES

## माध्यमिक शिक्षा की समस्यायें

1. वांछित उद्देश्यों के अभाव की समस्या
2. व्यक्तिगत विद्यालयों मे अवांछनीय वृद्धि की समस्या
3. अनू उयुक्त पाठ्यक्रम की समस्या।
4. दोशपूर्ण शिक्षा पद्धति की समस्या।
5. दोशपूर्ण परीक्षा प्रणाली की समस्या।
6. सामूदायिक जीवन के अभाव की समस्या।
7. अनूशासनहीनता की समस्या।

## माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान

1. वांछित उद्देश्यों का निर्धारण
2. व्यक्तिगत विद्यालयों की समाप्ति।
3. रोचक एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था।
4. परीक्षा प्रणालियों में परीवर्तन।
5. माध्यमिक विद्यालय की एक रूपता।

# Unit 4.3

NOTES

## Higher Education in United State of Amarica great Briten Rusia, France and India

### संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्चशिक्षा

वर्तमान में अमेरिका निश्चय ही विश्व का अग्रणी राश्ट्र है। इसका मुख्य कारण वहां की उच्चशिक्षा ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम विश्वविद्यालय सन 1660 में बोस्टन राज्य में खुला था। तब स`अब 1994 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी संख्या 200 हो चुकी है। इन 200 विश्वविद्यालय के द्वारा लगभग 3500 महाविद्यालय संचालित हो रहे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तिगत तथा राजकीय दो प्रकार के विश्वविद्यालय प्रचलन में है। व्यक्तिगत विश्वविद्यालय रूढ़िवादी होते है तथा इनमें प्रायः किसी भी विशय पर विशेश योग्यता या विशिश्टीकरण पर ध्यान दिया जाता है। इनमें अनुसंधान कार्य को विशेश महत्व दिया जाता है। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों में अनेक संकाय होते है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में निजी विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त राजकीय विश्व विद्यालय भी है। यह विश्वविद्यालय मिनिसोटा मिशिगन तथा केलिफोर्निया इत्यादि मुख्य है।

(1) **शिक्षा का स्तर** – सामान्य रूप से उच्चशिक्षा का संबंध विश्व विद्यालयीन शिक्षा से होता है जो कि सामान्य शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात आरंभ होती है। उच्चशिक्षा में उपाधियों से संबंधित शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। जैसे स्नातक, परास्नातक आदि।

(2) **प्रारंभिक स्तर** – संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्चशिक्षा का स्वरूप यूरोपियन शिक्षा के समान था। उच्चशिक्षा का स्वरूप अनुसंधान कार्यो एवं विशिश्ट क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। उच्चशिक्षा में विशिश्ट प्रवृतियों को ही स्थान प्राप्त था। उच्चशिक्षा सामान्य वर्ग के लिये उपलब्ध न होकर विशिश्ट वर्ग के मेधावी छात्रों के लिये उपलब्ध थी। सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये उच्चशिक्षा के द्वार खुले हुये नहीं थे।

(3) **मध्य स्तर** – सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन प्रकृति की देन है। कोई भी व्यवस्था एक लम्बे समय तक समान में अपना वर्चस्व स्थापित करने में असमर्थ रहती है। इसी क्रम में अमेरिका जीवन दर्शन एवं सामाजिक

व्यवस्था में परिवर्तन हुआ अमेरिकी जनता ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उच्चशिक्षा को सार्वजनिक एवं सर्वसुलभ होना चाहिये। उच्चशिक्षा में रूचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये इसके द्वारा खुले होना चाहिये। इस क्रम में 1949 में मैसायुसेटर न्यायार्क एवं न्यूजसी में उच्चशिक्षा हेतु नियमों का निर्धारण किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक छात्र को उच्चशिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किया गया।

NOTES

**(4) वर्तमान स्तर** – शनैः शनैः परिवर्तन के फलस्वरूप वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्चशिक्षा सभी छात्रों को सुलभ हो गई। प्रत्येक छात्र जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है प्राप्त कर सकता है। सन् 1994 में विश्वविद्यालयों की संख्या 200 से 37 पर तथा उच्चशिक्षा महाविद्यालयों की संख्या 1700 से ऊपर थी।

**उच्चशिक्षा का महत्व** – संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा का महत्व निम्नांकित से स्पश्ट है –

**(1)** इसके शोधकार्यो को महत्व दिया गया।

**(2)** व्यावसायिक शिक्षा का विकास हुआ।

**(3)** उच्चशिक्षा व्यापक स्वरूप में थी।

**(4)** उच्चशिक्षा सामान्य वर्ग को भी सुलभ हुई।

**(5)** व्यक्तिगत सेना को भी उच्चशिक्षा में योगदान मिला।

**(6)** शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक था।

**(7)** पाठ्यक्रम में सैधांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्ष समन्वित थे।

**(8)** व्यक्तिगत एवं सरकारी दोनो स्वरूप के विश्वविद्यालय थे।

**(9)** सहशिक्षा प्रणाली मान्य व प्रचलित थी छात्रावास विशय चयन स्वतंत्रता छात्रवृत्ति उचित शिक्षा प्रणाली आदि से पूर्व थी।

NOTES

## रूस की उच्चशिक्षा की विशेशतायें

रूस में उच्चशिक्षा का प्रारम्भिक स्वरूप साम्यवादी दर्शन से प्रेरित था परन्तु वर्तमान स्वरूप में साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो चुका है। इसका प्रभाव रूस की उच्चशिक्षा पर भी पड़ा है। रूस की उच्चशिक्षा की विशेशतायें निम्न प्रकार है –

**(1)** रूस की उच्चशिक्षा में साम्यवादी दर्शन का अभाव है यह साम्यवादी दर्शन से पृथक है।

**(2)** रूस की उच्चशिक्षा में लोकतन्त्रीय व्यवस्था का विकास हुआ है।

**(3)** रूस की उच्चशिक्षा में विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण दृश्टिगोचर होता है।

**(4)** उच्चशिक्षा की विशेशता समानत के अवसर है।

**(5)** रूस की उच्चशिक्षा में व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान है।

**(6)** उच्चशिक्षा में शोध कार्यो को प्राथमिकता दी जाती है।

**(7)** उच्चशिक्षा का दृश्टिकोण भौतिकवादी है।

**(8)** उच्चशिक्षा में समाजोपयोगी दृश्टिकोण उपस्थित है।

**(9)** रूस की उच्चशिक्षा में वैज्ञानिक दृश्टिकोण का विकास हुआ है।

**(10)** उच्चशिक्षा राश्ट्र कल्याण की भावना से पूर्ण है।

**(11)** छात्रवृत्ति की व्यवस्था है।

**(12)** पूर्ण व्यवसाय के चयन की सुविधा के साथ–साथ पत्राचार शिक्षा भी है।

## उद्देश्य

**(1)** उच्चशिक्षा में नागरिकता का विकास छिपा है।

**(2)** इससे अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान हुआ है।

**(3)** मानवीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य है।

**(4)** सामाजिक मूल्यों के विकास के प्रति अनवरत प्रयास।

**(5)** अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना के विकास का दृश्टिकोण है।

**(6)** नैतिक मूल्यों में विकास का उद्देश्य है।

**(7)** लोकतन्त्रात्मक मूल्यों के विकास के साथ–साथ स्वतंत्रता की भावना विकसित होने का उद्देश्य है।

NOTES

**(8)** राश्ट्रहित का उद्देश्य प्रमुख है साथ ही साथ विश्वकल्याण का भी उद्देश्य समाहित है।

**(9)** शोधकर्यो की प्रेरणा के उद्देश्य के साथ–साथ वैज्ञानिक दृश्टिकोण भी विकसित होना चहिये।

## ग्रेट ब्रिटेन में उच्चशिक्षा

सर्वप्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय के स्वरूप का मूल विकास ग्रेट ब्रिटेन से आरंभ हुआ ग्रेट ब्रिटेन में 20वीं शताब्दी के मध्य तक कुल 16 विश्वविद्यालयों थे। इसके उपरान्त निरन्तर इनकी संख्या में वृद्धि होती रही सन 1994 तक इनकी कुल संख्या 48 थी। ग्रेट ब्रिटेन में केम्बिन एवं आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है।

## उच्चशिक्षा का स्तर

**(1)** **प्रारंभिक स्तर** – ग्रेट ब्रिटेन की उच्च शिक्षा में इंलेण्ड वेल्स स्काटलैण्ड तथा आपरलैण्ड की उच्चशिक्षा को शामिल किया गया प्रारंभिक काल में ग्रेट ब्रिटेन में भी उच्चशिक्षा पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं थी। उच्चशिक्षा प्राप्त करना एक दुश्कर कार्य समझा जाता था क्योंकि उच्चशिखा प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की संख्या बहुत कम थी।

**(2)** **मध्य स्तर** – ग्रेट ब्रिटेन में उच्चशिक्षा का विकास मध्य स्तर पर तेज हुआ। इस काल में जनसामान्य में उच्चशिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई तथा छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके उच्चशिक्षा को सामन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिये सरल बनाया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में आक्सफोर्ड एवं क्रेम्बिन नाम दो विश्वविद्यालय थे। सन् 1936 में लन्दन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

NOTES

(3) **आधुनिक स्तर** – उच्चशिक्षा का वर्तमान काल बहुत ही महत्वपूण्र है। इसे पूर्ण विकसित काल माना जाता है। आज अनेक राश्ट्रों से आये छात्रों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त करना गौरव का कार्य माना जाता है। बीसवी सदी के अन्त तक ग्रेट ब्रिटेन में इग्लैण्ड के अन्तर्गत 16 विश्वविद्यालय स्काटलैण्ड में विश्वविद्यालय वेल्स में 6 सम्बद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी।

## विश्वविद्यालयों का स्वरूप

ग्रेट ब्रिटेन की कार्य प्रणाली एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप विश्वविद्यालयों के चार स्वरूप दृश्टिगत होते है।

(1) प्रथम वर्ग आक्सफोर्ड एवं क्रेम्बिज विश्वविद्यालय को रखा जाता है जो कि परम्परागत विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाते है।

(2) बेल्स, आपरलैण्ड तथा स्काटलैण्ड के 4 वि.वि. का केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है।

(3) तृतीय प्रकार के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत लन्दन के विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया गया है।

(4) इग्लैण्ड मानचेस्टर वरमिधम एवं अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालयों को चतुर्थ श्रेणी में रखा जाता है।

## उच्चशिक्षा की विशेशताये

ग्रेट ब्रिटेन की उच्चशिक्षा की विशेशतायें निम्न प्रकार है –

(1) विश्वविद्यालयों में स्वायत्ता है।

(2) उद्देश्यपूर्ण शिक्षा दी जाती है।

(3) विश्वविद्यालयों को शासकीय सहायता प्राप्त है।

(4) छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था है।

(5) सामाजिक गतिविधियों का समावेश है।

**(6)** सांस्कृतिक गति विधियों का भी समावेश उच्चशिक्षा में किया गया है। साथ ही सामूहिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

**(7)** सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान शामिल है।

**(8)** शोधकार्यो को प्रमुख स्थान दिया गया है।

**(9)** व्यवसायिक शिक्षा को महत्व दिया जाता है।

**(10)** छात्रों को विशयों के चयन की स्वतंत्रता है।

**(11)** व्याख्यान विधि का समावेश किया गया है।

**(12)** अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना को शामिल किया गया है।

NOTES

**उद्देश्य** – उच्चशिक्षा के उद्देश्यों में –

**(1)** विशय का गूढ़ज्ञान।

**(2)** शोधकार्यो का विकास।

**(3)** सांस्कृतिक विकास।

**(4)** संस्कृति का संरक्षण।

**(5)** **सामाजिक गुणों का विकास**– सामाजिक गुणों का विकास शामिल है। समायोजन की समता का विकास मानवीय गुणों का विकास अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना का विकास शारीरिक व सर्वांगीण विकास तथा अनुशासन की भावना का विकास है।

## ग्रेट ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों का प्रशासन

ग्रेट ब्रिटेन में विश्वविद्यालय प्रशासन में व्यक्तिगत नियम एवं व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्वविद्यालय एक स्वायुक्त साशी संस्था है। जो अपने प्रशासन संबंधी समस्त कार्यो को सम्पन्न करती है। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासन के लिये मुख्य रूप से दो कार्य करती है। जो सीनेट हाउस एवं प्रशासन परिशद के नाम से जानी जाती है।

**(1)** **सीनेट हाउस** – यह विश्वविद्यालय के प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। सीनेट का प्रमुख कार्य शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना का निर्माण करना शैक्षिक कार्यक्रमों का समय पर निश्चित करना एवं शैक्षिक व्यवस्था संबंधी समस्याओं के

समाधान के लिये प्रशासन परिशद को सलाह देना आदि है। इसके सदस्य सामन्य रूप से विश्वविद्यालय में से कार्यो के प्रमुख एवं वरिश्ठ प्राध्यापक होते है।

NOTES

(2) **प्रशासन परिशद** – प्रशासन परिशद का गठन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि इस परिशद का सदस्य सीनेट सभा का सदस्य नहीं होना चाहिये। विश्व विद्यालय प्रशासन में यह परिशद पूर्णतः मुक्त होती है। यह परिशद सीनेट हाऊस के प्रस्तावों को मानने के लिये बाध्य नहीं होती राज्य सरकार द्वारा भी प्रशासन परिशद के कार्यो में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। सरकार से हस्तक्षेप की याचना करने पर राज्य सरकार आयोग का गठन कर ऐसी याचना पर सुनवाई करती है।

## फ्रांस में उच्चशिक्षा

फ्रांस में उच्चशिक्षा के विकास की परम्परा अन्य राश्ट्रों की तरह रही है। फ्रांस में उच्चशिक्षा का विकास भी प्राथमिक मध्य एवं वर्तमान स्तर के क्रमिक रूप में हुआ है। उच्चशिक्षा के क्षेत्र में फ्रांस की स्थिति विश्व के प्रमुख देशों में अंग्रणी के रूप में की जाती है। फ्रांस के अन्तर्गत उच्चशिक्षा के माध्यम से नागरिकों के चतुर्मुमुखी विकास का उद्देश्य पूर्ण किया जाता है।

## विशेशताये

(1) फ्रांस में उच्चशिक्षा स्तर पर पुरूश एवं महिलाओं के लिये समान रूप से शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।

(2) उच्चशिक्षा में व्यापक ज्ञान का सौपान है।

(3) फ्रांस में उच्चशिक्षा पर प्रवेश के नियम एवं अध्ययन व्यवस्था को इस प्रकार संगठित किया गया है कि फ्रांस का प्रत्येक नागरिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है।

(4) उच्चशिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा का समावेश है।

(5) शोधकार्यो का समावेश किया गया है।

(6) विश्वविद्यालय स्तर पर उच्चशिक्षा में विभिन्न विभागों को पृथक रूप से स्थापित किया गया है।

(7) वैज्ञानिक विभाग को महत्व दिया गया है।

**(8)** फ्रांस की उच्चशिक्षा का पाठ्यक्रम उच्चस्तरीय है। इसमें प्रत्येक विशय को उसकी आवश्यकता के अनुसार महत्व दिया गया है।

**(9)** पुस्तकालयों एवं प्रयोग शालाओं की उपयुक्त व्यवस्था है।

NOTES

## भारत

## उच्चशिक्षा की उन्नति हेतु प्रगति तन्त्र

हमारे देश में शिक्षा का दायित्व राज्य एवं केन्द्र दोनों ही सरकारों का है। विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के स्वरूप पाठ्यक्रम तथा अधिकार क्षेत्रों में विभिन्नतायें पाई जाती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करने के लिये कोई एक तन्त्र होना आवश्यक है। इसके लिये केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर अनेक संस्थाओं की स्थापना की है जिनमें निम्नांकित प्रमुख है –

**(अ)** अन्तर्विश्वविद्यालय परिशद
Inter University board

**(ब)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University grant comission

**(1)** **अन्तर्विश्वविद्यालय परिशद** – अखिल भारतीय स्तर पर इस परिशद की स्थापना मई 1924 में शिमला में उपकुलपतियों के प्रथम सम्मेलन के प्रस्ताव के आधार पर हुई। उस समय भारत के अलावा श्रीलंका एवं वर्मा के विश्वविद्यालय इसके सदस्य थे। यह परिशद भारतीय विश्वविद्यालयों के उपलकुलपतियों का एक संघ है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस परिशद का सदस्य बनना अनिवार्य है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है –

**(1)** सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्चशिक्षा के विचारों से अवगत कराना।

**(2)** विश्वविद्यालयों को अपनी शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु नियम बनाना।

**(3)** समय–समय पर समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को उच्चशिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना।

यह परिशद विश्वविद्यालयों की नीतियों में एम रूपता लाने का प्रयास करती है। उच्चशिक्षा की समस्याओं के संबंध में सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सचेत करती रहती है।

NOTES

**(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापन सन 1953 में हुई और सन 1956 में इसे एक स्वतंत्र संस्था का रूप दिया गया। इसमें अध्यक्ष के अलावा नौ सदस्य होते है। जिनमें तीन विश्वविद्यालयों के कुलपति चार प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री तथा दो केन्द्रीय सरकार के सदस्य होते है।

**उद्देश्य एवम् कार्य** – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्य एवं कार्य निम्न प्रकार है–

**(1)** विभिन्न विश्वविद्यालयों को शिक्षा के स्तर को समान रखने हेतु केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना।

**(2)** नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा पुराने विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण करना।

**(3)** उच्चशिक्षा के विस्तार एवं विकास से संबंधित कार्यो को करना।

**(4)** विश्वविद्यालयों में उनकी परीक्षाओ, पाठ्यक्रमों तथा शोध कार्यो के बारे में सूचना प्राप्त करना।

**(5)** शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने एवं शिक्षा में सुधार हेतु विश्वविद्यालयों को परामर्श देना।

**(6)** विश्वविद्यालयों के लिये उपयोगी सूचनाओं को भारत एवं विदेशों से एकत्र करके विश्वविद्यालयों को भेजना।

**(7)** विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं की जाँच करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में सुझााव देना।

**(8)** शिक्षकों के वेतनमान में सुधार करना।

# उच्चशिक्षा के सुधार हेतु कोठारी आयोग के सुझाव

# Recommendations of Kothari commission to reform of Higher education

NOTES

उच्चशिक्षा के सुधार हेतु कोठारी आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार प्रस्तुत किये है –

**(1)** विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली तथा योग्य छात्रों में ऐसी भावना विकसित की जाये कि अध्ययन के बाद वे शिक्षण कार्य को अपनायें।

**(2)** विश्वविद्यालयों में उन्नत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना में सहायता दी जाये।

**(3)** प्रतिभाशाली और योग्य विद्वानों द्वारा तथा वैज्ञानिकों को अनुसन्धान तथा सेमिनार को संचालित करने के लिये आमन्त्रित किया जावे।

**(4)** उच्चशिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार वरिश्ठ विश्वविद्यालयों का विकास करना है जिनमें अनुसन्धान कार्य किया जा सके तथा सर्वोत्तम संस्थाओं में से जिसकी तुलना की जा सके। विश्वविद्यालया अनुदान आयोग 6 विश्वविद्यालयों को वरिश्ठ विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिये चयन करे, इनमें से एक प्रोद्योगिकी और एक कृशि का होना चाहिये। यह कार्यक्रम हर हालत में 1966–67 में प्रारंभ हो जाना चाहिये। प्रत्येक वरिश्ठ विश्वविद्यालय में उन्नत अध्ययन केन्द्रों के समूह स्थापित किये जाये। शिक्षकों की नियुक्ति राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय आधार पर की जावे। जहाँ आवश्यक हो वहाँ चुने हुये शिक्षकों को विशेश वेतन दर या अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाये ।इन विश्वविद्यालयों का व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहन करें। पूर्व स्नातक स्तर के लिये कुछ छात्रवृत्तियां निश्चित की जावे। विश्वविद्यालयों में उत्तम पुस्तकालयों की व्यवस्था की जावे।

**(5)** कक्षा अध्यापन के बाद विद्यार्थियों को 45 मिनिट का समय अध्ययन के लिये दिया जावे ताकि व्याख्यान की सामग्री का स्मरण कर सके।

**(6)** रटने की प्रवृति समाप्त की जाये औपचारिक कक्षा कार्य तथा प्रयोगशाला कार्य के घण्टों को कम किया जाये।

NOTES

**(7)** सभी शिक्षण विश्वविद्यालयों में बाह्य परीक्षा के स्थान पर आन्तरिक तथा क्रमिक मूल्यांकन की स्थापना की जाये।

**(8)** एक परीक्षक एक वर्श में 500 से अधिक उत्तरपुस्तिकाओं की जांच न करें तथा उत्तर पुस्तिकाओं का पारिश्रमिक व समाप्त कर दिया जाये।

**(9)** पूर्व स्नातक स्तर तक शिक्षा क्षेत्रीय भाशा में तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी में दी जाये।

**(10)** भारतीय भाशाओं के विकास के लिये उच्चस्तर के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाये।

**(11)** आधुनिक एवं शास्त्रीय भाशाओं को विद्यालय स्तर पर वैकल्पिक विशयों के रूप में रखा जाये।

## उच्च (विश्वविद्यालय) शिक्षा की समस्यायें और समाधान

**उद्देश्य विहीनता** :– उच्च शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या उसका उद्देश्य विहीन होना है। विद्यालयों एवम् विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य नहीं होता। ये केवल बी.ए., एम.ए. की उपाधियां प्राप्त करने के चक्कर में रहते है। उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि वे भविश्य में किस नौकरी या व्यवसाय के लिये अध्ययन कर रहे है।

**सामाधान**– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली उद्देश्य विहीनता को तथा दूशित उद्देश्यों को समाप्त करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालयों के वर्तमान उद्देश्यों में परिवर्तन कर नवीन उद्देश्यों को निर्धारित किया जाये। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किये है वे कुछ सीमा तक प्रशंसनीय है किन्तु शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित उद्देश्य अति उत्तम है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्रस्तुत करते हुये न्यूमैन ने लिखा है यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का कोई व्यवहारिक उद्देश्य है तो मैं कह सकता हूँ कि यह समाज के उत्तम नागरिकों को शिक्षित करना है।

**दोशपूर्ण पाठ्यक्रम** – अधिकतर महाविद्यालयों में घिसे–पिटे विशयों का अध्यापन होता है क्योंकि इनके पढ़ाने की व्यवस्था प्रबन्धक सरलता से कर लेते है। अधिकांश छात्रों को

अपनी अभिरूचियों के विशयों को पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। इनसे उनका मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है किन्तु भविश्य में व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर धनोपार्जन संबंधी अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है।

NOTES

**समाधान** – उच्चशिक्षा को दोशपूर्ण पाठ्यक्रम से मुक्त करने के लिये अवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम छात्रों की रूचि एवं परिवर्तनशील समाज की परिस्थितियों और सदस्यों की आवश्यकता के अनुकूल बनाया जावे।

**शिक्षा में विशिश्टीकरण** – उच्चशिक्षा की यह प्रमुख समस्या है। विभिन्न विशयों एवम् विशिश्टीकरण पर बल दिया जाना। शिक्षा में विशिश्टीकरण के दोश पर प्रकाश डालते हुये के.जी. सैयदन ने लिखा है विशिश्टीकरण में एक प्रकार की अकाल्पनिकता होती है जिसका परिणाम यह होता है कि विज्ञान के छात्रों को कला एवं कविता तथा सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान नहीं हो पाता।

**समाधान**– उच्चशिक्षा में पाई जाने वाली विशिश्टीकरण की समस्या हल करने के लिये विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं माध्यमिक विद्यालयों में कला एवं विज्ञान की शिक्षा के साथ–साथ सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये ताकि कला एवं साहित्य के विद्यार्थी विज्ञान के ज्ञान से और विज्ञान के छात्र साहित्य के ज्ञान से अनभिज्ञ न रहे।

**शिक्षा का निम्नस्तर** – महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की शिक्षा के स्तर पर निम्न होना प्रमुख समस्या है। उच्च शिक्षा का स्तर पिछले कई वर्शो से गिरता जा रहा है। इसके सन्दर्भ में डॉ. मुकर्जी ने कहा कि शिक्षा का स्तर एक बार गिर जाने पर फिर उन्नत नहीं हो पाता।

**समाधान**– उच्चशिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाने की आवश्यकता है –

**(1)** सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की नीति समान होना चाहिये।

**(2)** 12 वर्श की शिक्षा पूर्ण करने पर ही डिग्री कोर्स में प्रवेश दिया जाना चाहिये।

**(3)** योग्य व्यक्तियों को शिक्षण के लिये आमंत्रित करने के लिये उन्हें उचित वेतन तथा सभी सुविधाये प्रदान की जाना चाहिये।

**(4)** छात्र संख्या के अनुपात में सुविधाओं का प्रबन्धन किया जाना चाहिये।

**(5)** अध्यापकों को रिटोरियल कक्षाओं की व्यवस्था करना चाहिये।

NOTES

**शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम** – उच्चशिक्षा की पांचवी समस्या शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाशा का अधिपत है जिससे नवयुवकों का अत्यधिक अहित होता है।

**समाधान** – शिक्षा के माध्यम की समस्या हल करने के लिये अंग्रेजी हटाई जाना चाहिये।

**मार्गदर्शन एवं समपुदेशन का अभाव** – उच्चशिक्षा की छटवीं समस्या विद्यार्थियों को उनकी रूचियों बुद्धिस्तर अभिवृतियों के अनुकूल पाठ्यक्रम के चुनाव में सहायता तथा परामर्श प्रदान करने की समस्या है।

**समाधान** – उच्चशिक्षा को उन्नत बनाये रखने के लिये मार्गदर्शन होना जरूरी है।

**दोशपूर्ण परीक्षा प्रणाली** – उच्चशिक्षा की परीक्षा प्रणाली दोशपूर्ण है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने लिखा है भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा दोश शिक्षण परीक्षा के अधीन है न परीक्षा शिक्षण के अनुशासन हीनता उच्चशिक्षा में अनुशासन हीनता ही इसकी कमी है और यही समसरूा है। विद्यार्थीयों के अनुशासन हीन होने से समाज और सरकार दोनों को क्षति होती है।

**समाधान** – कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों में पाई जाने वाली अनुशासन हीनता को समाप्त करने के लिये प्रो. एन. के. सिद्धान्त ने निम्नांकित सुझाव दिये है।

**(1)** प्रत्येक उच्चशिक्षा केन्द्र में अनुशासन हीनता दो प्रकार के आंकड़ो का रखना।

**(2)** अनुशासन हीन छात्रों के सामाजिक पारिवारिक एवं उनके पूर्व जीवन का अध्ययन किया जाना।

**(3)** प्रत्येक अपराध के कारण को जानना।

**(4)** अनुशासन हीनता या अपराधी बालक का शिक्षा विशेशज्ञ द्वारा साक्षात्कार लेना।

# Unit 4.4

## अध्यापक शिक्षा यू.एस.ए.

NOTES

संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यापक शिक्षा का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विकसित रूप वहां के नागरिकों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास का संबंध अध्यापक शिक्षा से रहा है।

## संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यापक शिक्षा की विशेशताएं

संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृश्ठ भूमि एवं विकासक्रम पर दृश्टिपात किया जाये तो उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की विशेशताएं दृश्टिगोचर होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था का अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है।

1. **उचित प्रशिक्षण अवधि**– संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षण प्रशिक्षण की अवधि इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस राश्ट्र में अध्यापक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राज्यों के अध्यापक प्रशिक्षण की अवधि 5 वर्श कर दी गई है।

2. **अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम**– संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यापक शिक्षण के दो प्रकार के पाठ्यक्रम प्रचलित है। एक अध्यापक को कुशल उस अवस्था में माना जाता है। जब वह सामान्य शिक्षा तथा शिक्षण कला दोनों में निपुण हो। इसके लिये अध्यापक शिक्षा में सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम एवं अध्यापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रावधान है। इन दोनों पाठ्यक्रम को छात्रों को पूर्ण करना होता है।

3. **प्रवेश योग्यता का निर्धारण**– संयुक्त राज्य अमेरिका में छात्रों को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश देने के पूर्व उसकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पर ध्यान न देकर उसके संपूर्ण चरित्रगत विश्लेशण पर ध्यान दिया जाता है।

4. नियुक्ति प्रक्रिया– सरकार द्वारा इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई नियुक्ति परीक्षा आयोजित नहीं की जाती अध्यापक प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद अभ्यार्थी अध्यापक सेवा संस्थाओं के लिये आवेदन करता है।

NOTES

## संयुक्त राज्य अेरिका में अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य

संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यापक शिक्षा को प्रभावी एवं उपयोगी बनाने की दृश्टि से अनेक प्रयत्न स्थानीय संस्थाओं द्वारा किये गये है। अध्यापक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है।

1. अध्यापक शिक्षा के माध्यम से देश एवं समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप आदर्श शिक्षकों का निर्माण करना।
2. अध्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों में सामाजिक गुणों का विकास करना।
3. अध्यापकों को देश के लिये प्रभावशाली नागरिक तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
4. छात्र/अध्यापकों में शिक्षा अधिगम सामग्री के प्रयोग एवं निर्माण की योग्यता का विकास करना।
5. छात्र / अध्यापकों में शिक्षण व्यवस्था के प्रति समर्पण की भावना, शिक्षण के कर्तव्य एवं शिक्षक के गुणों का विकास करना।

## रूस में अध्यापक शिक्षा

शिक्षण प्रक्रिया एवं अधिगम प्रक्रिया के प्रमुख अंग के रूप में शिक्षक को स्वीकार किया गया है। शिक्षण सम्पूर्ण शिक्षण व्यवस्था का आधार होता है। सम्पूर्ण शिक्षण व्यवस्था के प्रत्येक अंग को शिक्षण द्वारा प्रभावित किया जाता है। जिस राश्ट्र के शिक्षक आदर्शवादी एवं विकासवादी दृश्टिकोण के होगे उस राश्ट्र की शिक्षा का स्वरूप भी उत्तम होगा। उत्तम शिक्षा के द्वारा राश्ट्र के लिये श्रेश्ठ नागरिकों का निर्माण होगा, जो राश्ट्र को अन्तर्राश्ट्रीय स्तर का सम्मान का पात्र बनायेंगे। रूस में अध्यापक शिक्षा के विकासक्रम को 3 भागों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है।

**प्रारंभिक अवस्था**– रूस में प्रारंभिक काल में विद्यालयी शिक्षा के प्रसार–प्रचार पर ध्यान दिया गया जिसके लिये प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता अनुभव की गई।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये रूस की सरकार के पास पर्याप्त समय नहीं था। इसीलिये शिक्षकों को लघु प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर शिक्षण कार्य में लगा दिया गया। शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के पूर्व उनकी शिक्षण के प्रति रूचि एवं दृश्टिकोण को परीक्षण किया गया तत्पश्चात उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

NOTES

**मध्य अवस्था**– सन् 1936 से 1937 के मध्य अध्यापक सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। जो शिक्षक अप्रशिक्षित रूप में कार्य कर रहे थे उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा जिन्हें लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। उन्हें पनः प्रशिक्षण दिया गया इस प्रकार मध्यकालीन अवस्था में अध्यापक प्रशिक्षण पर रूस

## रूस में अध्यापक शिक्षा के उद्‌देश्य

रूस की अध्यापक शिक्षा के उद्‌देश्य निम्न प्रकार है।

**(1)** रूस की अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्‌देश्य समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करना है। समाज के अनुरूप शिक्षकों का निर्माण करना अध्यापक शिक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व है।

**(2)** रूस की व्यवस्था में संघीय स्वरूप विद्यमान है। इस व्यवस्था का विकास तथा राश्ट्र का विकास रूस में अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्‌देश्य है।

**(3)** रूस की अधपाक शिक्षा औद्योगिक विकास में महत्वपूण्र योगदान प्रदान करती है।

**(4)** रूस की साम्यवादी व्यवस्था के संस्कार रूस की अध्यापक शिक्षा में दृश्टिगत होते है।

**(5)** छात्रों में समानता की भावना का विकास करना रूस की अध्यापक शिक्षा का उद्‌देश्य है।

**(6)** रूस की अध्यापक शिक्षा द्वारा प्रशिक्षणों में श्रेश्ठ नागरिकता के गुणों से सम्पन्न श्किा ही श्रेश्ठ विकास कर पाते है।

**(7)** अध्यापक शिक्षा आर्थिक विकास में योगदान देती है।

गणराज्य द्वारा पूर्णतः ध्यान दिया गया।

NOTES

**आधुनिक अवस्था**– आधुनिक युग में रूस की अध्यापक शिक्षा में अभूतपूर्ण विकास हुआ। अध्यापक शिक्षा का विकास ही सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था के विकास का आधार माना गया। रूस में अनविार्य एवं निशुल्क शिक्षा के लिये यह आवश्यक माना गया कि अध्यापक शिक्षा में व्यापक स्तर पर विकास किया जावे। वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा के विकास का अवलोकन किया जाये तो यह अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक दृश्टि से रूस की अध्यापक शिक्षा का उत्तम स्थान होगा।

## अध्यापक शिक्षा की विशेशताये

रूस में अध्यापक शिक्षा की विशेशतायें निम्न प्रकार है –

**(1)** रूस में अध्यापक शिक्षा के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

**(2)** रूस की अध्यापक शिक्षा में स्तर के अनुकूल प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

**(3)** शिक्षक के प्रशिक्षण के लिये रूस की अध्यापक शिक्षा में सामान्य शिक्षा के स्तर को भी निर्धारित किया गया है।

**(4)** रूस की अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण की अवधि पर्याप्त रखी गई है।

**(5)** प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में गुणवत्ता है।

**(6)** औद्योगिक क्षेत्र में भी कुशल इन्जीनियर एवं कार्मिक तैयार करने के लिये शिक्षकों की आवश्यकता को पूर्ण किया गया है।

**(7)** अध्यापक शिक्षा में व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समन्वय है।

## ग्रेट ब्रिटेन में अध्यापक शिक्षा

अन्य राश्ट्री की भांति ग्रेट ब्रिटेन में भी अध्यापक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रत्येक राश्ट्र के चहुमुखी विकास के लिये यह आवश्यक है कि वहां की अध्यापक शिक्षा पूर्ण रूप विकसित है। ब्रिटेन में अध्यापक शिक्षा का विकास उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही संभव हुआ है। प्रारंभिक काल में विद्यालयों में शिक्षण को किसी विशेश प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन समय में अध्यापक शिक्षा की कोई संगठित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं थी। मध्यकाल में प्रशिक्षण व्यवस्था अध्यापक शिक्षा के एकांकी

प्रशिक्षण को समाज के सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। आधुनिक काल में यह व्यवस्था न टूटे। शिक्षा मंत्रालय की सहायता के लिये एक राश्ट्रीय शिक्षा परामर्शवादी परिशद का गठन किया गया। सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षण में प्रवेश संबंधी योग्यता का निर्धारण करना कि किस स्तर के विद्यार्थियों को अध्यापक प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाये द्वितीय स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता के स्तर का निर्धारण तथा तृतीय स्तर पर देश के विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय की आवश्यकतानुसार व्यस्था।

NOTES

## उद्देश्य

ग्रेट ब्रिटेन में अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार है –

**(1)** देश एवं समाज के लिये आदर्श एवं उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षकों का निर्माण करना।

**(2)** समाज एवं राश्ट्र की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुये अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था करना।

**(3)** अध्यापकों की शिक्षा में उच्च तकनीकि प्रयोग एवं नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना।

**(4)** अध्यापकों की प्रभावी एवं रूचिपूर्ण कार्य करने की योग्यता का विकास करना।

**(5)** छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक शैक्षिक क्रिया कलापों के प्रबंन्धन एवं संगठन की योग्यता विकसित करना।

**(6)** देश एवं समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर महिला एवं पुरूशों को प्रशिक्षण देना।

**(7)** प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षकों में छात्रों की समस्याओं को सकारात्मक रूप से हल करने की योग्यता का विकास करना।

## जर्मनी की अध्यापक शिक्षा

जर्मनी में अध्यापक शिक्षा 19वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी और 20वीं शताब्दी में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जर्मनी ने विश्व नेतृत्व प्रदान किया। जर्मनी मे शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली का ऐसा कार्यक्रम तैयार किया गया जो सम्भवतः विश्व में सर्वाधिक प्रभावशाली था। इस प्रणाली में यह प्रयत्न किया गया कि शिक्षकों के चरित्र तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण में एकरूपता हो। शिक्षकों के कर्तव्यों तथा आज्ञा पालन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।

**अध्यापक शिक्षण की प्रमुख विशेशताएँ–**

NOTES

**(1)** विद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के पश्चात अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाता है तथा प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

**(2)** अभ्यर्थियों को तीन वर्श का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है।

**(3)** विद्यालयीन शिक्षा को पूर्ण स्वायत्ता दी जाती है।

**(4)** प्रशिक्षण में अध्यापक की तैयारी गहनता से कराई जाती है।

**(5)** नॉर्मल स्कूल अध्यापक प्रशिक्षण हेतु स्थापित किये गये है।

**अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य –**

**(1)** छात्र–अध्यापकों में चरित्र का विकास करना।

**(2)** शिक्षण विशयों का गहनता से बोध करना।

**(3)** प्रशिक्षण में स्वयं निर्णय की क्षमताओं का विकास किया जाता है।

**(4)** छात्र–अध्यापकों में भूमिका निर्वाह, प्रतिबद्धता तथा कर्त्तव्यनिश्ठ गुणों का विकास करना।

**(5)** छात्र–अध्यापकों के शिक्षण अभ्यास में शिक्षण कौशलों को महत्व देना।

**(6)** संगीत कला का विकास करना।

**पाठ्यक्रम एवं अध्ययन का विशय –**

जर्मनी के संविधान में समस्य अध्यापकों के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय की शिक्षा तक के लिए अनिवार्य किया है। पाठ्यक्रम का प्रारूप एक समान होता है। पाठ्यक्रम का विभाजन चार खण्डों में किया गया है।

**(1)** वृत्तिक विशय।

**(2)** अध्यापन विधियों तथा अध्यापन सहायक सामग्री।

**(3)** अध्यापन विशयों से सम्बन्धित कौशलों का प्रशिक्षण तथा अभ्यास।

**(4)** वैकल्पिक अध्ययन करना।

1. **शिक्षाशास्त्र (Education)** – इसके अन्तर्गत निम्नांकित बिन्दुओं को शामिल किया जाता है –

**(1)** विद्यालय

**(2)** शिक्षण सिद्धान्त

**(3)** शिक्षा का विकास अथवा इतिहास

**(4)** विद्यालय प्रबंधन

**(5)** शिक्षण विधियां तथा सहायक सामग्री

**(6)** समाजशास्त्र

**(7)** शिक्षण अभ्यास

2. **अन्य विशय (Allied Subject)** – इसके अन्तर्गत निम्नांकित विशयों को शामिल किया जाता है –

**(1)** मनोविज्ञान

**(2)** दर्शन

**(3)** स्थानीय भूगोल

**(4)** धर्म

**(5)** मृजाति विज्ञान

**(6)** जीव एवं वनस्पति विज्ञान

**(7)** शरीर विज्ञान

**(8)** राजनीतिक तथा सामाजिक अर्थशास्त्र।

**3. व्यवहारिक शिक्षण/प्रशिक्षण कला (Pedagory)** – प्रमुख विशय इस प्रकार है –

**1. बोलना 2. संगीत 3. शारीरिक प्रशिक्षण 4. ड्राइंग**

इस पाठ्यक्रम में प्रथम खंड पर 50% समय दिया जाता है। इसमें 30% समय शिक्षा विधियों तथा शिक्षण अभ्यास पर व्यय किया जाता है। द्वितीय खण्ड में 20% समय

NOTES

दिया जाता है। तृतीय खण्ड में 30% का समय व्यय किया जाता है। जिसमें संगीत तथा शारीरिक प्रशिक्षण पर अधिक समय दिया जाता है।

NOTES

इन विशयों के अलावा छात्र अन्य विशयों जैसे – धर्म शिक्षण, जर्मन भाशा, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र, गणित, स्थानीय सांस्कृतिक शारीरिक प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित भाशणों को सुनता है। छात्रों को एक सप्ताह में 30 घण्टे अध्ययन करना होता है।

**छात्र–अध्यापक की परीक्षा**– जर्मनी में प्रथम शिक्षण को दो वर्श के अध्ययन के प्रशिक्षण को पूर्ण करने के पश्चात लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। जिसमें शिक्षा की सामान्य समस्याओं पर प्रश्न पूछे जाते है। इन्हें परीक्षा समिति के सामने मौखिक परीक्षा देनी होती है। परीक्षा में सफल होने पर ही नियुक्ति की जाती है। छात्रों के परीक्षा परिणामों के आधार पर ही शिक्षक की सफलता का आंकलन किया जाता है। द्वितीय शिक्षक परीक्षा पास करने के पश्चात ही उन्हें स्थायी किया जाता है। नवीन परिनियमावली के अनुसार अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है।

**सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण**– द्वितीय अध्यापक परीखा पास करने के पश्चात स्थायी नियुक्ति की जाती है जिससे यह पुनर्बलन का काम करती है। जिससे शिक्षक आगे की शिक्षा में लगातार लगे रहे। इस सतत् शिक्षा में शैक्षिक तथा वृत्तिक विकास को महत्व दिया जाता है। अपने छात्रों के विकास तथा परीक्षा परीक्षाणों की वृद्धि के लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सेमीनार, कार्यशाला तथा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उनमें भाग लेने के पश्चात अपने शिक्षण के दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करना होता है। सेवारत प्रशिक्षण का लाभ तथा शिक्षक व छात्र दोनों को ही होना चाहिए।

**शिक्षको का स्तर**– जर्मनी में शिक्षक की नियुक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती है। शिक्षक सार्वजनिक सेवक होता है। शिक्षक के नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों में कोई कमी नहीं होती है। उन्हे राजनैतिक दलों में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है तथा वे राजनैतिक पद भी ग्रहण कर सकते है। शिक्षक स्थानीय परिशदों तथा संघीय संसद के भी सदस्य होते है। शिक्षकों का वेतनमान संघीय वेतन अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। सम्पूर्ण देश में एक ही वेतनमान होता है।

# भारत में अध्यापक शिक्षा

NOTES

एक व्यक्ति विशेश को सर्वांगीण रूप से विकसित करने के लिये की गई व्यवस्था ही शिक्षण शिक्षा है। शिक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्यों न हो उसमें अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि है। अध्यापक शिक्षा प्रणाली का केन्द्र होता है। तथा समस्त शिक्षा व्यवस्था उसके चारो ओर विचरण करती है। अध्यापक को शिक्षा व्यवस्था का प्राण करना अनुचित नहीं होगा अध्यापको के ऊपर ही राश्ट्र के भावी निर्माताओं को तैयार करने का दायित्व होता है।

**पूर्व शिक्षा मंत्री एम.डी. छागला ने कहा था**– प्रशिक्षण एवं योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा वयवस्था उन्नति नहीं कर सकती है। योग्य अध्यापकों वाला राश्ट्र ही एक उज्जवल भविश्य वाला राश्ट्र होता है।

**अध्यापक प्रशिक्षण (1882 ई. से 1947 ई. तक)**– सन् 1882 ई. के बाद प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की अपेक्षा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अधिक व्यवस्था की गयी। 1882 ई. के भारतीय शिक्षा आयोग एवं 1904 ई. की शिक्षा नीति के आधार पर प्रशिक्षण विद्यालयों की व्यवस्था तथा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया गया और पाठ्यक्रम में सामयिक सुधार लाया गया। अब शिक्षण सिद्धान्त तथा शिक्षण अभ्यास पर जोर दिया जाने लगा।

1913 ई. में शिक्षण प्रशिक्षण का महत्व बढ़ाने के लिए अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अलग करने की नीति अपनायी गयी। परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण का महत्व बहुत बढ़ गया है। विद्यालयों में शिक्षा विशय एक वैकल्पिक विशय के रूप में प्रचलित हुआ। इससे इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर शिक्षा सिद्धांत में पाठ्यक्रम अत्यकिध विकसित हुए।

**आधुनिक (स्वतंत्र भारतीय) अध्यापक–प्रशिक्षण (1947 ई. से 1999 तक)**– भारत के स्वतंत्र होते ही राश्ट्रीय नेताओं का ध्यान देश की शिक्षा पर गया। अब भारत को आदर्श तथा योग्य नागरिकों की आवश्यकता थी। तभी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती थी।

**पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ**– देश में इस समय से पूर्व पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आज नर्सनी स्कूलों, किण्डरगार्टन विद्यालयों मॉण्टेसरी विद्यालयों एवं अन्य संचालित है। परन्तु यह व्यवस्था समस्त राज्यों में समान नहीं

है। इस स्तर पर मैट्रिक हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल तथा उत्तर प्राथमिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

NOTES

**प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण दीक्षा विद्यालय**– महात्मा गाँधी ने वर्धा शिक्षा योजना के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही में 1939 ई. में भारतीय प्राथमिक विद्यालयों में मूल शिक्षा प्रचलित करने का प्रयास किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुनियादी प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करने के प्रयास किये गये।

**माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय**– जूनियर हाईस्कूलों एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं को उपस्नातक योग्यता के शिक्षक पढ़ाते है। अतः माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य में व्यवस्था की गयी है। जिसमें सैद्धांतिक तथा अध्यापक अभ्यास दोनों पर जोर दिया जाता है।

**प्रशिक्षण महाविद्यालय** – राज्यों के शिक्षा विभागों ने राज्यों में प्रचलित बुनियादी तथा गैर बुनियादी शिक्षा व्यवस्था हेतु शिक्षकों एवं निरीक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किये गये।

**विशेशज्ञ प्रशिक्षण केन्द्र** – विद्यालयों में सामन्य विशयों के अलावा विशिश्ट विशय का शिक्षण भी दिया जाता है। ये विशय संगीत, शारीरिक शिक्षा, चित्रकारी, गृह–विज्ञान एवं हस्तकला आदि होते है।

**अनुसन्धान कार्य व्यवस्था**– भारत में बी.एड. बी.टी. आदि स्नातकीय प्रशिक्षण लेने के बाद एम.एड. एवं एम.ए. शिक्षा का पाठ्यक्रम संचालित किया गया। एम.ए. शिक्षा अथा एम.एड. करने के बाद 2 वर्श की अवधि में अनुसन्धान कार्य करने की व्यवस्था की गयी है। एम.ए. एवं सम.एड. की परीक्षाओं का स्तर प्रायः एक समान है।

**अध्यापिका प्रशिक्षण व्यवस्था**– स्त्रियों की अध्यापक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पुरूश शिक्षकों के साथ ही सह शिक्षा के रूप में व्यवस्थित की गयी है। फिर भी कुछ प्रशिक्षण केन्द्र स्त्रियों हेतु स्थापित किये गये है।

# Unit 4.5

## विश्व के प्रमुख देशों में प्रौढ़ शिक्षा

### Adult Education in important cocentries of the world

NOTES

प्रौढ़ शिक्षा का तात्पर्य समग्र शैक्षिक प्रक्रियाओं के संगठित निकाय से है जिसकी विशयवस्तु तथा पद्धति औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक तथा उसके विद्यालयों महाविद्यालयों एवं अप्रेतिस अवधि के प्रारंभिक शिक्ष्ज्ञण कार्य को आगे बढ़ाया जाये या उसे स्थापन्न किया जाये परन्तु जिसके माध्यम अपने समाजों में प्रौढ़ माने जाने वाले लोगो को अपनी योग्यतायें बढ़ाने अपने ज्ञान का बिस्तार करने अपनी प्रौवैधिक योग्यताओं को नवीन आयाम देने सन्तुलित एवं स्वाधीन सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में भाग लेने के इस द्विगुणी सन्दर्भ मे अपने व्यवहार अथवा दृश्टिकोण को परिवर्तित करने में सहायता प्राप्त हो इत्यादि को हम व्यवहारिक रूप से प्रौढ़ शिक्षा सम्मिलित करते है।

उपरोक्तानुसार प्रौढ़ शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पक्ष है–

**(1)** जीवन व्यापी शिक्षण एवं अध्ययन

**(2)** ज्ञानार्जन की सार्वभौम योजना।

**परिभाशाये** – वाकर के अनुसार प्रौढ़शिक्षा वह अंशकालिक शिक्षा है जिसे व्यक्ति अपना कार्य करते हुये प्राप्त करता है। श्रीधर नाथ मुखर्जी – प्रौढ़ शिक्षा में मोटे तौर पर वह सभी औपचारिक शिक्षा सम्मिलित है जो प्रौढ़ो को दी जाती है।

हुमायुं बीर समान शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा) का वास्तविक उद्देश्य निरन्तर लोगों में सुशिक्षित मन का निर्माण करना है।

प्रौढ़ शिक्षा के पक्ष– भारत में प्रौढ़ शिक्षा के दो पक्ष माने जाते है –

**(1)** प्रौढ़ साक्षरता अर्थात व्यस्क व्यक्तियों की शिक्षा।

**(2)** साक्षर प्रौढ़ो के लिये अनवरत अथवा सतत शिक्षा।

**प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य – निम्न प्रकार है –**

**(1)** व्यक्तियों के अवकाश कालीन समय का सदुपयोग प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से हो सकता है।

NOTES

(2) प्रौढ़ शिक्षा में प्रौढ़ व्यक्ति राश्ट्रीय आय में अपनी अहम भूमिका निभाते है।

(3) प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से शहरी विशेशकर ग्रामीण व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि होती है।

(4) विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति प्रौढ़ नागरिकों के ज्ञान में वृद्धि होती है।

(5) वयस्क व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृश्टिकोण एवं सैद्धांतिक अभिवृत्ति का जीवन में प्रगति करना।

(6) वयस्क तथा अवयस्क नागरिकों में परस्पर सहन शीलता की विचारधारा का विकास करना।

(7) वयस्क व्यक्तियों में प्राविधिक ज्ञान की वृद्धि करना।

(8) प्रौढ़ व्यक्तियों में सांसारिक ज्ञान की वृद्धि करना।

(9) प्रौढ़ व्यक्तियों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना।

(10) प्रौढ़ व्यक्तियों का परिवार में सम्मान स्थापित करना अथवा उसमें वृद्धि करना।

(11) प्रौढ़ो को उनके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता करना।

**प्रौढ़ शिक्षा का महत्व** – निश्चय ही व्यस्क अथवा प्रौढ़ शिक्षा व्यापक उद्देश्यों के साथ संचालित की जाती है। प्रौढ़ शिक्षा व्यावसायिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि का सशक्त माध्यम है। इन तत्वों के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। इस विशय में मौलाना अब्दुल कलाम आनाद का कहना है। कि व्यस्क शिक्षा से हमारा तात्पर्य मानव की पूर्ण शिक्षा से है। महत्व के बिन्दु निम्न है –

(1) प्रौढ़ को साक्षरता उनके वैश्विक ज्ञान कोश में वृद्धि करने में सहायक होती है।

(2) प्रौढ़ शिक्षा व्यस्कों को यह समझती है कि वह अपना पर्यावरण से अनुकूल किस प्रकार कर सकते है।

(3) प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य व्यस्क को उत्तम कला कौशल तथा उत्पादन की विभिन्न विधियों की शिक्षा देना है।

(4) प्रौढ़ शिक्षा से व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिये स्वास्थ विज्ञान का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त होता है।

(5) प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में सभ्य नागरिक के गुण उत्पन्न किये जा सकते है।

NOTES

## आस्ट्रेलिया की प्रौढ़ शिक्षा

आस्ट्रेलिया प्रौढ़ अधिगम संघ (Australia Adult Association of Education AAAE) की स्थापना सन 1960 में की गई थी। इससे पूर्व सन 1969 में इस संस्था को आस्ट्रेलिया समुदाय शिक्षा संघ से संयुक्त कर दिया गया था तथा एक व्यापक आस्ट्रेलिया समुदाय एवं प्रौढ़ शिक्षा संघ (AAACE) की स्थापना की गई।

आस्ट्रेलिया प्रौढ़ अधिगम राज्य की उच्च स्तरीय संस्था है। इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। प्रौढ़ अधिगम कार्यक्रम छात्र केन्द्रित होता है। प्रौढ़ प्रशिक्षकों विभिन्न समुदाय के प्रौढ़ों हेतु अधिगम की व्यवस्था की जाती है। इसके अन्तर्गत पुस्तकालयों के अध्यक्ष समुदाय के कार्यकर्ताओं प्रशिक्षकों, स्वयं सेवकों एवं छात्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसका राश्ट्रीय कार्यालय केनवरा में स्थित है।

आस्ट्रेलिया प्रौढ़ शिक्षा को शिक्षा विज्ञान तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके प्रकल्पों हेतु सरकारी अनुदान प्राप्त होता है। इस संस्था ने अपनी 11वीं वर्शगांठ 2005 में मनाई थी।

**आस्ट्रेलिया की प्रौढ़ अधिगम का उद्देश्य–**

(1) प्रौढ़ अधिगम को सतत शिक्षा के रूप में प्रयुक्त करना।

(2) राश्ट्रीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक गुणों का विकास करना।

(3) प्रौढ़ अधिगम को मनोरंजन के रूप में उत्सव मनाना।

(4) प्रौढ़ अधिगम को प्रभावित करने वाली नीतियों को विकसित करना।

**आस्ट्रेलिया की प्रौढ़ अधिगम संस्था के कार्य–**

NOTES

(1) प्रौढ़ अधिगम की उपलब्धियों का उत्सव मनाना तथा उत्तम उपलब्धियों का पारितोशक देकर प्रोत्साहित करना।

(2) प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों में अन्य संस्थाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

(3) आस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्रों में राश्ट्रीय सम्मेलनों का प्रौढ़ अधिगम पर आयोजन करना।

(4) प्रौढ़ अधिगम सप्ताह का आयोजन करना।

(5) अधिगम विधियों तथा नवीन प्रवर्तकों का प्रचार तथा प्रसार करना।

(6) राश्ट्रीय प्रौढ़ अधिगम निर्देशिका की व्यवस्था करना।

## क्यूबा

क्यूबा में सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। योग्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्तियाँ जीविका के अन्य खर्चे तथा मेडीकल सहायता भी प्रदान की जाती है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्श तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य होती है। पाठ्यक्रम में तकनीकी कृशि तथा अध्यापक प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है।

क्यूबा में अल्पसंख्यक निरक्षरों की संख्या कम है। प्रौढ़ पुरूशों तथा स्त्रियों के लिए की गई व्यवस्था सतत शिक्षा या प्रौढ शिक्षा कहलाती है। क्यूबा की सरकार ने सन 1961 में प्राइवेट विद्यालयों का राश्ट्रीकरण कर दिया।

प्रौढ़ शिक्षा को साक्षरता अभियान एवं सतत शिक्षा के रूप में प्रौढ़ पुरूशों एवं स्त्रियों के लिए आयोजन किया गया। प्रौढ़ शिक्षा की प्रमुख विशेशता यह है कि इसे सतत शिक्षा के रूप में आयोजित किया जाता है। जिससे नागरिक राश्ट्र की नवीन नीतियों के प्रति जागरूक रह सके और उनके ज्ञान का विकास हो सके।

स्त्रियों की भांति ही शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जाते है। शिक्षा खर्चो को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। सन 1991 के पश्चात आर्थिक विकास अधिक हुआ

है। इसके फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षा सेवाओं पर अधिक जोर दिया जाने लगा है।

**शिक्षा का स्वरूप** – क्यूबा के मूल निवासी निरक्षर है यद्यपि इनकी जनसंख्या काफी कम है। इन्हीं निवासियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्यूबा में सतत शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। जिन किशोर तथा किशोरियों को विद्यालय में पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है। उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा आयोजित की जाती है।

NOTES

क्यूबा में शिक्षा के अन्तर्गत तीन आर की शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमे किशोर–किशोरियाँ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ लिख सकें तथा गणित के कौशलों का विकास कर सकें। यह प्रौढ़ शिक्षा की प्राथमिक आवश्यकता है।

युवक युवतियों को प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत राश्ट्र की नीतियों से भी परिचित कराया जाता है। जिससे उनमें जागरूकता का विकास हो सके। इसके अलावा राश्ट्रीय एकता संबंधी जागरूकता का विकास भी किया जाता है। जिससे वे इन समस्याओं में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सकें। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था क्यूबा सरकार द्वारा ही की जाती है।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम में निरन्तरता रखी जाती है। विद्यालयीन शिक्षा के पश्चात भी सभी की शिक्षा की व्यवस्था सायंकालीन कक्षाओं में की जाती है।

## ब्राजील की प्रौढ़ शिक्षा

ब्राजील का पाओलो फ्रेरे संस्था का योगदान बहुत सराहनीय है। इस संस्थान द्वारा प्रौढ़ एवं युवा शिक्षा, छात्र व्यय, विद्यलाय प्रशासन एवं सम्बन्ध, लोकतांत्रिक नियोजन तथा राजनैतिक शैक्षिक विद्यालय योजना, विद्यालय चार्टर तथा विद्यालय एथनोग्राफी संवादात्मक मूल्यांकन, परिवेश शिक्षा तथा सूचना विज्ञान आदि क्षेत्रों में शोध किया जा रहा है।

**प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों की विशेशताएँ–**

**(1)** सामाजिक आन्दोलन का शिक्षा पर प्रभाव का उल्लेख करना।

**(2)** उत्तरी पूर्वी ब्राजील की प्रौढ़ शिक्षा की समीक्षा करना।

**(3)** पाओलो फ्रेरे के विचारों तथा प्रौढ़ शिक्षा के व्यावहारिक कार्यो से परिचित कराना।

**(4)** पाओलो–फ्रेरे कार्यो के विकास का आरम्भ से अध्ययन करना।

(5) ब्राजील की शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा के विकेन्द्रीकरण तथा नगरपालिकाओं द्वारा शिक्षा व्यवस्था से पैदा समस्याओं का उल्लेख करना।

NOTES

**उत्तरी पूर्वी ब्राजील की प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य –**

(1) पाओलो फ्रेरे के विकासात्मक कार्यक्रमों का शिक्षाशास्त्र से अवगत कराना।

(2) एफ्रो. ब्राजीलियन के विद्यार्थियों की समृद्धि हेतु कार्यक्रमों का आरम्भ करना। उत्तर पूर्व में सम्पूर्ण समाज में संस्कृति का विकास करना।

(3) पाओलो फ्रेरे के प्रारम्भिक प्रयासों में राज्यों को विकास की दिशा का ज्ञान कराना तथा उनके शैक्षिक विचारों से अवगत कराना।

**प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम–**

(1) छात्रों को कार्यक्रमों की समाप्ति पर एक विशिश्ट प्रपत्र प्रस्तुत करना होता है।

(2) विभागीय सभाओं में सक्रिय भागीदारी होती है।

(3) छात्रों को कार्यक्रमों की आख्या भी तैयार करनी होती है।

(4) सायंकालीन कार्यक्रमों में पूर्णरूपेण भागीदारी होती है।

(5) प्रत्येक छात्र को सूक्ष्म मौखिक प्रस्तुतीकरण करना होता है।

(6) प्रौढ़ शिक्षा पत्रिका के कार्यो में योगदान देना।

**पाओलो फ्रेरे का प्रौढ़ शिक्षा में योगदान**– यूनेस्को एवं कोर्टेज प्रकाशन के सहयोग से पालाओ फ्रेरे के जीवन एवं कार्यो के इन सबसे ज्यादा पूर्ण स्त्रोतों का सम्पादन किया गया। डॉ. मोआसिर गोडोती तथा उनके सहयोगियों ने चार वर्श तक गहन अध्ययन किया और उसके अनुसन्धान के परिणामस्वरूप यह प्रयत्न सफल हो सका। सम्पूर्ण संसार में विभिन्न विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों एवं अध्ययन केन्द्रों से इन्होने आंकड़ों तथा सूचनाओं को एकत्र किया।

**जनतान्त्रिक विद्यालय संगठन** – 1996 – यह जनतांत्रिक विद्यालय संगठन के समृद्ध ब्राजील अनुभवों से संबंधित है। फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा अनुदानित यह कार्य नेशनल

कौन्सिल ऑफ स्टेट एजूकेशन सैक्रेट्रीज द्वारा पाओलो फ्रेरे संस्थान को सौंपा गया है। संस्थान द्वारा विद्यालय परिशदों या संघों के गठन तथा कार्यान्वयन एवं विद्यालय प्रशासन में स्वशासन की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करते हुए संस्थान द्वारा कई राज्यों के अनुभवों को शोध में संग्रहित संगठित एवं विश्लेशित किया गया है।

NOTES

**स्कूल चार्टर प्रोजेक्टर 1997**– पाओलो फ्रेरे टीम ने इस प्रोजेक्ट को विकास मैर्सिस, आलिवियेरा फोर्टिस, ग्वारारा एवं रेसेन्डे कोस्टा (मिनास जेरोसिस) की नगर पालिकाओं हेतु विकसित किया। स्कूल चार्टर में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुसन्धान किया जाना तय किया गया–

**(1)** भौगोलिक स्थिति।

**(2)** शैक्षिक स्थितियाँ– संरचना, भौतिक परिस्थिति, शैक्षणिक स्टाफ, विद्यालय निश्पादन तथा विद्यालय जनसंख्या/नामांकन।

**(3)** प्रत्येक स्थान के पूर्व उपनिवेश तथा उपनिवेश काल से लेकर साम्राज्यवाद एवं रिपब्लिक काल तक का इतिहास।

**पाओलो फ्रेरे संस्थान का कार्यक्रम–**

**(1)** प्रौढ़ शिक्षा में भाशीय योगदान मारिया जोंस डी वेली।

**(2)** सिटीजन स्कूल के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों का संरचनात्मक रूपान्तरण फमारिया बेली तथा रीनल्जे फिल्यूरी।

**(3)** सांस्कृतिक मूल्यांकन की आवश्यकताएँ तथा दशाएँ गोआसिर गाड़त।

**(4)** विद्यालय परिशद तथा सहभागी प्रशासन एन्जिला रूट्यून्स सिक्की।

**(5)** युवा एवं प्रौढ़ शिक्षा में सामाजिक परिप्रेक्ष्य जोस एस्टाक्यीओ रोमेओ।

**(6)** सामाजिक संरचना एवं पाओलो फ्रेरे विविध सोनिया कोयिटो फीडोजा।

NOTES

## प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ और परिभाशा

## Definition and Meaning of Adult Education

प्रौढ़ शिक्षा पद बहुत प्रचलित है। इसके अन्तर्गत भिन्न–भिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न कार्यक्रम संचालित किये गये है। प्रौढ़ शिक्षा को साक्षरता का पर्याय माना गया। धीरे–धीरे परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में तीन तत्वों जागरूकता व्यावहारिकता एवं साक्षरता का समावेश किया गया।

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा नाम का प्रयोग किया। उनके अनुसार समाज शिक्षा की एक ऐसी परिभाशा जो साक्षरता प्रसार तक सीमित हो बहुत संकुचित परिभाशा है। उनके अनुसार समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य पूर्ण मनुश्य की शिक्षा से है। इसके द्वारा मनुश्य साक्षरता प्राप्त करेगा ताकि वह विश्व के बारे में जान सके। इससे उसे इस बात की शिक्षा मिलेगी कि वह अपने वातावरण को किस प्रकार अपने अनुकूल बनाये तथा किस प्रकार अपनी प्राकृतिक परिस्थिति का जिनमें वह रहता है सदुपयोग करे। डॉ. मुकर्जी के मतानुसार प्रौढ़ शिक्षा के दो पक्ष है – प्रौढ़ साक्षरता तथा साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा।

(1) **लाइमन ब्राइसन (Lymon Bryson) के अनुसार**– प्रौढ़ शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिये सभी अवसरों पर और सभी परिस्थितियों में शिक्षा।

(2) **मॉरगन होम्स एवं बंडी (Morgan Homes and Bundy) के अनुसार**– प्रौढ़ शिक्षा किसी नयी बात को सीखने के लिये प्रौढ़ व्यक्ति का जान बूझकर किया जाने वाला प्रयास है।

## प्रौढ़ शिक्षा का महत्व

प्रौढ़शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुये डॉ. के.जी. सैयद ने लिखा है ''हम राश्ट्रीय जीवन के ऐसे नये युग में प्रवेश कर रहे है। जो शायद आगे वाली कई शताब्दियों के लिये देश की भावी व्यवस्था की रूप रेखा निर्धारित कर देगा। हमारे राश्ट्रीय जीवन को विशाक्त करने वाले आपस के संगीन आकड़ों की घनघोर घटायें भी विनाश की बदली की तरह छंट जायेगी और हम फिर न्याय और स्वतंत्रता और समझदारी के प्रकाशमय वातावरण में पहुंच जायेंगे। इसी प्रकार

कोठारी कमीशन ने प्रौढ़शिक्षा के महत्व के विशय में लिखा है। कोई भी राश्ट्र अपनी सुरक्षा के भार को केवल पुलिस एवं सेना को नहीं सौंप सकता वस्तुतः राश्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ी सीमा तक नागरिकों की शिक्षा विभिन्न कार्यक्रमों को उनके ज्ञान चरित्र, अनुशासन की भावना एवं सुरक्षा संबंधी कार्यो में भी उसे कुशलता पूर्वक भाग लेने की क्षमता पर आधारित है। मार्च सन 1978 में भारत सरकार ने समान शिक्षा या प्रौढ़ कार्यक्रम को विशाल पैमाने पर संचालित करने के लिये नये सिरे से निर्माण हुआ है।

NOTES

## प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता

## Need of Adult Education

अशिक्षित मानव पशु के समान ही है। वर्तमान समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी वातावरण में अपने को समायोजित करने के लिये तथा प्राकृतिक सम्पदा एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिकतम सदुपयोग करने के लिये मानव का शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है।

**(1)** प्रौढ़ शिक्षा एक मानवीय आवश्यकता।

**(2)** प्रौढ़ शिक्षा एक पारिवारिक आवश्यकता।

**(3)** प्रौढ़ शिक्षा एक प्रजातान्त्रिक आवश्कयता।

**(4)** प्रौढ़ शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता।

**(5)** प्रौढ़ शिक्षा एक राश्ट्रीय आवश्यकता।

**(6)** प्रौढ़शिक्षा एक बौद्धिक आवश्कयता।

**(7)** प्रौढ़ शिक्षा एक व्यवसायिक आवश्यकता।

**(8)** प्रौढ़ शिक्षा एक सांस्कृतिक आवश्यकता।

**(9)** मनोरंजन के लिये प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता।

**प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र**– प्रौढ़ शिक्षा केवल साक्षर बनाने अथवा साधारण गणित का ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है।

**(1)** प्रौढ़ किो आत्म अभिव्यक्ति में निपुण बनाने के लिये साक्षरता प्रसार।

(2) प्रौढ़ों की आर्थिक उन्नति के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(3) खाली समय का सदुपयोग करने के लिये स्वस्थ्य मनोरंजन।

NOTES

## प्रौढ़ शिक्षा के उददेश्य

## Aims of Adult Education

प्रौढ़ शिक्षा की उपयोगिता व्यक्ति और समाज दोनों के लिये है। इसलिये प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्यों में बांटा जा सकता है।

**(1) व्यक्तिगत उद्देश्य–**

(1) शिक्षा के द्वारा प्रौढ़ों का बौद्धिक विकास करना।

(2) कृशि, शिल्प तथा घरेलू उद्योग धन्धों इत्यादि का प्रशिक्षण देकर प्रौढ़ों की व्यावसायिक क्षमता का विकास करना।

(3) स्वास्थ्य शिक्षा प्रमुख रोगों की उपचार पद्धति तथा सन्तुलित आहार का ज्ञान देकर प्रौढ़ों के शारीरिक विकास को ठीक रखना।

(4) प्रौढ़ों को नृत्य, संगीत, गीत तथा लोकगीत आदि सांस्कृतिक क्रियाओं का ज्ञान देकर उनका सांस्कृतिक विकास करना।

**(2) सामाजिक उद्देश्य –**

(1) विभिन्न व्यक्तियों तथा समुदायों के बीच बढ़ती अलगाववादी भावना को समाप्त करना तथा एक राश्ट्रीय एकता एवं संस्कृति का निर्माण करना।

(2) प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों तथा साधनों की सुरक्षा करना, सदुपयोग कर तथा उनको विकसित करना।

(3) समाजहित या राश्ट्र हित के सामने व्यक्तिगत हितों को कुर्बान कर देने की भावना का विकास करना।

# अध्याय – 5

## Problums prevalems in develop

NOTES

**भूमिका**– समस्त विश्व में दो प्रकार के देश है। प्रथम विकसित तथा द्वितीय विकाशील देश। जहां एक ओर विकसित देश अपनी शिक्षण प्रणाली तथा उन्नत आर्थिक स्थिति के कारण विकसित देश का स्तर प्राप्त कर लेते है। वहीं दूसरी ओर विकासशील देशों में शिक्षा का अभाव होता है। अतः ये देश उच्चावस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण विकासशील देशों में अनेक सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान समय में विश्व का लगभग प्रत्येक विकासशील देश इन समस्याओं से ग्रस्त है।

**विकासशील देशों की समस्यायें**– वर्तमान समय में लगभग विश्व का प्रत्येक विकासशील देश अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है। इनमें से किस राश्ट्र में शैक्षिक समस्यायें है लेकिन राश्ट्र में आर्थिक अथवा किसी राश्ट्र में अन्य कोई ये समस्यायें 4 भागों में विभाजित है –

(1) आर्थिक समस्यायें

(2) शैक्षिक समस्यायें

(3) सामाजिक समस्यायें

(4) राजनीतिक समस्यायें

**(1) आर्थिक समस्यायें**– विकासशील देशों की आर्थिक समस्यायें इस प्रकार है

(1) निर्धनता

(2) बेरोजगारी

(3) भुखमरी

(4) भिक्षावृत्ति

(5) आर्थिक पिछड़ापन

**(2) शैक्षिक समस्यायें** – विकासशील देशों में शौक्षिक समस्यायें निम्न प्रकार है –

NOTES

(1) निरक्षरता

(2) शैक्षिक असमानता

**(3) सामाजिक समस्यायें**– विकासशील देशों में सामाजिक समस्यायें निम्न प्रकार है –

(1) जनसंख्या विस्फोट

(2) जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता

(3) बाल दुर्व्यवहार एवं बालश्रम

(4) भ्रश्टाचार

**(4) राजनीतिक समस्यायें** – विकासशील देशों की राजनीतिक समस्यायें निम्न प्रकार है –

(1) राजनीतिक अस्थिरता

(2) आतंकवाद

**(1) आर्थिक समस्यायें** – मूलतः अर्थ एक महत्वपूर्ण घटक है। जो यह विकासशील देशों की समस्याओं का मूल आधार है। विकासशील देशों में अर्थ से संबंधित अनेक समस्यायें पाई जाती है। जैसे निर्धनता बेरोजगारी भुखमरी भिक्षावृत्ति इत्यादि।

**(2) निर्धनता की समस्या**– वर्तमान समय में यह विश्व की जटिल समस्या है। निर्धनता एक आर्थिक सामाजिक समस्या हैं इसकी उत्पत्ति तथा स्वरूप अत्यन्त जटिल है। वर्तमान में विकासशील देशों के समक्ष निर्धनता की समस्या एक आर्थिक सामाजिक बौद्धिक तथा नैतिक चुनौती है। विश्व के अधिकांश देश निर्धन ही है जबकि जो देश धनवान है वह अत्यंत ही धनी है। इन देशों की अधिक संख्या के कारण इन्हे तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है इन विकासशील अथवा तीसरी दुनिया के नागरिकों को स्वास्थ्य कार्य, भोजन, वस्त्र तथा आवास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में इनकी समस्यायें आर्थिक के साथ–साथ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम मरूभूमि विकास कार्यक्रम क्या है ? राजीव

गांधी ग्रामीण विद्युत योजना अन्ययपूर्णा योजना लघु एवं मध्यम कस्बों के समन्वित विकास कार्यक्रम मेगा शहरों मे आधारित विकास कार्यक्रम कुटीर ज्योति कार्यक्रम बीस सूत्रीय कार्यक्रम, बालिका समृद्धि योजना, इन्दिरा महिला योजना, बालबाड़ी पोशाहार कार्यक्रम कार्य का बदले अनान का राश्ट्रीय कार्यक्रम शिक्षा सहयोग योजना खाद्यान्न योजना सर्व शिक्षा अभियान।

NOTES

(3) **बीस सूत्रीय (परिवर्तित कार्यक्रम)**– देश में निर्धनता के निवारणार्थ 20 सूत्रीय कार्यक्रम को नया स्वरूप दिया गया है। नये स्वरूप में इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया है। इसके साथ ही गरीबी हटाओं का कार्यक्रम समाप्त हो जायेगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नांकित 20 बिन्दु समाहित है।

(1) ग्रामीण निर्धनता का समापन।

(2) सिंचाई के पानी का उच्च प्रयोग।

(3) भूमि सुधारों की प्रभावशीलता।

(4) पीने योग्य साफ जल की उपलब्धता।

(5) दो शिशु का मानक।

(6) अनुसूचित जाति/जनजाति को न्याय उपलब्ध कराना।

(7) युवाओं के लिये नये अवसर सृजित करना।

(8) शहरी मलिन बस्तियों का सुधार।

(9) पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण।

(10) ग्रामीण क्षेत्र की व्यूह रचना।

(11) वर्शा पर निर्भर कृशि की व्यूह रचना।

(12) उच्च गुणवत्ता युक्त उपज स्वास्थ्य।

(13) ग्रामीण श्रमक के लिये विशिश्ट कार्यक्रम।

(14) सर्वसुलभ स्वास्थ्य।

(15) शिक्षा का विस्तार।

NOTES

(16) महिलाओं के लिये समानता।

(17) निर्धन व्यक्तियों के लिये आवास।

(18) वानिकी की नई व्यूह रचना।

(19) उपभोग का समुत्थान

(20) उत्तरदायी प्रशासन का गठन।

अजैण्टाइना तथा ब्राजील आदि निर्धनता की समस्या से ग्रस्त है।

**(4) भारत में निर्धनता** – भारत में निर्धनता के उपर्युक्त विभिन्न मापों के आधार पर भारत में निर्धनता के विस्तार तथा प्रकार को ज्ञात करने का अनेक अर्थशास्त्रियों ने प्रयुक्त किया भिन्न–भिन्न आधारों पर निर्धनता के अनुमान में अन्तर पाया जाता है।

**भारत में निर्धनता की स्थिति** –

| वर्श | शहरी | ग्रामीण | कुल निर्धनता |
|---|---|---|---|
| 1973–74 | 49 | 56.4% | 54.9 |
| 1977–78 | 45.2 | 53% | 51.3 |
| 1983–84 | 40.8 | 45.7% | 38.9 |
| 1987–88 | 38.2 | 39.1% | 36 |
| 1993–94 | 32.4 | 27% | 26.1 |
| 2007 अनुमानित | 15.1 | 21.1% | 19.3 |

कारण– भारत में निर्धनता के कारण निम्न है।

**सामाजिक कारण में** – संयुक्त परिवार व्यवस्था, जनसंख्या, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कुप्रथाये, जमींदारी प्रथा आदि है।

**आर्थिक कारणों में** – असमान्य भौतिक विस्तार खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है।

**राजनीतिक कारण**– पूंजीवाद तथा नरम राज्यत।

**वैयक्तिक कारण**– मानसिक स्थिति, शारीरिक शक्ति

**निर्धनता समाप्ति के उपाय**–

(1) विजय 2020 कार इण्डिया योजना

(2) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

(3) अंतोदय अन्य योजना, सामाजिक भी हो जाती है। क्यांकि निर्धनता का प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर ही पड़ता है तथा इससे समाज में असन्तुलन हो जाता है।

NOTES

**(5) निर्धनता का अर्थ**– निर्धनता एक आर्थिक स्थिति है किन्तु यह एक सामाजिक पद को भी प्रकार करती है। क्योंकि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का घनिश्ट सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था से भी है। निर्धन तथा धनी दो तुलनात्मक शब्द है। सामान्य शब्दों में निर्धनता का अर्थ आर्थिक असमानता आर्थिक अकुशलता तथा आर्थिक पराश्रितता से लिया जाता है। इसे मात्र आर्थिक अभाव के रूप में समझना इसके संकुचित अर्थ का परिचायक है। निर्धनता की मुख्य परिभाशायें इस प्रकार है –

(1) निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाशित की जा सकती है। जिसमें स्वास्थ्य और शरीर सम्बन्धी क्षमता नहीं बनी रहती– बीकू

(2) निर्धनता की अवधारणा का सम्बन्ध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। **डॉ. योगथ अटन**

**निर्धनता का मापन**– विभिन्न देश अपनी स्थिति के अनुसार निर्धनता को मापने का आर्थिक सूत्र एवं अवधारणा का भी प्रयोग करते है। प्रायः किसी भी देश में निर्धनता को मापन विधि द्वारा राश्ट्रीय आय तथा प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय को ज्ञात किया जाता है। राश्ट्रीय आय को मापने के लिये किसी वर्श विशेश में उपभोग के लिये किसी उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं को जोड़ा जाता है राश्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिये किन–किन तथ्यों को जोड़ा जाये यह विवादास्पद है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र मार्शल के अनुसार किसी देश के श्रम तथा पूंजी द्वारा उसके प्राकृतिक साधनों से है जो भौतिक एवं अभौतिक वस्तुयें उत्पन्न की जाती है। उनसे यदि सभी प्रकार की सेवायें तथा विदेशों से प्राप्त आप भी सम्मिलित कर दी जाये तो राश्ट्रीय आय कहलाती है।

शुद्ध राश्ट्रीय आय NPP तथा सकल राश्ट्रीय उत्पाद को निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से समझा जा सकता है। सकल राश्ट्रीय आय उत्पाद (GNP)

NOTES

$$GNP = GDP – X – M$$

जिसमें X = देश वासियों द्वारा विभिन्न देशों में अर्जित की आय M = विदेशियों के द्वारा देश में अर्जित की आय उपरोक्त सूत्र से स्पश्ट होता है कि यदि X = M है तो GNP - GDP होगा इसी प्रकार जब बन्द अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत है X – M = O तो वहाँ GNP - GDP होगा। शुद्ध राश्ट्रीय उत्पाद NNP शुद्ध राश्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिये GNP से पूंजी स्टाक की खपत को घटाया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र में लिखते है–

$$NNP – GNP - Depreution$$

**वैयक्तिक आय**– वैयक्तिक आय = राश्ट्रीय आय निगमों का अवितरित लाभांश – सामाजिक सुरक्षा योजना के लिये किये गये भुगतान + सरकारी हस्तांतरण का भुगतान + व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान

**व्यय वैयक्तिक आय** – व्यय योग्य है व्यक्ति आय ज्ञात करने हेतु वैयक्तिक आय से वैयक्तिक प्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है।

**व्यय योग्य वैयक्तिक आय** – वैयक्तिक आय वैयक्तिक कर।

**विकासशील देशों में निर्धनता** – निर्धनता की समस्या विकासशील देशों की सर्व प्रमुख समस्या है। मूल रूप में इसी समस्या के कारण अन्य समस्यायें मौन जनसंख्या है। अरव के बाद अधिक जन्म लेती है वर्तमान समय में विश्व के अनेक देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वर्मा, नेपाल, सूडान, मोनाम्बिक, अंगोला, जिम्बाबे, लक्ष्यद्वीप।

**बेरोजगारी की समस्या**– मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे अनेक सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण करना होते है। मानव अपने यह उत्तरदायित्व धन की सहायता से पूर्णकर सकता है। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में धन के इस महत्व को स्वीकार करते हुये अर्थ धर्म काम मोक्ष से इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किन्तु जब मानव के पास यह ध नही नहीं है तो अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना असम्भव हो जाता है। अतः यह बेरोजगारी की अवस्था उसे आर्थिक के साथ–साथ सामाजिक समस्या भी उत्पन्न करती है।

**बेरोजगारी की अवधारणा** – अपने स्वरूप तथा प्रकार के कारण बेरोजगारी का आशय स्पश्ट करना अत्यन्त जटिल है सरल शब्दों में बेरोजगारी मात्र यही नहीं है कि कोई व्यक्ति धन अर्जित नहीं करता बल्कि एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के अलावा आप वाला कार्य करना भी बेरोजगारी है। यहां इस व्यक्ति को अल्प रोजगार व्यक्ति माना जावेगा। प्रायः एक बेरोजगार व्यक्ति वह है। जिसमें धन अर्जित करने की अन्तर्निहित समता और इच्छा दोनों ही है किन्तु उसे कोई वैयक्तिक कार्य प्राप्त नहीं होता।

NOTES

**परिभाशा** – यह सामान्य कार्यरत बल के एक सदस्य (अधीन 15–59 आयु वर्ग) को सामान्य कार्यकाल में सामान्य वेतन पर तथा उसकी इच्छा के विरूद्ध वैतनिक कार्य से पृथक रखना है।

डी. मेलों ने बेरोजगारी की परिभाशा इस प्रकार की है–

''यह वह परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति इच्छांक उपरान्त भी वैतनिक कार्य की स्थिति में नहीं है।

## बेरोजगारी (संक्षेप में) तालिका

| क्रम संख्या | संस्था व्यक्ति | बेरोजगार |
|---|---|---|
| 1 | समाज शास्त्रीय परिमाण | सामान्य कार्यबल तथा सामान्य कार्य काल के उपरान्त भी वैयक्तिक कार्य प्राप्त न होना बेरोजगारी है। |
| 2 | डी. मेलो | व्यक्ति की इच्छा के विपरीत कार्य प्राप्त नहीं होना बेरोजगारी है। |
| 3 | नाबा गोपालदास | अनैच्छिक निश्क्रियता |
| 4 | योजना आयोग | सप्ताह में एक भी कार्य लाभ मिलना |

**बेरोजगारी के तत्व** – बेरोजगारी के प्रमुख तत्व 3 है जो निम्न प्रकार है।

(1) व्यक्ति में काम करने की क्षमता होना चाहिये।

(2) व्यक्ति में कार्य करने की पर्याप्त क्षमता होना चाहिये।

(3) व्यक्ति में कार्य खोजने का प्रयास होना चाहिये।

NOTES

**बेरोजगारी के प्रकार**– अपने स्वरूप अथवा प्रकृति में बेरोजगारी अनेक कार्यो में देखी जाती है इनका विवरण निम्न प्रकार है–

(1) संरचनात्मक बेरोजगारी

(2) अन्य रोजगार

(3) मुक्त बेरोजगारी

(4) शिक्षित बेरोजगारी

(5) छर्पवात्मक बेरोजगारी

(6) मौसमी बेरोजगारी

(7) शहरी बेरोजगारी

(8) ग्रामीण बेरोजगारी

(9) कृशि बेरोजगारी

(10) चक्रीय बेरोजगारी

(11) औद्योगिक बेरोजगारी

(12) प्राद्योगिकीय बेरोजगारी

**शिक्षित बेरोजगारी की विभिन्न राज्य में स्थिति**

| क्रम संख्या | राज्य | बेरोजगारी प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | पश्चिम बंगाल | 27.21% |
| 2 | बिहार | 24.85% |
| 3 | केरल | 21.10% |
| 4 | कर्नाटक | 18.49% |
| 5 | पंजाब | 13.70% |
| 6 | तामिलनाडु | 12.96% |
| 7 | उत्तरप्रदेश | 9.96% |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | गुजरात | 9.23% |
| 9 | महाराश्ट्र | 9.68% |
| 10 | राजस्थान | 6.54% |
| 11 | नागालैण्ड | 4.42% |

NOTES

**बेरोजगारी के कारण**– बाजार की भविश्यवाणी में अर्थ शास्त्रियों की समर्थता अचानक उत्पन्न अपस्फीति तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा मजदूरी, अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन बचत की इच्छा व्यापार चक मेमनी, उच्च उद्योग नीतियां व्यक्ति की कार्य के प्रति निम्न अवधारणा भौगोलिक गतिहीनता, पुरातन शैक्षणिक कार्यक्रम व्यवसायिक शिक्षा का अभाव।

**बेरोजगारी के परिणाम** – बेरोजगारी के परिणाम निम्न प्रकार है –

(1) वैयक्ति विघटन

(2) पारिवारिक विघटन

(3) सामाजिक विघटन

(4) आर्थिक विघटन

(5) राश्ट्रीय विघटन

**बेरोजगारी समाप्ति के प्रयास** – भारत सरकार ने बेरोजगारी को समाप्त करने तथा बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिये अनेक व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिये अनेक परियोजनाओं को प्रारंभ किया है जो निम्न है–

**(1) स्वर्ण जयन्ति स्वरोजगार योजना**– इस योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 को किया गया इसके घटक निम्न है–

(1) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम

(2) स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम

(3) ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति कार्यक्रम

(4) ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विहास कार्यक्रम

(5) गंगा कल्याण योजना

(6) दस लाख कुश्ठ योजना

NOTES

**(2) रोजगार आश्वासन योजना**– इस योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1993 को हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रह रहे प्रत्येक परिवार को दो युवाओं को 100 दिन का लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना है।

**(3) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना** – इस योजना का प्रारंभ 25 सितम्बर 2001 को किया गया इस योजना के अन्तर्गत रोजगार आश्वासन योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का संचालन किया जाता है।

**(4) शहरी बेरोजगारी एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम**– इस योजना में शहरी क्षेत्र संविधान बेरोजगारी को दो श्रेणियों में रखा गया है।

(1) औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी

(2) शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी

**प्रधानमंत्री रोजगार योजना**– यह योजना शिक्षित बेरोजगारों को 28 अक्टूबर 1993 में आरंभ की है। इस योजना के अन्तर्गत आठवी कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति को जिसकी आयु 18–35 वर्श के मध्य है। सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

जय प्रकाश नारायण रोजगार गारण्टी योजना– योजना इस योजना का प्रारंभ सन 2000 में किया गया। इस योजना को देश के निर्धन तथा बेरोजगार व्यक्तियों के लिये आरंभ की गई।

**बन्धक ऋण गारंटी योजना**– विशेश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये मुख्य उद्देश्य के साथ वर्श 2002 – 03 के बजट में इस योजना को शुरू किया। इस योजना को राश्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

**सवर्णिम योजना**– केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग की ऐसी महिलाओं के लिये जो कि निर्धनता की रेखा से न्यन है। इसके अतिरिक्त कुछ परिवार ऐसे भी है। जिनके परिवार के व्यस्क अजीविका में रूचि नहीं रखते। ऐसी स्थिति में उन परिवारों के वयस्क अपने शिशुओं को भिक्षावृत्ति के लिये प्रेरित करते है।

**बुजुर्गो के प्रति अनुचित व्यवहार**– भारत में प्रायः यह दृश्टिगोचर होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति भिक्षावृत्ति में संलिप्त रहते है। निःसंदेह यह लोकतंत्र तथा समृद्ध समान के लिये

अत्यन्त हीन अवस्था है। बुजुर्गो की भिक्षावृत्ति के लिये यह समाज तथा राश्ट्र दोनों जिम्मेदार रहे।

**विकलांगता**– विकलांगता वस्तुतः एक जैविक अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक रूप से असहाय हो जाता है तथा वह अपने उदर पोशण के लिये भिक्षावृत्ति की ओर उन्मुख हेाता है।

NOTES

## निवारण के उपाय

भिक्षावृत्ति की जड़े अत्यन्त गहरी है। अतः इसके निवासरण के लिये निम्नांकित बिन्दु सहायक हो सकते है।

(1) भिक्षावृत्ति का प्रारंभ मन की निर्बलता में होता है। अतः सशक्त मानसिक अवस्था के माध्यम से इस पर नियन्त्रण रखा जा सकता है।

(2) जो परिवार बुजुर्गो का सम्मान नहीं करते तथा उनके भरण पोशण की व्यवस्था नहीं करते वे प्रायः भौतिकवादी मानसिक प्रकृति के है। भौतिकवादी परिवारों की मानसिकता में परिवर्तन लाकर भिक्षावृत्ति नियंत्रित हो सकती है।

(3) विकलांगता अभिशाप है। भारत में मुख्य रूप से विकलांग व्यक्ति भिक्षा वृत्ति के माध्यम से अपना जीवकोपार्जन करते है। विकलांगता पर नियन्त्रण इसका नियंत्रण सहायक हो सकता है।

  (1) इसके 3000 भारतीय सैनिकों ने सेवाये दी थी।

  (2) संयुक्त राश्ट्र संघ ने वर्श 2001 में अफगानिस्तान शान्ति बहाली के लिये भी अपनी सेना भेजी थी।

  (3) विश्व सवास्थ्य संगठन जो कि संयुक्त राश्ट्र संघ का ही भाग है का मुख्य उद्देश्य विश्व के व्यक्तियों विशेशकर विकासशील देशों के व्यक्तियों के स्वास्थ्य का स्तर प्रदान करना है।

(4) अन्तर्राश्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों की स्थिति संधारने का निरन्तर प्रयास करता है।

(5) जनसंख्या नियन्त्रण राश्ट्र कोश के माध्यम से संयुक्त राश्ट्र संघ विकासशील देशों में जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन का प्रयास कर रहा है।

NOTES

## भिक्षावृत्ति

## Beggery

भिक्षावृत्ति वासविक रूप से एक आर्थिक समस्या है। किन्तु इसका सम्बंध प्रत्यक्ष रूप से समाज से है। भिक्षावृत्ति व्यक्ति समाज तथा राश्ट्र तीनों के लिये ही अपमान जनक अवस्था है। भिक्षावृत्ति इस कारण से एक बहुकोणीय समस्या है।

**कारण**– भिक्षावृत्ति के उत्तरदायी कारण निम्न प्रकार है –

(1) **निम्न आत्मबल**– भिक्षावृत्ति का प्रारंभ मानसिक अवस्था से ही होता है। व्यक्ति के मन से जब यह धारणा आ जाती है कि श्धन अर्जित करने में पूर्णतया अक्षम है तो व्यक्ति अपने जीवन मापन के लिये भिक्षावृत्ति की ओर उन्मुख होता है।

(2) **शिशुओं का अनुचित प्रयोग**– विकासशील राश्ट्रों में परिवार है जिनके लिये आजीविका के साधन अत्यन्त भारत में प्रत्येक दिन 43281 व्यक्तियों की वृद्धि होती है।

(3) भारत में प्रतिवर्श जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 58 व्यक्तियों की वृद्धि होती है।

भारत की जनसंख्याओं एक दशक में लगभग 49% की वृद्धि चार राज्यों बिहार मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान में होती है।

(2) **जन्म तथा मृत्यु की दरों में बढ़ती एवं प्रत्याशित आयु** – विकसित देशों की अपेक्षा भारत में जन्मदर, मृत्युदर की अपेक्षा अधिक है। सन 2001 में यह जन्मदर 24.8 प्रति हजार थी पर मृत्यु पर 80 प्रति हाजार थी।

**(3) विवाह के समय आयु**– अल्प आयु में विवाह का होना जनसंख्या वृद्धि में सहायक है अल्पआयु में विवाह होने से महिला मातृत्व अधिक हो जाता है।

**(4) घोर निरक्षरता** – जनसंख्या वृद्धि में सर्वप्रमुखक कारणों में से निरक्षरता भी एक कारण है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 35% जनसंख्या निरक्षर थी। निरक्षरता के कारण अन्ध विश्वास पनपता है। सरकारी नीतियां सफल नहीं हो पाती।

NOTES

**जन घनत्व** – भारत के पास सम्पूर्ण भूभाग का 2% भाग है जबकि इस 2% भूक्षेत्र पर विश्व की 16.7 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। भारत का घनत्व कम व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

## भारत में जनसंख्या विस्फोट

भारत में लगभग दो दशकों में तथा विशेशरूप से एक दशक से राजनैतिक अव्यवस्था तथा साम्प्रदायिक उन्माद के मध्य जनसंख्या विस्फोट की समस्या को उचित रूप से सुलझाया नहीं जा सकता न राजनीतिक दल न सरकार ऐसी समस्या पर जो कि राश्ट्र के समक्ष आवश्यक रूप से सबसे कठिन समस्या है। इस पर अपना ध्यान केन्द्रित करने को तत्पर नहीं है। किन्तु विभिन्न समाज विज्ञानों में इस तथ्य की विशिश्टता का वर्णन करने के लिये विद्वानों के अध्ययन तथा विचारधाराओं का कोई अभाव नहीं है। भारत आर्थिक विकास की दौड़ में उन्नति नहीं कर पा रहा है। जो उसे करनी चाहिये। जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित नहीं किया जाता तब तक विकास के सभी प्रयास असफल होते रहेंगे।

## मुख्य तत्व

NOTES

हमारे राश्ट्र भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 102.87 करोड़ है। जो सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या का 19.7% भाग है। इसके विपरीत भारत के पास सम्पूर्ण विश्व की भूमि का मात्र 2% भाग है। यह तथ्य भारतीय जनसंख्या की विस्फोटक अवस्था का मूल कारक है, निम्नांकित बिन्दु इसे स्पश्ट कर सकते है।

(1) **जनसंख्या में वृद्धि**– वर्तमान में भारत विश्व जनसंख्या का द्वितीय विशालतम राश्ट्र है। जनसंख्या उससे उच्च मात्र चीन है। विश्व की जनसंख्या का 16.7% भारत में है।

(1) परिवार कल्याण मंत्रालय भारत के प्रति 30 मिनिट जनसंख्या वृद्धि होती है। विराम समझौते का उल्लंघन हुआ। 22 जुलाई 2002 को दोनो राश्ट्रों के मध्य समझौता भी हो गया। किन्तु दूसरे देशों के हजारो नागरिक बेघर हो गये तथा अनेक लोगों की भुखमरी के कारण अकाल मृत्यु हो गई।

(2) अफ्रीकी राश्ट्र इरीटिया 30 वर्श से अधिक समय तक गृह युद्ध में संलग्न रहा है। जिसके कारण यहां लाखों व्यक्ति भुखमरी के कारण ही मृत्यु के शिकार हुये।

(2) **सामाजिक व्यवस्था**– आर्थिक परिस्थितियां प्रत्यक्ष रूप से क्षुधा मृत्यु से संबंधित होती है। राज्य में निम्न राजनीतिक व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था अत्यन्त निम्न अवस्था में पहुंच जाती है। इसके परिणाम स्वरूप देश में विभिन्न समस्याओं का जन्म होता है। उसी में से क्षुधा मृत्यु भी एक है।

(3) **भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति**– भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक आपदाये क्षुधा मृत्यु के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है। बांगला देश जहां कि प्रतिवर्श विनाशकारी बाढ़ आती है। वहाँ लाखों व्यक्ति बेघर हो जाते है। तथा शरणार्थी बन जाते है। इसमें से हजारों व्यक्ति क्षुधा मृत्यु को प्राप्त हो जाते है।

## रोकने के प्रयास

NOTES

क्षुधा मृत्यु एक विविध कोणीय समस्या है। अतः इन समस्या के समाधान के लिये प्रयास भी विविध होना चाहिये इसके लिये एक महत्वपूण्र कारण राजनैतिक अस्थिरता है। प्रायः कोई देश किसी अन्य देश की राजनैतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अतः इस समसरूा का समाधान अत्यंत जटिल है। संयुक्त राश्ट्र संघ के ऐसे प्रयासों का विवरण निम्न प्रकार है –

**(1)** संयुक्त राश्ट्र संघ ने वर्श 2000 में सिमरा लपोन में संयुक्त राश्ट्र शांतिसेना की नियुक्ति की थी। इस शांतिसेना का मुख्य कार्य सरकार विरोधी ताकतों का दमन था। परिवारों से है को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये पचास हजार रूपये का ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा है।

## भुखमरी की समस्या

## Problem of Henger

विकासशील देशों के लिये आज भी क्षुधा या भूख अभिशाप रूप में है। तीसरी दुनिया के राश्ट्र विशेशकर अफ्रीकी देश इस समस्या से ग्रस्त है। किसी भी राश्ट्र के लिये भूख अथवा भूख से मृत्यु अथ्वा भुखमरी निम्नतम स्थिति का ज्ञान करती है। वस्तुतः भूख एक अमानवीय स्थिति है। इसका समाधान निम्नांकित कारणों से संभव हो सकता है।

**(1)** **राजनैतिक अस्थिरता तथा अधिक जनसंख्या** – एक लोकतांत्रीय सरकार निश्चित ही अपने नागरिकों के कल्याण के लिये अनेक प्रयास करती है किन्तु जब राश्ट्र में लोकतन्त्र अवस्था न हो अथवा राश्ट्र विभिन्न राजनीतिक समस्यों से त्रस्त हो तो राज्य कल्याणकारी कार्यो में संलग्न होने की अपेक्षा राजनीतिक समस्याओं के समाधान में अपने सभी संसाधनों को संक्षिप्त कर देता है। इसके अतिरिक्त जब राश्ट्र में घरेलू युद्ध की स्थिति को नागरिक हिंसाग्रस्त स्थान से पलायन कर सुरक्षित स्थान को प्रस्थान कर जाते है तथा पलायन वाले क्षेत्र में उन्हे आवश्यक एवं दैनिक

उपभोग की वस्तुयें प्राप्त नहीं होती तो वे भुखमरी की चपेट में आ जाते है। वर्तमान विश्व में अनेक उदाहरण हमारे सामने है जैसे –

NOTES

**(1)** 14 मार्च सन 2002 को स्वांग ने कांगों गणराज्य पर आक्रमण कर दिया जिससे दोनों राश्ट्रों के मध्य

## जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता

पूर्व वैदिक काल में भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी किन्तु उत्तर वैदिक काल (लगभग 100 ई. पू. का समय) आते–आते वर्ण पर व्यवस्था विस्तारित हो गई तथा अब चार वर्णो के स्थान पर अनेक उपवर्णो का उदभव हुआ जैसे ब्राह्मण स्त्री तथा शूद्र पुरूश से उत्पन्न सन्तान चाण्डाल कहलाई। इस प्रकार भिन्न–भिन्न वर्ण तथा प्रतिलोम विवाहों के कारण अनेक जातियां तथा उपजातियों का निर्माण हुआ। इन प्राचीन जातियों की व्यवस्था समकालीन इतिहास में इतनी जटिल नहीं थी जितनी की वर्तमान समय में है। वर्तमान में भारत में जाति व्यवस्था ने जटिल रूप धारण कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप राश्ट्र तथा समान विभाजन की ओर अग्रसर हो रहा है। इस जाति व्यवस्था को हम प्रमुख शीर्शकों के माध्यम से समझ सकते है।

**(1)** साम्प्रदायिकता तथा साम्प्रदायिक हिंसा

**(2)** पिछड़ी जातियाँ जनजातियाँ तथा वर्ग

**भारत में साम्प्रदायिकता**– हमारे भारत में अनेक वादी समाज में मात्र धार्मिक समुदाय ही नही है। जैसे हिन्दु, मुसलमान, ईसाई इत्यादि अधिक यह धर्म साम्प्रदाय भी अनेक उप सम्प्रदाय में बंटे है जैसे नैनों में श्वेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदाय। इसी प्रकार मुस्लिम भी सिया तथा सुन्नी में बंटे है। ये भिन्न–भिन्न वर्ग तथा सम्प्रदाय धार्मिक उन्माद तथा हिंसा का मुख्य आधार है। भारत में समय–समय पर इन सम्प्रदायों तथा वर्गो में परस्पर संघर्श होता रहा है। इस धार्मिक तथा वर्ग संघर्श को अशिक्षित अथवा बाहरवादी व्यक्ति अपने स्वार्थ लाभ के लिये अधिक प्रसारित करते है।

इन सम्प्रदायिक हिंसा एवम संघर्श के परिणाम विस्तृत तथा दीर्घ कालिक होते है। बाबरी मस्जिट समस्या गुजरात के साम्प्रदायिक दंगे इत्यादि इसके उदाहरण है।

**सन 2001 की जनगणना अनुसार विश्लेशण –**

| धर्म | जनसंख्या | राश्ट्र की जनसंख्या प्रतिशत | साक्षरता दर | लिंगानुपात 1000 पुरूश पर |
|---|---|---|---|---|
| हिन्दू | 827578860 | 80.5 | 65.1 | 931 |
| मुस्लिम | 138188240 | 13.4 | 59.1 | 936 |
| ईसाई | 24080016 | 2.33 | 80.3 | 1009 |
| सिक्ख | 1921730 | 1.84 | 69.4 | 893 |
| बौद्ध | 7955207 | 8.8 | 72.7 | 953 |
| जैन | 4225053 | 0.4 | 94 | 940 |

**साम्प्रदायिक देशों की विशेशताये –**

**(1)** प्राय साम्प्रदायिक दंगे धर्म की अपेक्षा राजनीति से अधिक प्रेरित होते है। मई 1970 में महाराश्ट्र में हुये दंगे आधार पर मतदान आयोग ने कहा साम्प्रदायिक तनावों के प्रणेता तथा निर्माता सम्प्रदायवादी तथा राजनीतिज्ञो का एक वर्ग होता है।

**(2)** साम्प्रदायिक दंगे दक्षिण तथा पूर्वी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक होते है।

**(3)** राजनैतिक स्वार्थो के अतिरिक्त धार्मिक स्वार्थ भी साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ाने में सहायक होते है।

**(4)** ऐसे शहरों जिनमें साम्प्रदायिक दंगे एक अथवा एक से अधिक बार हो चुके है। इनकी पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है।

NOTES

# आतंकवाद

# Terrosism

NOTES

आतंकवाद की समस्या प्राचीनकाल में भी विश्व स्तर पर पायी जाती थी। प्राचीन समय में आसुरी शक्तियाँ आतंकवाद के रूप में थी। वर्तमान समय में यह कार्य मानव ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं निराशा से ग्रसित होकर प्रारम्भ कर दिया है।

## आतंकवाद का अर्थ

## Meaning of Terrorism

आतंकवाद के शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाय तो यह सिद्ध होता है कि भय के सिद्धान्त का समर्थन करना ही आतंकवाद है क्योंकि आतंक का अर्थ होता है 'डर' या 'भय' दूसरे व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करके उससे अपनी बात मनवाने का प्रयास करना आतंकवाद की श्रेणी में आता है।

**प्रो. एस.के. दुबे** के शब्दों में आतंकवाद वह समाज विरोधी व्यवस्था है जो भय, हिंसा, निराश एवं अनैतिकता के सिद्धान्त पर आधारित है तथा निजी स्वार्थो की पूर्ति का क्रूरतम प्रयास है।

**ग्रांड वर्डला के अनुसार**– आतंकवाद किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सत्ता के पक्ष में एवं विरोध में हिंसा के उपयोगी की धमकी है।

## आतंकवाद के प्रकार

## Types of Terrorism

सामान्य रूप से आतंकवाद का स्वरूप एक जैसा ही होता है परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में इनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। समाज, राश्ट्र एवं विश्व स्तर पर आतंकवाद के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते है।

1. **राजनैतिक आतंकवाद (Political Terrorism)** – राजनैतिक आतंकवाद में उन सभी असंवैधानिक एवं अनैतिक कार्यो को लिया जाता है जो राजनैतिक पार्टियों एवं राजनैतिक व्यक्तियों द्वारा कराये जाते है।

2. **सामाजिक आतंकवाद (Social Terrorism)** – सामाजिक आतंकवाद की क्रिया में उन कार्यो को सम्मिलित किया जाता है जो समाज के चन्द व्यक्तियों द्वारा अपने स्वार्थ हेतु किये जाते है। जिससे समाज का शोशण होता है।

NOTES

3. **धार्मिक आतंकवाद (Religious Terrorism)** – धार्मिक आतंकवाद के अन्तर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो धर्म विरोधी होती है परन्तु चन्द लोग उन्हें धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित कर लेते है।

4. **वैश्विक आतंकवाद (Global Terrorism)** – साम्राज्यवाद नीति एवं संकीर्ण वैश्विक सोच के कारण वैश्विक आतंकवाद को जन्म मिलता है।

## आतंकवाद के कारण

## Causes of Terrorism

प्रत्येक व्यवस्था को जन्म देने में कुछ महत्वपूर्ण कारकों का योगदान होता है। इसी क्रम में आतंकवादी व्यवस्था को जन्म देने में कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक कारकों का योगदान होता है।

1. धार्मिक कट्टरता के कारण अनेक संगठन आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करते है जबकि धर्म में हिंसा एवं आतंक का कोई स्थान नहीं होता है।

2. सुख संसाधनों के असमान वितरण के कारण भी आतंकवादी संगठन जन्म लेते है तथा अपने भाग के लिये हिंसा एवं विनाश का सहारा लेते है।

3. क्षेत्रीयता के कारण भी आतंकवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे – पंजाब में अलग देश की माँग करने के कारण आतंकवाद उत्पन्न हो गया था।

4. स्वार्थ भावना के कारण कुछ शक्तिशाली व्यक्ति गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को बन्दूक धमाकर आतंकवाद में संलग्न कर देते है।

5. शिक्षा के अभाव में आतंकवाद की स्थिति अधिक उत्पन्न होती है क्योंकि शिक्षा विहीन मानव पशु के समान होता है।

NOTES

## आतंकवाद को समाप्त करने के उपाय

## Measures to Abolition of Terrorism

आतंकवाद को समाप्त करने के लिये विश्व स्तर एवं राश्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे है क्योंकि आतंकवाद की लपटों में भारत ही नहीं वरन सम्पूर्ण विश्व जल रहा है। इसलिये इस समस्या का समाधान सरकार, समाज एवं विश्व समुदाय द्वारा कयिा जा रहा है।

(अ) भारत सरकार तथा विश्व स्तर पर आतंकवाद रोकने के प्रयास निम्नलिखित है–

(1) भारत सरकार ने धारा 124(क) में संशोधन करते हुए सरकार, संसद एवं न्यायपालिका के विरूद्ध घृणा फैलाने वाले व्यक्ति को राजद्रोह के अन्तर्गत अपराधी मानकर दण्डित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा टाडा एवं पोटा कानून बनाकर आतंकवाद को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

(ब) सामान्य रूप में आतंकवाद रोकने के प्रयासों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कार्य करने चाहिये –

(1) सभी व्यक्तियों को धर्म के वास्तिविक उद्देश्य को समझाना चाहिये तथा धार्मिक संकीर्णत की भावना को दूर करना चाहिये।

(2) समाज एवं राश्ट्र से शोशण को पूर्णतः समाप्त करना चाहिये क्योंकि शोशित व्यक्ति अन्त में हथियारों का सहारा लेकर आतंकवादी बन जाता है।

(3) राजनैतिक पार्टियों को अपने लाभ के लिये अनुचित संगठन एवं आन्दोलन की अनुचित विधियों का समर्थन नहीं करना चाहिये।

(4) समाज में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार व्यापक रूप से होना चाहिये, जिससे कि व्यक्ति उचित एवं अनुचित में विभेद कर सकें।

# राजनैतिक अस्थिरता एवं आर्थिक विकास

## Political Instability

NOTES

राजनैतिक अस्थिरता वर्तमान समय की ही देन है। व्यक्ति अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के राजनैतिक उपाय करने लगा। बहुमत से राजा के पद का चुनाव होने लगा। जनमत को अपनी ओर आकर्शित करने के लिये राजनीतिज्ञों ने साम, दाम, दण्ड एवं भेद का सहारा लिया। इस प्रकार राजनीति क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गयी। वर्तमान समय में राजनैतिक अस्थिरता एक समस्या बनी हुई है। लगभग विश्व के सभी प्रमुख विकासशील देश राजनैतिक अस्थिरता से जूझ रहे है।

## राजनैतिक अस्थिरता का अर्थ

## Meaning of Political Instability

राजनैतिक अस्थिरता के शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाय तो राजनीति से संबंधित क्रियाओं में अनावश्यक एवं बार–बार परिवर्तन होने की राजनैतिक अस्थिरता कहते है।

1. श्रीमती आर. के शर्मा के शब्दों में राजनैतिक अस्थिरता का आशय उन समस्त राजनैतिक क्रियाओं से है जिनके कारण सरकार अपने कार्यक्रम निर्माण, योजना निर्माण, निर्णयन एवं व्यवस्थापन में स्वतंत्र नहीं होती है क्योंकि दल बदल प्रक्रिया के कारण उसे कार्यकाल पूर्ण न कर पाने तथा उपदस्थ होने का भय बना रहता है।

2. प्रो. एस. के दुबे. के शब्दों में राजनैतिक अस्थिरता का आशय उस दल बदल प्रणाली एवं निरर्थक राजनैतिक क्रियाओं से है जो व्यक्तिगत स्वार्थ एवं संकीर्ण विचारधाराओं के आधार पर सत्ताधारियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा विकसित एवं सम्पन्न की जाती है।

## राजनैतिक अस्थिरता के कारण

## Causes of Political Instability

NOTES

राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न होने के पीछे सामाजिक, राजनैतिक एवं राश्ट्रीय कारक होते है जो कि अपने प्रभाव से हलचल एवं अस्थिरता उत्पन्न करते है। राजनैतिक अस्थिरता के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है –

1. भारतीय संदर्भ में राजनैतिक अस्थिरता का कारण जातिवाद है। जनता का समर्थन जातिगत आधार पर होता है वह अपनी जाति के भ्रश्ट व्यक्ति को चुनने में भी गौरव अनुभव करती है।

2. सरकार को गिराने में भी जातिगत आँकड़े ही कार्य करते है। नेशनल कॉन्फ्रेन्स के सांसद ने मुस्लिम होने के कारण भाजपा के विपक्ष में मतदान किया और बाजपेयी सरकार गिर गयी, जबकि पार्टी का भाजपा को समर्थन प्राप्त था।

3. धार्मिक कारण से भी राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। संसद में एक ही धर्म के व्यक्ति संगठित होकर सरकार को गिराने का प्रयास करते है। अनेक राजनैतिक दल धर्म के नाम पर वोट मांगते है।

4. समाज में कुछ व्यक्ति अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति हेतु सरकारों को गिराकर राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न कर देते है। जैसे – चौ. चरण सिंह को श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कुछ दिनों के लिये प्रधानमंत्री बनाकर सरकार गिरा दी।

5. आर्थिक विकास का असन्तुलन भी राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न करता है। अविकसित एवं निर्धन वर्ग के व्यक्ति सत्ता में परिवर्तन करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें पूर्ण सुख सुविधाएँ प्राप्त हीं हो रही है।

6. समाज एवं राश्ट्र के नागरिकों में संकीर्ण भावना एवं विचारधारा राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न करती है। क्योंकि इस प्रकार का व्यक्ति समग्रतापूर्ण एवं विस्तृत दृश्टिकोण का विरोधी होता है।

## राजनैतिक अस्थिरता दूर करने के उपाय

## Measures to Removal of Political Instability

NOTES

राजनैतिक अस्थिरता किसी भी राश्ट्र एवं समाज के लिये लाभप्रद नहीं मानी जा सकती है। अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर भी राजनैतिक स्थिरता होना परमावश्यक है। क्योंकि विश्व युद्ध एवं अशान्ति राजनैतिक अस्थिरता के कारण उत्पन्न होते है।

1. सर्वप्रामि व्यक्ति को आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिये जिसेस कि व्यक्ति भौमिकता के मोहपाश में बंधकर राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न न करें।
2. ऊँच–नीच, जाति–पाँति के भेदभाव को भुलाकर सर्वाजनिक हित की धारणा का प्रत्येक नागरिक में विकास किया जाय।
3. राजनीति में योग्य व्यक्तियों का प्रवेश होना चाहिये जिससे कि वे नेतृत्व एवं व्यक्तिगत विवके के आधार पर राजनीतिक अस्थिरता को उत्पन्न न होने दें।
4. प्रत्येक राजनैतिक समस्या का समाधार वार्ता के आधार पर होना चाहिये दल बदल एवं सत्ता परिवर्तन के द्वारा नहीं।
5. शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार निश्चित किया, जिससे कि राजनैतिक अस्थिरता के स्थान पर स्थिरता उत्पन्न हो।
6. क्षेत्रीयता एवं प्रान्तीयता की भावना को जन सामान्य के मन से समाप्त करके राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय सदभावना को विकसित किया जाना चाहिये।

NOTES

## राजनैतिक अस्थिरता के लाभ

## Advantages of Political Instability

राजनैतिक अस्थिरता से अनेक प्रकार की हानियां होती है परन्तु इससे कुछ लाभ भी होते है जो कि राश्ट्र एवं समाज के लिये आवश्यक माने जाते है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित है –

1. सरकार पर विभिन्न प्रकार के दबाव के कारण सरकार स्वतंत्र एवं निश्पक्ष रूप से कार्य करती है।
2. सामाजिक दबाव के कारण सत्ता पक्ष द्वारा सन्तुलित विकास किया जाता है तथा पक्षपात पूर्ण कार्य नहीं किये जाते है।
3. राजनैतिक अस्थिरता के कारण ही सरकार अपने सहयोगी दलों के सुझावों को महत्व प्रदान करती है तथा क्रियान्वयन करती है।

## राजनैतिक अस्थिरता के दोश

## Demerits of Political Instability

राजनैतिक अस्थिरता से लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है। इसलिये इसको राश्ट्र एवं समाज के लिये अच्छा नहीं माना जा सकता। राजनैतिक अस्थिरता के प्रमुख दोश निम्नलिखित है –

1. राजनैतिक अस्थिरता के कारण विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता।
2. सरकार के बदलने से विकास योजनाओं को स्वरूप एवं क्रियान्वयन प्रणाली परिवर्तित हो जाती है जिससे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
3. राजनैतिक अस्थिरता से विद्वेश एवं वैमनस्यता का वातावरण उत्पन्न होता है जो समाज एवं राश्ट्र के लिये हानिकारक होता है।

4. राजनैतिक अस्थिरता के कारण आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है जिससे राश्ट्र का विकास रूक जाता है।

5. राजनैतिक अस्थिरता प्रजातन्त्र के लिये घटक होती है तथा तानाशाही व्यवस्था घातक–परिणाम देखने पड़ते है।

6. राजनैतिक अस्थिरता से जातिवाद, सम्प्रदायवाद एवं क्षेत्रवाद पनपता है जिसके घातक परिणाम देखने पड़ते है।

NOTES

## Educational Problem

## अशिक्षा

विकासशील देशों में शिक्षा की स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। विकासशील देशों में निम्न शैक्षिक अवस्था के कारण अनेक समस्याएँ जन्म लेती है। इसके कारण ये राश्ट्र उचित रूप से अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाते है।

अशिक्षा

विकासशील राश्ट्रों के लिये निरक्षरता एवक अभिशाप के समान है। इस कारण ये राश्ट्र अनेक समस्याओं से ग्रसित हो जाते है। विकासशील देशों में निरक्षरता के लिये अनेक कारण है। इनमें से प्रमुख का वर्णन निम्नलिखित है –

(1) अल्पशिक्षा

(2) निर्धनता

(3) अस्थिर रानीति

(4) भौगोलिक स्थितियाँ

(5) व्यावसायिक शिक्षा का अभाव

(6) जनसंख्या आधिक्य

(7) शिशु में निम्न स्वास्थ्य की स्थित

(8) निम्न सामाजिक मानसिकता

NOTES

1. **अल्प शिक्षा व्यय**– तालिका 17 में हमें ज्ञान होता है कि विकासशील तथा पिछड़े राश्ट्रों का सकल घरेलू उत्पाद में भाग अत्यन्त निम्न है। सियरा लियोन जैसे देशों में तो यह मात्र 1.0 ही (जी.डी.पी. का भाग) है। ऐसी स्थिति में निरक्षरता का प्रसार होना असम्भावी ही है।

2. **निर्धनता** – वर्तमान विश्व में शिक्षा के तकनीकी विकास तथा आधुनिकीकरण के कारण इस पर व्यय बढ़ता जा रहा है जो कि निर्धन राश्ट्रों के लिये अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहा है। अधिकांश पिछड़े राश्ट्र में मुख्यतः अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहते है। जिसके कारण वहां निर्धनता का प्रसार होता है और सरकार निर्धन व्यक्तियों को साक्षर बनाने में असक्षम हो जाती है जिसकी परिणिति देश में निरक्षरता के प्रसार में होती है।

3. **अस्थिर राजनीति** – गृह युद्ध, तख्ता पलट तथा राजनीति अस्थिरता विकासशील राश्ट्रों की एक गम्भीर समस्या है। इसके कारण राज्य अपने नागरिकों के लिये कल्याणकारी योजनाएं नहीं बना पाता है। यदि योजनाएँ बन भी जाये तो उन पर क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो पाता है। सियरा लियोन, अफगानिस्तान, ईराक, सोमालिया तथा पूर्वी तिमोर आदि के उदाहरण इस तथ्य को स्पश्ट कर सकते है।

4. **भौगोलिक स्थितियाँ**– दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां भी निरक्षरता के प्रसार में सहायक होती है। पर्वतीय, मरूस्थलीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना अति कठिन होता है। इस कारण सरकार तथा निजी संस्थान भी यहां विद्यालय स्थापित करने में असमर्थ होते है। इन्हीं कठिन परिस्थितियों के कारण विद्यार्थी प्रतिदिन अन्यत्र शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा पाते है। अतः भौगोलिक कठिनाइयां भी निरक्षरता के प्रसार में सहायक होती है।

5. **व्यवसायिक शिक्षण का अभाव** – विकासशील देशों में जनता के पास धन का अभाव होता है। शिक्षा वह आजीविका प्राप्त करने के लिये ग्रहण करते है किन्तु जब शिक्षण के माध्यम से धन की प्राप्ति अथवा कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो वह शिक्षा से विमुख हो जाते है। जनता की यह विमुखता शिक्षा के प्रसार के माध्यम से हल की जा सकती है।,

6. **जनसंख्या आधिक्य** – अत्यधिक जनसंख्या अथवा जनसंख्या आधिक्य किसी भी राश्ट्र के लिये समस्याओं का स्त्रोत हो सकता है क्योंकि जनसंख्या आधिक्य के कारण वह उस देश की राज्य सरकार किसी भी योजना का उचित सम्पादन नहीं कर पाती है। जब सरकार कोई योजना का निर्माण करती है तथा उसके क्रियान्वयन के मध्य समय में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अतः यह स्थिति उसकी योजना को असफल कर देती है।

NOTES

7. **शिशु के निम्न स्वास्थ्य की स्थिति** – अधिकांश विकासशील देशों के कुपोशण तथा क्षुधा मृत्यु की स्थिति है जिसके कारण वह शिश मृत्यु दर अत्यधिक है। यह उच्च शिशु मृत्यु दर शिशुओं के निम्न स्वास्थ्य का सूचक है। ऐसी स्थिति में जबकि शिशुओं का स्वास्थ्य ही निम्न स्तर का होगा तो उससे शिक्षा ग्रहण करने की सम्भावनाएं भी नगण्य होती है। इस प्रकार विकासशील देशों में शिशुओं के स्वास्थ्य का निम्न स्तर वहां निरक्षरता का मुख्य कारण है।

8. **निम्न सामाजिक मानसिकता** – विकासशील तथा पिछड़े देशों के नागरिकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की भावना का अभाव पाया जाता है। इसका मुख्य कारण वहां शिक्षा का व्यवसायिक प्रवृत्ति का न होना माना जा सकता है। अतः नागरिकों में शिक्षा के प्रति निम्न भावना जागृत हो जाती है तथा वे शिक्षा को एक व्यर्थ प्रक्रिया ही मान लेते है।

## विकासशील देशों में निरक्षरता का समाधान

## Solution of Illiteracy of Developing Countries

विकासशील देशों में निरक्षरता का समाधान निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से किया जा सकता है –

1. सर्वप्रथम विकासशील देशों की सरकारों को शिक्षा के प्रति कर्तव्यनिश्ठ की भूमिका का निर्वाहन करना होगा। तदपरान्त शिक्षा की विभिन्न योजनाओं पर पर्याप्त धन की व्यवस्था होगी।

2. सरकार को शैक्षिक पाठ्यक्रम व्यवसायिक रूप में निर्मित रखना चाहिये अर्थात शिक्षा रोजगार की दृश्टि में रखकर ही प्रदान करनी चाहिये।

NOTES

3. विकासशील देशों में विस्तृत संख्या में बाल मजदूरी होती है। अतः बाल्यावस्था में विद्यार्थी पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते है। अतः बाल मजदूरी को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करने के साथ–साथ इसके कारण का भी समाधान आवश्यक करना चाहिये।

4. विकासशील देशों की सरकार को उन क्षेत्रों से परिचित होना चाहिये जहां निरक्षरता सबसे अधिक है। इस विशय में सरकार दुर्गम पहाड़ी तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों को अपनी प्राथमिकता दे सकती है।

5. प्रायः विकासशील राश्ट्रों में शिशुओं में स्वास्थ्य का स्तर निम्न ही होता है जिसके परिणामस्वरूप शिशु शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते है। क्योंकि अस्वस्थ शारीरिक श्रम प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः विकासशील देशों की सरकारों को शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य का पर्याप्त धन उपलब्ध करना चाहिये।

## तुलनात्मक शिक्षा की अवधारणा :

किसी देश की शिक्षा व्यवस्था वहां के जीवन दर्शन तथा भौगोलिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति एवं वर्तमान आवश्यकताओं की परिचायक होती है। इसलिए किसी देश की शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन से हम उस देश को समझने लगते हैं और हमें वह ज्ञान होता है कि संसार के विभिन्न देशों की समस्याओं और आकांक्षाओं में अन्ततोगत्वा पर्याप्त समानता है। अतएव विश्व के किसी जागरूक नागरिक के लिए संसार की विविध शिक्षा–प्रणालियों का अध्ययन बड़ा ही आवश्यक है।

1. आजकल अप्रवासी छात्रों का अधिक प्रचलन है। इसलिए शिक्षा का स्तर अन्य राश्ट्रों के स्तर के समतुल्य होना चाहिए।

2. भारतीय छात्र अन्य देशों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। उन देशों का शिक्षा स्तर समान होना चाहिए, जिससे स्वदेश लौटकर उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल सके तथा किसी व्यवसाय में स्थान प्राप्त हो सके।

3. भारतीय तकनीकी व्यावसायिक तथा मेडिकल शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। विदेशों में भारतीय तकनीकी शिक्षा को मान्यता प्राप्त है।

4. सामान्यतः सभी राष्ट्रों में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य होते हैं। उनका प्रकाशन अन्तर्राष्ट्रीय सारांश में होता है। उनका लाभ सभी राश्ट्र उठा सकते हैं।

5. तकनीकी शिक्षा एवं माध्यमों के विकास ने विश्व को अधिक छोटा कर दिया है।

NOTES

**तुलनात्मक शिक्षा की परिभाशाएँ (Definitions of Comparative Education) :**

अनेक विद्वानों ने तुलनात्मक शिक्षा की परिभाशा दी है, उनमें कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाशाएं निम्न प्रकार से हैं :–

1. आई.एल. कन्डेल (I.L. Kandel) के अनुसार : विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों की तुलना करके उनके अभिक्रमों, विधियों तथा उद्देश्यों में अन्तर को ज्ञात करना है। इसके अन्तर्गत शिक्षा पर राश्ट्रीय लागत आकार चरित्र निर्माण प्रति व्यक्ति आय तथा शिक्षा के विभिन्न मदों पर शैक्षिक व्यय पंजीकरण, नामांकन, औसत छात्रों की उपस्थिति छात्रों की धारण शक्ति की तुलना शिक्षा के विभिन्न सारों पर करना है। तुलनात्मक आयाम का महत्व शिक्षा की समस्याओं का विश्लेशण करना और विभिन्न शिक्षा प्रणालियों में अन्तर की तुलना करना है। समस्याओं के कारणों को ज्ञान करके समाधान ज्ञात करने का प्रयास करना है।

   तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य है कि तुलनात्मक नियम, साहित्य एवं स्वरूप के आधार पर उन कारणों तथा शक्तियों को खोजना, जो शिक्षा प्रणालियों में अन्तर उत्पन्न करती है।

2. जार्ज बियरडे (Geroge Beredey) के अनुसार : ''तुलनात्मक शिक्षा के अन्तर्गत तुलनात्मक कारकों का विश्लेशणात्मक अध्ययन किया जाता है। इन कारकों का विश्लेशण ऐतिहासिक विकास क्रम में किया जाता है और समस्याओं हेतु समाधान ज्ञात किये जाते हैं। इन अध्ययनों के निश्कर्श तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हैं। इनका सम्बन्ध शिक्षा के दार्शनिक पक्ष अर्थात् सिद्धान्त से होता है। इनका प्रशासन एवं उपयोग शिक्षा प्रबंधन में किया जाता है।''

3. सी. अर्नोल्ड एंडरसन (C. Arnold Anderson) के अनुसार : तुलनात्मक शिक्षा को व्यापक अर्थों में परिभाशित कर सकते हैं, कि शिक्षा के स्वरूप की अन्तः सांस्कृतिक तुलना करना है। विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों के दृश्टिकोण, लक्ष्य

विधियों एवं उपलब्धियों तथा सामाजिक तत्वों का सह–सम्बन्ध ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है।

NOTES

4. मेरी अन्टोइन जुलियन (Mare Antaine Julion) के अुनसार : ''शिक्षा एक समारात्मक विज्ञान है। यह प्रशासकों के संकुचित निर्णयों, दृश्टिकोण तथा सीमित विचारों से नियन्त्रित नहीं होना चाहिए। संकुचित नियमों का भी अनुपालन नहीं होता है। अन्ध विश्वासों पर शिक्षा प्रारूप आधारित नहीं होना चाहिए।''

5. सर माइकल सैडलर (Sir Michal Sadler) के अनुसार : अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो वस्तुएं विद्यालयों से बाहर हैं, वे आन्तरिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। राश्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक सजीव वस्तु है, परन्तु यह परिणाम अतीत युद्धों, समस्याओं तथा झगड़ों का है। यह सब गोपनीय रूप में राश्ट्रीय जीवन में सक्रिय है।

अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन शुद्ध रूप में करने से उनकी व्यावहारिकता का बोध होता है कि इस प्रकार के अध्ययन से अपनी शिक्षा प्रणाली को बोधगम्य करने का अधिकार प्राप्त होता है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन की अभिव्यक्ति का अर्थ होता है, अन्य देशों की शिक्षा प्रणालियों एवं उनकी संस्कृतियों में समानता एवं विशमताओं की खोज करें और इनसे सम्बन्धित कारणों को ज्ञात करें। उनके अन्तरों के कारणों तथा समस्याओं के समाधान ज्ञात करें। शिक्षा की समस्याओं की पहचान करके उनका समाधान खोजें। इस प्रकार के अध्ययन एवं विश्लेशण से हम अपनी शिक्षा की समस्या को शुद्ध रूप में समझ सकते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। तुलनात्मक शिक्षा में अन्तः सांस्कृतिक प्रभावों का भी विश्लेशण करना चाहिए।

## अन्तर्राश्ट्रीय तथा अन्तरा – राश्ट्रीय शैक्षिक विश्लेशण (International and Inter - national Education Analysis)

तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में सामान्यतः दो प्रकार से विश्लेशण किया जाता है–

1– अन्तर्राश्ट्रीय शैक्षिक विश्लेशण तथा

2– अन्तरा–राश्ट्रीय शैक्षिक विश्लेशण

इन विश्लेशण के आयामों का विवरण यहां पर दिया गया है –

**1. अन्तर्राश्ट्रीय शैक्षिक विश्लेशण (International Educational Analysis) :**

NOTES

सामान्यतः तुलनात्मक शिक्षा में दो या दो से अधिक देशों की शिक्षा प्रणालियों पर शिक्षा के प्रारूपों का अध्ययन किया जाता है। उनकी समानताओं एवं विशमताओं का विश्लेशण किया जाता है। शिक्षा प्रणालियों की (पहचान) विशेशताओं की पहिचान की जाती है जिसे अन्तर्राश्ट्रीय शैक्षिक विश्लेशण आयाम की संज्ञा दी जाती है, उदाहरण के लिए मुक्त शिक्षा के विकास एवं प्रारूप का विकासशील देशों का विश्लेशण करना। इसी प्रकार महात्मा गांधी एवं जॉन डी.वी. के शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक योगदान का विश्लेशण करना आदि इस आयाम के अन्तर्गत आते हैं।

तुलनात्मक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारत, ब्रिटेन, चीन, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का शैक्षिक विश्लेशण प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा आदि के सन्दर्भ में किया जाता है।

**2. अन्तरा–राश्ट्रीय शैक्षिक विश्लेशण (Inter - national Educational Analysis) :**
इस प्रकार के शक्षिक विश्लेशण आयाम में एक देश की प्रणाली को विभिन्न घटकों विश्लेशण विभिन्न कालो में करके विकास क्रम को प्रस्तुत करना, जिससे प्रभावशाली एवं व्यावहारिक नियोजन किया जा सके। इसके अन्तर्गत घटकों के आन्तरिक स्वरूप का विश्लेशण उसके तत्वों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिये शिक्षण प्रणाली को तीन घटकों – (1) शिक्षा के उद्देश्य

(2) अधिगम अनुभव तथा

(3) व्यवहार परिवर्तन (मूल्यांकन को विभाजित करते हैं, प्रत्येक घटक के अपने तत्व हैं) जैसे– अधिगम, अनुभव के तत्व शिक्षण विधियां, सहायक प्रणाली, अभिप्रेरणा शिक्षण सूत्र ग्रह कार्य अन्तः प्रक्रिया आदि प्रमुख हैं। इन तत्वों का विश्लेशण एक ही विशय के शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। एक ही स्तर के अन्य विशयों से तुलना की जा सकती है।

भारत जैसे देश में जहां शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा का प्रबन्धन एवं व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। शिक्षा का राज्य का

उत्तरदायित्व है तथा शिक्षा राज्य का विशय है। इस कारण प्रत्येक राज्य की शिक्षा प्रणाली अन्य राज्यों से भिन्न प्रकार की है। इन राज्यों की शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेशण किया जा सकता है। राश्ट्रीय स्तर पर स्वतन्त्रता से पूर्व के शिक्षा आयोगों की संस्तुतियों और स्वतन्त्रता के बाद के शिक्षा आयोगों की संस्तुतियों का तुलनात्मक विश्लेशण किया जा सकता है।

NOTES

इसी प्रकार कोठारी शिक्षा आयोग (1964–66) की संस्तुतियों का और राश्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की संस्तुतियों का तुलनात्मक विश्लेशण किया जा सकता है।

शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में भारतीय दार्शनिकों के विचारों एवं शिक्षा में योगदान का विश्लेशण किया जाता है। इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए राश्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाने लगा है। राश्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिशद (NCTE) ने सम्पूर्ण राश्ट्र में एक ही प्रणाली लागू कर दी है।